मुख्य परीक्षा 2021 के सॉल्व्ड पेपर्स

सामान्य अध्ययन

सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-I

प्रश्न: 1. भक्ति साहित्य की प्रकृति का मूल्यांकन करते हुए भारतीय संस्कृति में इसके योगदान का निर्धारण कीजिये।

(150 शब्दों में उत्तर दीजिये) 10

उत्तर: भक्ति आंदोलन की चेतना को भक्ति साहित्य के माध्यम से जन-जन तक पहुँचाया गया, जिसने भारतीय समाज और संस्कृति में व्यापक बदलाव किये।

भक्ति साहित्य की प्रकृति क्षेत्रीय भाषा के विकास की है। इसको विकसित करने वाले संतों में दलित संत और महिला संत भी शामिल रहे हैं। अत: भक्ति साहित्य बहुलवादी साहित्य है। इसके अतिरिक्त भक्ति साहित्य निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार की भक्ति को मुखरित करता है।

धर्म की भाषा संस्कृत के स्थान पर क्षेत्रीय भाषा को बनाया गया। भक्ति आंदोलन का उदय सर्वप्रथम छठी सदी ईस्वी में तमिलनाडु में हुआ, जिसने तमिल साहित्य को समृद्ध किया। अलवार और नयनार संतों के गीतों ने समाज और संस्कृति पर व्यापक प्रभाव डाला। कर्नाटक में बसवन्ना के गीतों ने कन्नड़ साहित्य को विकसित किया। गुजरात में नरसी मेहता का गीत 'वैष्णव जन तो तेने कहिये जे, पीड़-पराई जाणे रे।' गांधी जी का प्रिय भजन था, जो दूसरे की पीड़ा को समझने और उसे दूर करने के लिये प्रेरित करता है।

क्षेत्रीय भाषा के रूप में भक्ति-साहित्य जन-जन तक पहुँचा। निर्गुण भक्ति संत कबीर, नानक आदि के गीतों ने सामाजिक सद्भाव, समानता पर बल देते हुए छूआछूत सांप्रदायिकता और आडंबरों का विरोध किया। कबीर ने दलित एवं शोषित वर्ग की चेतना को झकझोर कर निम्न वर्ग के लोगों का आंदोलन ही खड़ा कर दिया, जिसके अंतर्गत रैदास, दादू, मलूकदास, दरिया जैसे तमाम निर्गुण संतों ने अपने साहित्य के माध्यम से भारतीय संस्कृति को समृद्ध किया।

नानक ने सिख धर्म की स्थापना कर पंजाबी भाषा को समृद्ध किया। चैतन्य ने बांग्ला, शंकरदेव ने असमिया भाषा, मीरा ने राजस्थानी, नामदेव, तुकाराम, एकनाथ ने अपने अभंगों के माध्यम से मराठी साहित्य को समृद्ध किया और महाराष्ट्र के लोगों को जाग्रत किया।

ब्रज में कृष्ण भक्ति साहित्य और अवधी में राम भक्ति साहित्य का विकास हुआ। भक्ति साहित्य सामाजिक प्रतिरोध का भी वाहक बना। सामाजिक बुराइयों को सीधे और सरल शब्दों में नकार दिया गया। जात-पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई।

भक्ति संतों के गीतों को गेय बनाकर संगीत का भी विकास किया गया। कबीर, मीरा, नानक के भजन, नामदेव, तुकाराम के अभंग आदि ने भारतीय संगीत को समृद्ध किया। इसी समय कन्नड़ संगीत और ध्रुपद गायन का विकास हुआ जो भक्ति साहित्य पर काफी हद तक निर्भर है। इस प्रकार कह सकते हैं कि भक्ति साहित्य ने भारतीय संस्कृति को बदलने और उसे समृद्ध करने में अपना महत्त्वपूर्ण योगदान दिया।

प्रश्न: 2. यंग बंगाल एवं ब्रह्म समाज के विशेष संदर्भ में सामाजिक-धार्मिक सुधार आंदोलनों के उत्थान तथा विकास को रेखांकित कीजिये।

(150 शब्दों में उत्तर दीजिये) 10

उत्तर: 19वीं सदी में भारत में सामाजिक-धार्मिक सुधार आंदोलनों का उत्थान भारतीय शिक्षित वर्ग का यूरोपीय प्रबोधन से प्रभावित होने के कारण हुआ। भारत का शिक्षित वर्ग यूरोपीय मानवतावाद तथा विवेक के सिद्धांत से अभिभूत था और चाहता था कि भारतीय भी यूरोपीय सिद्धांतों से परिचित होकर अपना उत्थान करें।

दूसरी तरफ कुछ शिक्षित भारतीय भारत की विदेशी शक्ति द्वारा पराजय के ज़िम्मेदार कारकों की खोज में संलग्न हुए। इस प्रकार पाश्चात्य प्रभाव और उसकी प्रतिक्रिया में सामाजिक-धार्मिक आंदोलन शुरू हुआ। इस आंदोलन की पहल राजा राममोहन राय और हेनरी विवियन डेरोजियो ने अपनी संस्थाओं क्रमश: ब्रह्म समाज और यंग बंगाल के माध्यम से की।

राजा राममोहन राय ने अनेक देवताओं में विश्वास के विरुद्ध एकेश्वरवाद के पक्ष में तर्क दिया। पुरुषों पर औरतों की निर्भरता की निंदा करते हुए उनकी शिक्षा और स्वतंत्रता पर बल दिया। तत्कालीन सती प्रथा के विरुद्ध आंदोलन किया और 1829 ईस्वी में सती-निषेध कानून बनवाया। आधुनिक शिक्षा के प्रसार के लिये कॉलेज स्थापित किये। जाति-प्रथा की कट्टरता का विरोध किया। ज़मींदारों के शोषण का विरोध करते हुए किसानों द्वारा दिये जाने वाले लगान को सुनिश्चित करने का सुझाव दिया। अंतर्राष्ट्रीय क्रांतियों का समर्थन किया।

हेनरी विवियन डेरोजियो ने यंग बंगाल आंदोलन के माध्यम से अपने छात्रों को विवेकपूर्ण और मुक्त ढंग से सोचने, सभी आधारों की प्रामाणिकता की जाँच करने, समानता और स्वतंत्रता से प्रेम करने तथा सत्य की पूजा करने के लिये प्रेरित किया। यंग बंगाल के एक नेता लाल मोहन घोष के अनुसार-'वह जो तर्क नहीं करेगा धर्मांध है, वह जो नहीं कर सकता बेवकूफ है और वह जो नहीं करता गुलाम है।'

महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज और ज्योतिबा फुले के नेतृत्व में सामाजिक-धार्मिक आंदोलन का प्रसार हुआ। पंजाब में आर्य समाज के माध्यम से दयानंद सरस्वती ने ऋग्वैदिक समानता के सिद्धांतों का प्रसार किया। उन्होंने जातिगत भेदभाव और स्त्री-पुरुष असमानता का विरोध करते हुए सबको बराबरी का अधिकार दिया, लेकिन उनका आंदोलन पश्चगामी प्रवृत्ति का था, जिसकी परिणति सांप्रदायिक द्वेष में हुआ। बंगाल में रामकृष्ण परमहंस और उनके शिष्य विवेकानंद ने भी सामाजिक सुधार में रामकृष्ण मिशन के माध्यम से महती योगदान दिया। केशवचंद्र सेन के प्रयासों से दक्षिण भारत में सामाजिक सुधार प्रारंभ हुए, जो आगे चलकर आत्म-सम्मान आंदोलन के माध्यम से समाज के निचले वर्ग के उत्थान में बदल गए। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने विधवाओं की सामाजिक स्वीकृति और उनके पुनर्विवाह के लिये अनथक प्रयास किये।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पाश्चात्य विचारों के प्रभाव में और उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप भारत में सामाजिक-धार्मिक आंदोलन का उत्थान और विकास हुआ।

प्रश्न: 3. भारतीय रियासतों के एकीकरण की प्रक्रिया में मुख्य प्रशासनिक मुद्दों एवं सामाजिक-सांस्कृतिक समस्याओं का आकलन कीजिये। (150 शब्दों में उत्तर दीजिये) 10

उत्तर: 15 अगस्त, 1947 का दिन जब भारत की आज़ादी के लिये ब्रिटिश सरकार ने सुनिश्चित कर दिया, तब भारत के कांग्रेसी नेताओं के सामने भारतीय रियासतों के भारत में एकीकरण को लेकर प्रशासनिक और सामाजिक-सांस्कृतिक चुनौती खड़ी हो गई। भारतीय उपमहाद्वीप के 40 प्रतिशत भूभाग पर ये रियासतें कायम थीं, जिन्हें सीधे इंग्लैंड से प्रशासित किया जाता था। अपने-आप में ये रियासतें स्वायत्त थीं, लेकिन इनकी सर्वोच्च शक्ति ब्रिटेन के अधीन थी।

भारतीय रियासतों के एकीकरण की ज़िम्मेदारी सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपी गई थी। पटेल ने प्रशासनिक स्तर पर मुख्यत: 2 प्रस्ताव रियासतों के सामने रखें। पहला 'स्टैंड स्टिल' यानी यथास्थिति समझौता जिसके तहत रियासत सुरक्षा, संचार और विदेश मामले भारत सरकार को सौंप दे और शेष अपने पास रखे। दूसरे प्रस्ताव 'इन्स्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेसन' के तहत भारत में रियासत का विलय किया जाएगा और रियासत के शासक को उस प्रदेश का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बना दिया जाएगा तथा उनके खर्चे के लिये प्रिवी पर्स की व्यवस्था भारत सरकार करेगी। अधिकांश रियासतों ने विलय के दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर कर प्रिवी पर्स और पद ग्रहण किया। कुछ रियासतें ऐसी थीं जिनके शासक और अधिकांश प्रजा का धर्म भिन्न था; जैसे-जूनागढ़ का शासक मुस्लिम और प्रजा हिंदू थीं, कश्मीर का राजा हिंदू और प्रजा मुस्लिम थी। यहाँ सामाजिक-सांस्कृतिक चुनौती सामने खड़ी हो गई।

इस चुनौती का सामना पटेल ने बातचीत के माध्यम से, धैर्यपूर्वक और अंतिम समय में सैन्य कार्रवाई द्वारा निकाला। दरअसल रियासतों के एकीकरण की चुनौती इसलिये उत्पन्न हुई क्योंकि अंग्रेज़ों ने घोषणा की थी कि रियासतों के ऊपर उनकी सर्वोच्चता (Paramountcy) भारत की आज़ादी के दिन से समाप्त हो जाएगी और उनके सामने 3 विकल्प होंगे। पहला वे भारत में अपना विलय कर लें, दूसरा, पाकिस्तान में विलय कर लें तथा तीसरा स्वतंत्र रहने का निर्णय कर लें। इन्हीं चुनौतियों के सामने पटेल के महती प्रयासों से भारतीय रियासतों का विलय संभव हुआ, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें लौह पुरुष कहा गया।

प्रश्न: 4. हिमालय क्षेत्र तथा पश्चिमी घाटों में भू-स्खलनों के विभिन्न कारणों का अंतर स्पष्ट कीजिये।

(150 शब्दों में उत्तर दीजिये) 10

उत्तर: भूस्खलन की घटना पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभावाधीन होकर घटित होती है, जिसमें वृहद् स्तर पर पत्थर, मिट्टी, मलबा आदि पहाड़ी ढलानों या भू-उच्चावचों से टूटकर नीचे गिरते हैं। भारत का लगभग 15 प्रतिशत भू-भाग भूस्खलन प्रभावित है, लेकिन हिमालय एवं पश्चिमी घाट में भूस्खलन की प्रवणता सर्वाधिक है, जिसमें हिमालयी क्षेत्र में भूस्खलन की घटनाओं की बारंबारता एवं तीव्रता पश्चिमी घाट की अपेक्षा अधिक है।

हिमालय क्षेत्र एवं पश्चिमी घाटों में भूस्खलनों के कारणों में अंतर को प्राकृतिक एवं मानवजनित कारणों में विभक्त करके समझा जा सकता है-

प्राकृतिक कारण

हिमालय

- हिमालय एक नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है, जिसमें अनवरत उत्थान की प्रक्रिया चालू है। फलत: हिमालयी चट्टानें सुगठित नहीं हो पातीं जिससे भूस्खलन की घटनाएँ होती हैं।
- हिमालय क्षेत्र अत्यधिक विवर्तनिक सक्रिय क्षेत्र है, जिससे यहाँ भूकंपीय घटनाओं की बारंबारता भूस्खलन की घटना को तीव्र करती है।
- हिमालय क्षेत्र की अत्यधिक ऊँचाई एवं तीव्र दक्षिणी ढाल भी भूस्खलन की प्रवणता को बढ़ाता है।
- तीव्र ढालों के साथ प्रवाहित होने वाली हिमालयी सदाबहार नदियाँ अवसादीकरण एवं अपरदन की प्रक्रिया को बढ़ा देती हैं, जिससे भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है।
- बर्फबारी एवं ग्लेशियरों के पिघलने की प्रक्रिया हिमालय क्षेत्र की मिट्टी एवं चट्टानों को मुलायम बना देती है, जिससे इस क्षेत्र में भूस्खलन की समस्या बढ़ जाती है।
- बादलों के फटने की क्रिया भी भूस्खलन की घटना को प्रवण बनाती है। यह घटना हिमालय क्षेत्र में प्राय: देखने को मिलती है, जबकि पश्चिमी घाटों में यह क्रिया बहुत सीमित मात्रा में होती है।

पश्चिमी घाट

- पश्चिमी घाट अपेक्षाकृत पुरानी एवं कम तुंगता वाली श्रृंखला है, जहाँ की कठोर, सुगठित आग्नेय व कायांतरित चट्टानें भूस्खलन की घटनाओं के प्रति अपेक्षाकृत कम संवेदनशील हैं, लेकिन इनके तीव्र पश्चिमी ढाल भूस्खलन की घटनाओं की सुभेद्यता को बढ़ाते हैं।
- इस क्षेत्र में दक्षिण-पश्चिम मानसून के कारण होने वाली अत्यधिक वर्षा भूस्खलन की घटनाओं की तीव्रता को बढ़ाती है।
- पश्चिमी घाट में होने वाला रासायनिक मृदा अपक्षयण (Weathering) भी भूस्खलन की तीव्रता को बढ़ाता है।

मानवजनित कारण

हिमालय

- हिमालय क्षेत्र में मुख्यत: निर्माण कार्य (जैसे-बांध, सड़क आदि), विद्युत परियोजनाएँ, सुरंगों के निर्माण हेतु विस्फोट इत्यादि भूस्खलन की घटना को बढ़ाते हैं।
- हिमालय क्षेत्र में निर्वनीकरण एवं दावानल की घटनाएँ मिट्टी की पकड़ को कमज़ोर करती हैं, जिससे भूस्खलन की घटना में बढ़ोतरी होती है।
- इसके अतिरिक्त पूर्वी हिमालयी क्षेत्र में स्थानांतरी कृषि भी भूस्खलन के लिये उत्तरदायी है।
- अधारणीय पर्यटन व ग्लोबल वार्मिंग के कारण भूस्खलन की घटनाओं में वृद्धि होती है।

पश्चिमी घाट

- पश्चिमी घाट में होने वाली खनन गतिविधियाँ मृदा संघटन को कमज़ोर कर देती हैं, जिससे भूस्खलन की घटनाएँ बढ़ती हैं।
- औद्योगिक गतिविधियाँ, विभिन्न निर्माण कार्य (जैसे-बाँध, सड़क व रेलमार्गों का विकास आदि) भूस्खलन की प्रवणता को बढ़ाते हैं।
- अनियंत्रित व अधारणीय मानव अधिवास में प्रसार, वाणिज्यिक तथा पर्यटक परिसरों आदि के विकास से प्राकृतिक जल निकास प्रणाली अवरुद्ध हो जाती है, जिससे भूस्खलन की प्रायिकता बढ़ जाती है।
- अवैज्ञानिक कृषि पद्धतियाँ और अनवरत वनोन्मूलन ने फ्लैश फ्लड की घटनाओं को बढ़ाया है, जिससे भूस्खलन की घटनाओं में भी वृद्धि होती है।

यद्यपि भूस्खलन एक प्राकृतिक घटना है, लेकिन मानवजनित गतिविधियों ने इसकी बारंबारता एवं विभीषिका को बढ़ाया है। अत: भूस्खलन की घटनाओं को रोकने के लिये संधारणीय विकास को प्राथमिकता देते हुए संस्थागत वनीकरण को बढ़ावा दिया जाना चाहिये। साथ ही पश्चिमी घाट के संदर्भ में गाडगिल समिति की अनुशंसाओं को भी अमल में लाना चाहिये।

प्रश्न: 5. गोंडवानालैंड के देशों में से एक होने के बावजूद भारत के खनन उद्योग अपने सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) में बहुत कम प्रतिशत का योगदान देता है। विवेचना कीजिये।

(150 शब्दों में उत्तर दीजिये) 10

उत्तर: भारत प्राचीनतम भूसंहतियों में से एक गोंडवानालैंड का भाग है तथा यहाँ विभिन्न खनिज संपदाओं से संपन्न चट्टानी तंत्र (जैसे- प्री-कैंब्रियन, पैलोजोइक, मेसोजोइक के समय की चट्टानें) पाए जाते हैं। भारत में लगभग 95 प्रकार के खनिज मिलते हैं, इसके बावजूद भारत में सकल घरेलू उत्पाद में खनन क्षेत्र का योगदान लगभग 2.4 से 3 प्रतिशत ही है, जो कि संभावनाओं और क्षमता की तुलना में काफी कम है, जिसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं-

आर्थिक कारण

- भारत में खनिज संपन्न क्षेत्रों का वितरण तितर-बितर है, जिससे उत्खनन, परिवहन आदि की लागत बढ़ जाती है।
- आधुनिक तकनीकों व कुशल कामगारों की कमी, उपयुक्त अवसंरचना का अभाव तथा वित्तीयन की कमी भी खनन उद्योग के विकास को प्रभावित करती है।
- अवैध खनन गतिविधियों से भी आर्थिक नुकसान होता है। ध्यातव्य है कि वर्ष 2019-20 में अवैध खनन से संबंधित 72,560 मामले रिकॉर्ड किये गए थे।
- खनिज अन्वेषण के क्षेत्र में भारत, ऑस्ट्रेलिया व दक्षिण अफ्रीका जैसे गोंडवानालैंड वाले देशों की अपेक्षा काफी पीछे है। वस्तुत: भारत अभी कुल रिज़र्व क्षेत्र का लगभग 20 प्रतिशत ही अन्वेषित कर पाया है, जो ऑस्ट्रेलिया व दक्षिण अफ्रीका से काफी कम है।
- भारत में विनिर्माण उद्योग की धीमी गति भी खनन उद्योग के विकास को प्रभावित करती है।

सामाजिक एवं जनजातीय कारण

- अधिकांश खनिज समूहों का भंडारण जनजातीय क्षेत्रों में है, लेकिन खनन गतिविधियों से उनका विस्थापन होता है और उनकी सांस्कृतिक विरासत के नष्ट होने का भी खतरा रहता है तथा उचित पुनर्वास न होने पर विरोध बढ़ता है।
- कम जागरूकता के कारण जनजातियों में सरकार व स्थानीय शासन के प्रति भय व अविश्वास रहता है, जिससे वामपंथी अतिवाद को बढ़ावा मिलता है।
- खनन उद्योगों में श्रमिकों की उचित सुरक्षा व्यवस्था न होने के कारण जीवन का खतरा बना रहता है और अवैध खनन गतिविधियाँ (जैसे-रैट होल माइनिंग) खनन दुर्घटनाओं को बढ़ावा देती हैं।

पर्यावरणीय कारण

- खनन उद्योगों की स्थापना एवं संचालन में पर्यावरण और जैवविविधता का ह्रास होता है।
- इसके अतिरिक्त खनन उद्योग उस क्षेत्र की वायु, मृदा व जल को संदूषित कर देते हैं, जिससे उस क्षेत्र की जनता के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है तथा फाइब्रोसिस, सिलिकोसिस जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है।

राजनीतिक व प्रशासनिक कारण

- खानों के आवंटन एवं लाइसेंसिंग में लालफीताशाही और भ्रष्टाचार की समस्या।
- पर्यावरणीय अनापत्तियों को जारी करने में विलंब तथा विभिन्न प्रकार के करों का बोझ।
- सार्वजनिक उपक्रमों के एकाधिकार के कारण नवाचार एवं प्रतिस्पर्द्धा का अभाव।

इन सब कारणों के मद्देनज़र खनन क्षेत्र की वृद्धि को सुनिश्चित करने हेतु भारत सरकार ने राष्ट्रीय खनिज नीति, 2019 को मंज़ूरी दी है तथा कोयला खनन क्षेत्र में शत प्रतिशत FDI (स्वचालित मार्ग) को अनुमति प्रदान की है। साथ ही खनन क्षेत्र में अनुसंधान को प्रोत्साहित करने हेतु सत्यभामा पोर्टल एक शानदार पहल है।

प्रश्न: 6. शहरी भूमि उपयोग के लिये जल निकायों से भूमि-उद्धार के पर्यावरणीय प्रभाव क्या हैं? उदाहरणों सहित समझाइये।

(150 शब्दों में उत्तर दीजिये) 10

उत्तर: मानव के जीवित रहने तथा गुणवत्तापूर्ण जीवन हेतु जल व जल निकायों की पर्याप्त उपलब्धता एक अनिवार्य शर्त है, लेकिन शहरी भूमि के अधिकाधिक उपयोग हेतु मानव प्रेरित भूमि-उद्धार (जलीय निकायों से भूमि प्राप्त करना) जलीय निकायों के ह्रास को बढ़ावा दे रहा है, जिसके पर्यावरणीय दुष्प्रभावों को निम्नांकित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है-

जैवविविधता का ह्रास

- जलीय निकायों के किनारे अनियोजित नगरीकरण, आवासीय क्षेत्र व व्यावसायिक भवन का निर्माण आदि जलाशयों की जैवविविधता का ह्रास करता है; जैसे-डल झील (श्रीनगर), हुसैन सागर झील (हैदराबाद) के आसपास निर्माण कार्य से वहाँ की जैवविविधता का ह्रास।

शहरी बाढ़ में वृद्धि

- अनियोजित नगरीकरण, शहरों में कंक्रीट संरचना की बढ़ोतरी, वनोन्मूलन, जलीय निकायों की संख्या व विस्तार में कमी से वर्षा जल के उचित निकास के अभाव के कारण शहरी बाढ़ की नियमितता में वृद्धि होती है। वस्तुत: जलाशय स्पंज या बफर की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन इनका ह्रास शहरी बाढ़ों की बारंबारता को बढ़ाता है। उदाहरण- चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद व दिल्ली में शहरी बाढ़।

जलीय निकायों में प्रदूषण

- जलाशयों में घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थों के प्रवाहित होने से सुपोषण के कारण जलीय निकायों में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाने से जलीय क्षेत्र जैविक मरुस्थल व मृत क्षेत्र में बदल जाते हैं। भूजल एवं जलाशयों में आर्सेनिक, फ्लोराइड, क्रोमियम

जैसे प्रदूषकों के घुलने से पेयजल अत्यंत विषाक्त हो जाता है, जो कई गंभीर बीमारियों का कारण बनता है। पश्चिम बंगाल एवं पंजाब में आर्सेनिक युक्त जल के उपयोग से रक्त विकार, हाइपरकेराटोसिस, स्थानिक अरक्तता (इस्केमिया) आदि होने का खतरा है।

नगरीय ऊष्मा द्वीप

- जल निकायों व आर्द्रभूमियों के ह्रास से नगर हीट चैंबर के रूप में तब्दील होते जा रहे हैं। वस्तुत: जलीय निकाय सूक्ष्म जलवायविक दशाओं के निर्धारण एवं स्वस्थ पारितंत्र के लिये महत्त्वपूर्ण होते हैं। इनके अभाव में नगरीय पर्यावरणीय दशाओं के अवक्रमण का खतरा बढ़ जाता है।
- शहरी क्षेत्रों में जलीय निकायों के समाप्त होने से जल प्रतिबल (Water Stress) में बढ़ोतरी होती है और निरंतर बढ़ती शहरी जनसंख्या से भूजल पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। परिणामत: शहरों में जल संकट देखने को मिलता है। उदाहरण-2019 में चेन्नई का जल संकट।

नगर आर्थिक विकास का इंजन माने जाते हैं, किंतु नगरों के धारणीय विकास हेतु जलीय निकायों का संरक्षण व अनुरक्षण अति आवश्यक है। अत: इस हेतु संधारणीय नगरीकरण (जैसे-स्पंज सिटी), उचित जल निकासी व वाटर हार्वेस्टिंग तथा एक उचित वेटलैंड पॉलिसी की व्यवस्था की जानी चाहिये।

प्रश्न: 7. 2021 में घटित ज्वालामुखी विस्फोटों की वैश्विक घटनाओं का उल्लेख करते हुए क्षेत्रीय पर्यावरण पर उनके द्वारा पड़े प्रभाव को बताइये।

(150 शब्दों में उत्तर दीजिये) 10

उत्तर: ज्वालामुखी से तात्पर्य उस दरार या छिद्र से है, जिसके माध्यम से लावा, गैस, राख, पत्थर के टुकड़े तथा तरल पदार्थ आदि का स्राव होता है। विशिष्ट तौर पर पृथ्वी के भीतर मैग्मा की उत्पत्ति से लेकर उद्गार तक की संपूर्ण क्रिया को ज्वालामुखीयता कहा जाता है। विश्व की 90 प्रतिशत से अधिक ज्वालामुखी विस्फोट की घटनाएँ प्लेट सीमांत पर ही घटित होती हैं, इनमें से 75 प्रतिशत विस्फोट पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में होता है। वर्ष 2021 में भी अधिकांश ज्वालामुखी विस्फोट विभिन्न प्लेट सीमांतों में हुए हैं।

वर्ष 2021 में माउंट सांगे (इक्वाडोर), माउंट सेमेरू (इंडोनेशिया), आइसलैंड, ला पालमा द्वीप (स्पेन), ला सॉफरियर (सेंट विंसेंट), माउंट ताल (फिलीपींस) आदि क्षेत्रों में हुए ज्वालमुखी विस्फोटों ने आर्थिक, सामाजिक हानि के साथ-साथ क्षेत्रीय पर्यावरण को भी प्रभावित किया है।

ज्वालामुखी घटनाओं का क्षेत्रीय पर्यावरण पर प्रभाव

- ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाले धूलकण व एरोसॉल वायुमंडल में एक चादर जैसा आवरण बना देते हैं, जिससे धरातल पर सूर्यातप की पर्याप्त मात्रा नहीं पहुँच पाती। फलत: तापमान में कमी आ जाती है।
- विस्फोट से निकलने वाली गैसें क्षेत्रीय स्तर पर VOG (Volcanic material + Fog) के निर्माण में योगदान देती हैं, जिससे वायु प्रदूषण बढ़ता है।
- उपोत्पाद के रूप में निकली सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडल में पहुँचकर अम्लीय वर्षा का कारण बनती है। साथ ही विस्फोट से निकलने वाली गैसें, धूलकण आदि क्षेत्रीय स्तर पर संक्रामक एवं श्वसन संबंधी बीमारियों को बढ़ाते हैं।
- ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान निकलने वाले पदार्थ जल प्रदूषण को भी बढ़ाते हैं।
- ज्वालामुखी विस्फोट से क्षेत्रीय जैवविविधता का ह्रास होता है।
- विस्फोट के उपरांत लावा का प्रवाह आसपास के क्षेत्रों के भूमि उपयोग, इकोनॉमी, कृषि एवं हैबिटेट को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है।
- ज्वालामुखी की घटना द्वितीय आपदा के रूप में भूकंप, सुनामी एवं भूस्खलन की प्रवणता को बढ़ा देती है।

यद्यपि ज्वालामुखी विस्फोट के गंभीर परिणाम देखने को मिलते हैं, लेकिन यह घटना द्वीप, पठार व पर्वत के निर्माण में, भूमि की उर्वरता को बढ़ाने व दुर्लभ खनिजों की प्राप्ति आदि में सहायक भी है।

प्रश्न: 8. भारत को एक उपमहाद्वीप क्यों माना जाता है? विस्तारपूर्वक उत्तर दीजिये।

(150 शब्दों में उत्तर दीजिये) 10

उत्तर: महाद्वीप का वह भाग जो आकार में महाद्वीप से छोटा होता है, किंतु अन्य सभी विशेषताएँ महाद्वीप के समतुल्य होती हैं, उपमहाद्वीप कहलाता है। भारत को उपमहाद्वीप मानने के पीछे निम्नलिखित कारण उत्तरदायी हैं-

भौगोलिक अवस्थिति

भारतीय प्लेट के यूरेशियन प्लेट से टकराने के कारण हिमालय की उत्पत्ति हुई, जो भारत की उत्तरी, उत्तर-पश्चिमी व उत्तर-पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है और भारत को महाद्वीप के अन्य देशों से अलग करता है; जबकि हिंद महासागर दक्षिणी, पश्चिमी एवं पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है।

जलवायवीय विविधता

भारत के पश्चिमी घाट व उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय जलवायु, थार क्षेत्र में मरुस्थलीय जलवायु, लद्दाख, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में ध्रुवीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है और मानसूनी जलवायु इस जलवायविक विविधता को एक अद्वितीय विशिष्टता प्रदान करती है। जलवायु के आधार पर भारत में व्यापक जैवविविधता भी मौजूद है।

वानस्पतिक विविधता

भारत में प्राकृतिक वनस्पति के संदर्भ में व्यापक विविधता पाई जाती है। यहाँ आर्द्र सदाबहार वनस्पतियों से लेकर पर्णपाती, सवाना, मैंग्रोव, कँटीली व मरुस्थलीय तथा अल्पाइन व टुंड्रा वनस्पतियाँ पाई जाती हैं।

सांस्कृतिक विविधता

भारत में भाषायी, नस्लीय, धार्मिक, वेशभूषा के स्तर पर विविधताएँ विद्यमान हैं-

- भारत में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है तथा हज़ारों बोलियाँ संवाद में प्रयुक्त की जाती हैं।
- भारत में प्रोटो-ऑस्ट्रेलॉयड, भूमध्यसागरीय, मंगोलॉयड, नीग्रो, नार्डिक जैसी प्रजातियाँ पाई जाती हैं।
- भारत में विश्व के लगभग सभी धर्मों व संप्रदायों को मानने वाले लोग विद्यमान हैं और सभी के मध्य सह-अस्तित्व व सामासिकता मौजूद है।

उपर्युक्त विशेषताओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि जितनी भी विशेषताएँ प्राय: एक महाद्वीप में उपस्थित होती हैं, वे सभी भारत में मौजूद हैं, इसीलिये भारत को एक उपमहाद्वीप माना जाता है। ध्यातव्य है कि भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत भारत के अतिरिक्त पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका एवं मालदीव को भी शामिल किया जाता है।

प्रश्न: 9. मुख्यधारा के ज्ञान और सांस्कृतिक प्रणालियों की तुलना में आदिवासी ज्ञान प्रणाली की विशिष्टता की जाँच कीजिये।

(150 शब्दों में उत्तर दीजिये) 10

उत्तर: भारत ही नहीं दुनिया भर में जनजातियों (आदिवासियों) के विशिष्ट ज्ञान और सांस्कृतिक प्रणालियाँ हैं। जनजातियों ने अपने ज्ञान और सांस्कृतिक अनुभव की विशिष्ट समझ को संरक्षित किया है, जो उन्हें विभिन्न परिस्थितियों में मानव, मानवेतर और अन्य विषयों के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करने में सहायता करता है।

जनजातीय ज्ञान और संस्कृति की विशिष्टता

- मुख्यधारा की ज्ञान प्रणालियाँ औपचारिक शिक्षा और सामाजिक व्यवस्था जैसी बाधाओं से बंधी हुई हैं, जबकि जनजातीय ज्ञान प्रणाली समावेशी और समानता के सिद्धांत पर आधारित है।
- मुख्यधारा के ज्ञान से संबंधित साक्ष्य पुस्तकों, पांडुलिपियों और वास्तुकला से प्राप्त होते हैं, जबकि जनजातीय ज्ञान के साक्ष्य परंपरागत लोकगीत, नृत्य, चित्रकारी आदि में देखे जा सकते हैं।
- मुख्यधारा में पर्यावरण संरक्षण, अनुसंधान तथा वैज्ञानिक साक्ष्य पर आधारित है, जिसके क्रियान्वयन हेतु पेरिस अभिसमय जैसे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग किये जा रहे हैं, जबकि जनजातियों के लिये प्रकृति संस्कृति और आस्था का विषय है। जैसे- असम की तिवा जनजाति की परंपरा और संस्कृति प्रकृति के साथ घनिष्ठ संबंध में रहने की रही है।
- मुख्यधारा के समाज में बिखराव दिखाई पड़ता है तथा यह सामाजिक और आर्थिक आधार पर अत्यधिक विभाजित है, जबकि जनजातियों में अपनी जनजाति के प्रति अपनेपन और सहयोग की भावना है। जनजातियों की संस्कृति में अपने समुदाय के प्रति तो सहयोग का भाव है, किंतु जनजाति से इतर लोगों के प्रति असुरक्षा का भाव है; जैसे- अंडमान की सेंटिनली जनजाति।
- मुख्यधारा का ज्ञान बीमारियों को ठीक करने के लिये आधुनिक दवाओं और तकनीकों का उपयोग करता है, जबकि जनजातियों की ज्ञान परंपरा में सदियों से बीमारियों से लड़ने के लिये पौधों और पारंपरिक औषधियों का उपयोग किया जाता है। उदाहरण हेतु, त्वचा संबंधी रोग उपचार के लिये एलोवेरा का उपयोग।

जनजातियों के पास पारंपरिक ज्ञान और संस्कृति की अकूत संपदा है, जिसे मुख्यधारा से संवाद और समन्वय स्थापित करके न केवल संरक्षित किया जा सकता है, अपितु मानव कल्याण और समावेशी विकास को भी बढ़ावा दिया जा सकता है।

प्रश्न: 10. भारत में महिलाओं के सशक्तीकरण की प्रक्रिया में 'गिग इकोनॉमी' की भूमिका का परीक्षण कीजिये।

(150 शब्दों में उत्तर दीजिये) 10

उत्तर: 'गिग इकोनॉमी' एक ऐसी मुक्त बाज़ार व्यवस्था है, जहाँ पारंपरिक पूर्णकालिक रोज़गार की बजाय अस्थायी रोज़गार का प्रचलन होता है। इसके तहत कंपनियाँ या संगठन अपनी अल्पकालिक या विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये स्वतंत्र श्रमिकों के साथ अनुबंध करते हैं। गिग इकोनॉमी देश और दुनिया भर में बढ़ती बेरोज़गारी का एक समाधान भी देती है। इसके अंतर्गत ओला, उबर, अमेजॉन, ज़ोमाटो आदि जैसे प्लेटफॉर्म सम्मिलित हैं।

गिग इकोनॉमी की महिला सशक्तीकरण में भूमिका

- घरेलू महिलाओं के लिये अधिक आर्थिक अवसर की उपलब्धता क्योंकि कार्य के समय चयन करने की स्वतंत्रता अधिक लचीलापन प्रदान करती है।
- नियोजकों को सामाजिक सुरक्षा और मातृत्व लाभ अधिनियम जैसे कानूनों का पालन नहीं करना पड़ता है, जिससे महिलाओं को उनकी गर्भावस्था की अवधि के बावजूद भर्ती कर सकते हैं।
- स्नैपडील, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट आदि प्लेटफॉर्म के माध्यम से महिलाएँ अपने पारंपरिक उत्पादों को बेचने में सक्षम हुई हैं।
- डिजिटल प्रौद्योगिकी के बढ़ते प्रचलन से वर्चुअल वर्किंग में महिलाओं के लिये नए अवसर खुले हैं तथा वे ऐप और फोन कॉल के माध्यम से कार्य करने में सक्षम हुई हैं।

महिला सशक्तीकरण की दिशा में गिग इकोनॉमी के साथ-साथ जेंडर संवेदीकरण कार्यक्रमों को बढ़ावा देने, घरेलू हिंसा अधिनियम आदि का सफल कार्यान्वयन और महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी को बढ़ावा देने जैसे प्रयास भी करने चाहिये।

प्रश्न: 11. नरमपंथियों की भूमिका ने किस सीमा तक व्यापक स्वतंत्रता आंदोलन का आधार तैयार किया? टिप्पणी कीजिये।

(250 शब्दों में उत्तर दीजिये) 15

उत्तर: कांग्रेस की स्थापना के पश्चात् उसके आरंभिक नेताओं ने जो नीतियाँ राष्ट्रीय आंदोलन के लिये अपनाईं, उनके कारण उन्हें नरमपंथी कहा गया। नरमपंथी नेताओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती जनता को राजनीतिक अधिकारों के प्रति जागरूक करना और ब्रिटिश शोषण के खिलाफ उन्हें संगठित और आंदोलित करना था।

इसके लिये उन्होंने पहले के तीव्र और असतत प्रतिरोध के स्थान पर धीमे और सतत प्रतिरोध की नीति अपनाई। सर्वप्रथम नरमपंथी नेताओं ने साम्राज्यवाद की अर्थशास्त्रीय आलोचना की तथा भारत में औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था यानी कच्चा माल का निर्यात, तैयार माल का आयात तथा पूंजी निवेश का तीव्र विरोध किया। उन्होंने भारत की निर्धनता को दूर करने के लिये आधुनिक उद्योगों का तीव्र विकास करने की ब्रिटिश सरकार से मांग की।

भारत से इंग्लैंड भेज दी जाने वाली दौलत पर रोक लगाने, किसानों पर कर का बोझ कम करने, बागान मज़दूरों की कार्य-स्थितियों को बेहतर बनाने की मांग की। उन्होंने 'प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं' का नारा बुलंद कर विधायी परिषदों में भारतीयों के निर्वाचन की मांग की। नरमपंथी नेताओं ने इसी क्रम में ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर 'स्वशासन' का दावा भी पेश किया।

उनकी एक अन्य मांग थी प्रशासनिक सेवाओं के उच्चतर पदों का भारतीयकरण किया जाए। उन्होंने पड़ोसी देशों के प्रति ब्रिटिश सरकार की आक्रामक नीति का विरोध किया। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि वह कल्याणकारी गतिविधियों के रूप में शिक्षा और स्वास्थ्य पर पर्याप्त खर्च करे।

इन सब मांगों के लिये नरमपंथी नेताओं ने कानून के दायरे में रहकर संवैधानिक आंदोलन चलाया तथा धीरे-धीरे व्यवस्थित ढंग से राजनीतिक प्रगति की। आरंभिक राष्ट्रवादियों ने भारतीय जनता को शिक्षित करने के लिये पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन किया, यथा दादाभाई ने 'रस्त गोफ्तार', सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 'बंगाली', गोपाल कृष्ण गोखले ने 'सुधारक' को प्रकाशित किया।

चूँकि नरमपंथी नेता यह मानते थे कि जनता उग्र और जुझारू आंदोलन के लिये अभी तैयार

नहीं है। अत: वे ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कोई आंदोलन नहीं कर सके। वस्तुत: वे ब्रिटिश शासन के समक्ष केवल याचना और मांग ही प्रस्तुत कर सकें।

इन अर्थों में नरमपंथियों ने व्यापक स्वतंत्रता आंदोलन का आधार तैयार किया। उन्होंने एक व्यापक राष्ट्रीय जागृति लाने तथा जनता में एक ही भारतीय राष्ट्र का सदस्य होने की भावना जगाने में सफलता प्राप्त की। इसके साथ उन्होंने जनता को राजनीतिक कार्य में प्रशिक्षित किया। साम्राज्यवाद की उनकी आर्थिक आलोचना बाद के राष्ट्रीय आंदोलन का महत्त्वपूर्ण अस्त्र बन गई। उनके आंदोलन की महत्त्वपूर्ण कमी थी कि वे जनता को आंदोलन में शामिल नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने वह बुनियाद बनाई जिस पर राष्ट्रीय आंदोलन और विकसित हुआ।

प्रश्न: 12. असहयोग आंदोलन एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यक्रमों को स्पष्ट कीजिये।

(250 शब्दों में उत्तर दीजिये) 15

उत्तर: असहयोग आंदोलन के दौरान एवं उसके पश्चात् तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी गांधी जी ने कुछ सकारात्मक कार्यक्रमों की घोषणा की थी जिन्हें रचनात्मक कार्यक्रम कहा गया। चूँकि कोई भी आंदोलन सतत नहीं चलाया जा सकता अथवा उसके प्रति लोगों का समर्थन अनवरत हासिल नहीं किया जा सकता। अत: गांधी जी ने 'संघर्ष-विराम-संघर्ष' की रणनीति अपनाई। जब सक्रिय आंदोलन होता था, तब नकारात्मक कार्यक्रम अर्थात् बिटिश सरकार और उनके संस्थानों का बहिष्कार किया जाता था। उनकी नौकरियों, पदवियों का त्याग/कर न देना/स्कूल और न्यायालय का बहिष्कार/विदेशी वस्त्रों की होली जलाना आदि।

जब सक्रिय आंदोलन नहीं होता था, यानी विराम काल में रचनात्मक कार्यक्रमों के द्वारा लोगों को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़े रखा गया तथा सामाजिक सुधारों को गति प्रदान करने के लिये निम्न कार्यक्रम आरंभ किये गए–

- संपूर्ण देश में सैकड़ों खादी आश्रमों की स्थापना की गई, जहाँ लोगों ने महिलाओं, आदिवासियों के साथ मिलकर कताई-बुनाई का प्रशिक्षण लिया, जिससे उनको कार्य करने और स्वावलंबी बनने की प्रेरणा मिली।
- अनेक राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना करके युवाओं को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा गया।
- हिंदू-मुस्लिम एकता के लिये सतत प्रयास किया गया।
- अस्पृश्यता के विरुद्ध कार्य किया गया। गांधी जी ने छूआछूत को भारतीय समाज का सबसे बड़ा रोग बताया।
- बाढ़-पीड़ितों को सहायता देने का कार्यक्रम चलाया गया।

यद्यपि रचनात्मक कार्यक्रमों का लाभ शहरी निम्न मध्यम वर्ग एवं समृद्ध कृषकों को ही मिला। भूमिहीन, दलित तथा मज़दूरों को विशेष लाभ इन रचनात्मक कार्यक्रमों द्वारा नहीं पहुँचा। फिर भी रचनात्मक कार्यक्रमों की महती उपलब्धि यह रही कि जनता को जन-आंदोलनों के साथ जोड़े रखा जा सका। धीरे-धीरे ही सही इन्हीं रचनात्मक कार्यक्रमों की बदौलत छूआछूत और सांप्रदायिकता की समस्या से प्रभावी मुकाबला किया जा सका। खादी आश्रमों की स्थापना से कुटीर उद्योगों की एक शृंखला को जन्म दिया गया जिससे जुड़कर अनेक भारतीय स्वावलंबी बन सके तथा उनकी न्यूनतम आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति की गई।

प्रश्न: 13. "दोनों विश्वयुद्धों के बीच लोकतंत्रीय राज्य प्रणाली के लिये गंभीर चुनौती उत्पन्न हुई।" इस कथन का मूल्यांकन कीजिये।

(250 शब्दों में उत्तर दीजिये) 15

उत्तर: प्रथम एवं द्वितीय विश्वयुद्धों के मध्य लोकतांत्रिक राज्य प्रणाली को गंभीर चुनौती का सामना करना पड़ा, जिसके निम्न कारण हो सकते हैं–

- युद्ध में संसाधनों के नष्ट होने से पराजित देशों के साथ-साथ विजित देशों में भी आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया तथा पुनर्निर्माण की आवश्यकता ने जन्म लिया।
- आर्थिक संकट का समाधान जब एक लोकतांत्रिक सरकार न कर सकी, तो उस समय लोकतांत्रिक रूप से मतदान करके दूसरी सरकार बनाई गई। जब वह भी असफल रही, तो लोकतांत्रिक प्रणाली को ही इस संकट का कारण माना जाने लगा और धुर दक्षिणपंथी राष्ट्रवादी सरकारों की मांग की जाने लगी, जो वस्तुत: तानाशाही सरकारें थीं।
- प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान रूस में हुई समाजवादी क्रांति ने समूचे यूरोप में समाजवाद का प्रसार किया, जिसके फलस्वरूप लगभग प्रत्येक राष्ट्र में समाजवादी और साम्यवादी दल का गठन हुआ। इन दलों के उभार ने पूंजीवादी शक्तियों को चिंता में डाल दिया, क्योंकि इनकी सरकार बनने का अर्थ था, पूंजी का राष्ट्रीयकरण और पूंजीवाद का सफाया। इस कारण पूंजीपतियों ने साम्यवाद विरोधी उग्र राष्ट्रवादी दलों को अपना सहयोग दिया, जिससे वे सरकार बनाने की दिशा में अग्रसर हुए।
- यद्यपि इटली प्रथम विश्वयुद्ध में विजित पक्ष का सदस्य था, लेकिन पेरिस के शांति समझौतों द्वारा उसे वह नहीं मिला, जो उससे वादा किया गया था, जिससे उसके राष्ट्रीय आत्मसम्मान पर चोट पहुँची। दूसरे विश्वयुद्ध द्वारा उत्पन्न आर्थिक संकट का समाधान वहाँ की लोकतांत्रिक सरकारें नहीं कर सकीं। बढ़ती बेरोज़गारी का समाधान और राष्ट्रीय अपमान का बदला लेने के नाम पर मुसोलिनी की फाँसीवादी सरकार जो उग्र राष्ट्रवादी और दक्षिण पंथी सरकार थी, ने इटली की सत्ता सँभाली, लेकिन तानाशाही सरकार ने इटली को द्वितीय विश्वयुद्ध की तरफ धकेल दिया।
- अमेरिका में आई 1929 ई. की आर्थिक महामंदी ने पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लिया। प्रथम विश्वयुद्ध में पराजित जर्मनी पर भारी जुर्माना लगाया गया था, जिसकी भरपाई के लिये उसका आर्थिक पुनर्निर्माण आवश्यक था। वहाँ की लोकतांत्रिक वाइमर गणतंत्र को अमेरिका ने आर्थिक सहयोग देना आरंभ किया, जिसके फलस्वरूप वहाँ लोकतंत्र मज़बूत होने लगा, लेकिन जैसे ही अमेरिका स्वयं आर्थिक संकट में फँसा, उसकी मदद जर्मनी को मिलनी बंद हुई और वहाँ हिटलर की नाज़ी पार्टी का उभार होने लगा। अंतत: हिटलर ने सत्ता सँभाली और शीघ्र ही द्वितीय विश्वयुद्ध के दरवाज़े पर विश्व को खड़ा कर दिया।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रथम विश्वयुद्ध जनित आर्थिक संकटों ने लोकतांत्रिक राज्य प्रणाली के लिये गंभीर चुनौती प्रस्तुत की।

प्रश्न: 14. विश्व की प्रमुख पर्वत शृंखलाओं के सरेखण का संक्षिप्त उल्लेख कीजिये तथा उनके स्थानीय मौसम पर पड़े प्रभावों का सोदाहरण वर्णन कीजिये।

(250 शब्दों में उत्तर दीजिये) 15

उत्तर: एक ही काल में निर्मित विभिन्न पर्वतों के निश्चित क्रम को पर्वत शृंखला कहा जाता है। विश्व की प्रमुख पर्वत शृंखलाओं के सरेखण एवं स्थानीय मौसम पर पड़ने वाले उनके प्रभावों को निम्नांकित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है–

हिमालय

- हिमालय एक चाप के आकार में पश्चिम से पूर्व की ओर फैला हुआ है। भारतीय प्लेट के यूरेशियन प्लेट से टकराने पर हिमालय की उत्पत्ति हुई है। इसका पश्चिमी भाग पूर्वी भाग की तुलना में अधिक चौड़ा है।
- मानसूनी पवनों के अवरोधक के रूप में कार्य कर दक्षिण की ओर वर्षा कराता है, जबकि उत्तर की ओर वृष्टि छाया प्रदेश का निर्माण कर ठंडे मरुस्थलों; जैसे-लद्दाख, तकलामकान आदि के निर्माण में सहायता प्रदान करता है।
- यह साइबेरिया की शीत लहरों से भारतीय उपमहाद्वीप की रक्षा करता है तथा भारतीय जलवायु को समग्रता में उष्णकटिबंधीय स्वरूप प्रदान करने में सहायक है।
- हिमालय का उच्च एल्बिडो भारतीय उपमहाद्वीप के ऊष्मा बजट को निर्धारित करता है।
- जेट स्ट्रीम को नियंत्रित कर पश्चिमी विक्षोभ के माध्यम से वर्षा कराता है, जो गेहूँ की फसल के लिये लाभकारी एवं उत्तर भारत में शीत लहर के लिये उत्तरदायी होती है।

आल्प्स

- अफ्रीकी एवं यूरेशियन प्लेट के टकराने से इस वलित पर्वत शृंखला का निर्माण हुआ। यह यूरोप की सबसे ऊँची पर्वत शृंखला है। यह पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तृत है।
- यह श्रेणी दक्षिणी यूरोप एवं यूरेशिया क्षेत्र में वर्षण प्रतिरूप को प्रभावित करती है।
- यह पर्वत श्रेणी पवनों के संचरण को भी प्रभावित करती है। वस्तुत: जब फॉन पवन पर्वत से नीचे शुष्क एवं गर्म हवा के रूप में उतरती है तो हिम को पिघला देती है, जिससे चरागाह पशुओं के चरने योग्य बन जाते हैं और अंगूरों को शीघ्र पकने में सहायता भी मिलती है।

एंडीज़

- एंडीज़ पर्वत शृंखला विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रेणी है, जो दक्षिणी प्रशांत महासागर के समानांतर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है।
- यह शृंखला व्यापारिक एवं पछुवा पवनों को रोककर क्रमश: अपने उत्तरी, पूर्वी तथा दक्षिण-पश्चिम के पवनामुखी ढाल में वर्षा कराती है।
- वृष्टि छाया प्रदेश का निर्माण कर यह शृंखला अटाकामा मरुस्थल के निर्माण में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
- एंडीज़ शृंखला के दक्षिणी छोर के पूर्वी ढाल से उतरने वाली गर्म व शुष्क पवन ज़ोन्डा हिम को पिघलाकर पंपास के मैदानों के निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

रॉकीज़

- उत्तर-दक्षिण की ओर उत्तरी प्रशांत महासागर के समानांतर विस्तृत यह श्रेणी उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी पर्वत शृंखला है।
- प्रशांत महासागर से आने वाली पवनें पवनामुखी ढाल पर वर्षा करती हैं, जबकि पवनाविमुख क्षेत्र पर मरुस्थल निर्माण की दशाएँ बनती हैं; जैसे-ग्रेट बेसिन मरुस्थल।
- रॉकीज़ शृंखला के पूर्वी ढालों के सहारे उतरने वाली गर्म व शुष्क पवन चिनूक पशुओं के लिये लाभदायक होती है। वस्तुत: इसके आगमन से चरागाह बर्फमुक्त हो जाते हैं।

उपर्युक्त पर्वत शृंखलाओं के अतिरिक्त एटलस, अप्लेशियन, यूराल, पश्चिमी घाट, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज़ जैसी कई अन्य शृंखलाएँ भी हैं, जिनका संरेखण दक्षिण-पश्चिम से उत्तर-पूर्व, उत्तर से दक्षिण की ओर या अन्य दिशाओं में देखने को मिलता है।

पर्वतीय शृंखलाएँ स्थानीय मौसम के साथ-साथ वैश्विक जलवायु एवं लोगों की जीवन-शैली को भी प्रभावित करती हैं। हरेक पर्वत शृंखला में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ एवं जैवविविधता प्रचुरता में विद्यमान रहती है। इसीलिये जैवविविधता से युक्त पर्वतीय पर्यावरण का संरक्षण बहुत ज़रूरी है। FAO की एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व की लगभग 15 प्रतिशत जनसंख्या पर्वतीय क्षेत्र में रहती है। अत: पर्वतीय क्षेत्र का संरक्षण सांस्कृतिक एवं आर्थिक स्तर पर भी अत्यावश्यक है।

प्रश्न: 15. आर्कटिक की बर्फ और अंटार्कटिक के ग्लेशियरों का पिघलना किस तरह अलग-अलग ढंग से पृथ्वी पर मौसम के स्वरूप और मनुष्य की गतिविधियों पर प्रभाव डालते हैं? स्पष्ट कीजिये।

(250 शब्दों में उत्तर दीजिये) 15

उत्तर: भूसंहतियों के समीप अवस्थित आर्कटिक महासागर सतत महसागरीय हिम से आच्छादित है, जबकि सुदूर दक्षिण में अवस्थित अंटार्कटिक एक हिमनद आवरित महाद्वीप है। जलवायु परिवर्तन ने ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाया है। फलत: विश्व के प्रशीतक के रूप में मौजूद आर्कटिक एवं अंटार्कटिक दोनों के हिमनदों के पिघलने की दर में वृद्धि हुई है।

IPCC की रिपोर्ट के अनुसार आर्कटिक की बर्फ अंटार्कटिक के ग्लेशियर की अपेक्षा अधिक तीव्र गति से पिघल रही है। चूँकि आर्कटिक एवं अंटार्कटिक की अवस्थिति व प्रकृति में अंतर है। अत: इनकी बर्फ व ग्लेशियरों के पिघलने से मौसम के प्रतिरूप एवं मानवीय क्रियाकलापों पर भी अलग-अलग प्रभाव पड़ता है, जिसे निम्नांकित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है-

आर्कटिक की बर्फ के पिघलने का प्रभाव

- आर्कटिक की बर्फ के पिघलने से एल्बिडो प्रभाव कम होगा, जिससे तापमान में वृद्धि होगी और पोलर जेट स्ट्रीम कमज़ोर होगी फलस्वरूप मध्य अक्षांशों; जैसे-अमेरिका, यूरोप क्षेत्र में पोलर वर्टेक्स का नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा।
- आर्कटिक की बर्फ पिघलने से निम्न अक्षांशों की ओर आने वाली ठंडी महसागरीय धाराओं (जैसे-पूर्वी ग्रीनलैंड धारा) की प्रकृति में परिवर्तन से शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है।
- AMOC (अटलांटिक मेरिडियोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन) की प्रक्रिया प्रभावित होती है।
- ENSO चक्र अनियमित हो जाएगा। फलत: अलनीनो की घटनाओं में वृद्धि होगी। इसका भारतीय मानसून पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा।
- आर्कटिक क्षेत्र की जैवविविधता का ह्रास होगा। वस्तुत: यहाँ के ध्रुवीय भालू, आर्कटिक लोमड़ी व अन्य समुद्री जीवों के हैबिटेट का पतन होगा।
- आर्कटिक बर्फ के पिघलने से समुद्री जल-स्तर में वृद्धि होगी। फलत: समुद्रतटीय शहरों व देशों के निमग्न होने का खतरा बढ़ जाएगा।
- आर्कटिक पर्माफ्रॉस्ट के पिघलने से बड़ी मात्रा में मीथेन गैस का उत्सर्जन ग्लोबल वार्मिंग के दुश्चक्र को बढ़ाता है।
- आर्कटिक बर्फ के पिघलने से नॉर्दर्न सी रूट खुल सकता है तथा इस क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों के दोहन हेतु देशों के मध्य नकारात्मक प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाएगी।
- हीट वेव में वृद्धि तथा मौसमी अनियमितता खाद्य संकट को बढ़ाएगी।

अंटार्कटिक के ग्लेशियर के पिघलने के प्रभाव

- अंटार्कटिक के ग्लेशियरों के पिघलने से अंटार्कटिक परिध्रुवीय धारा के तापमान में वृद्धि होगी।
- अलनीनो व ला-लीना की दशाओं में परिवर्तन तथा भारत में दक्षिण-पश्चिम मानसून कमज़ोर हो सकता है।
- दक्षिणी गोलार्द्ध में चक्रवातों की गहनता में वृद्धि।
- अंटार्कटिक क्षेत्र की जैवविविधता में क्षति, वस्तुत: इस क्षेत्र में पाई जाने वाली पेंगुइन व अन्य प्रजातियों के हैबिटेट का ह्रास होगा।
- हिमनद के पिघलने से समुद्री स्तर में वृद्धि होगी। फलत: दक्षिणी गोलार्द्ध के छोटे-छोटे द्वीपीय देशों के निमग्न होने का खतरा बढ़ेगा।
- अंटार्कटिक के हिमनदों के पिघलने से भी AMOC मंद गति से होगा। फलत: विश्व भर के महासागरीय बेसिन में ताप एवं पोषक तत्त्वों का वितरण दुष्प्रभावित होगा।

एक पारितंत्र के रूप में आर्कटिक और अंटार्कटिक ऊष्मा बजट को संतुलित एवं जलवायवीय दशाओं को नियंत्रित करने वाले पृथ्वी के अभिन्न अंग हैं। इनके अनवरत पिघलने से वैश्विक जलवायु तंत्र व संपूर्ण जैवमंडल पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। अत: ग्लोबल वार्मिंग के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिये संपूर्ण विश्व को संधारणीय विकास को अमल में लाना चाहिये तथा ग्रीन एनर्ज़ी के उपयोग को बढ़ावा देना चाहिये।

प्रश्न: 16. विश्व में खनिज तेल के असमान वितरण के बहुआयामी प्रभावों की विवेचना कीजिये।

(250 शब्दों में उत्तर दीजिये) 15

उत्तर: खनिज तेल वैश्विक ऊर्जा की मूलभूत आवश्यकता माने जाते हैं तथा इनका विश्व में वितरण असमान है। वस्तुत: विश्व का आधे से अधिक खनिज तेल भंडार ईरान व अरब देशों (उत्तरी अफ्रीका के देश शामिल नहीं) में मौजूद है; जबकि कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका तथा रूस में विश्व के लगभग 15 प्रतिशत खनिज तेल रिज़र्व मौजूद हैं। वहीं भारत के डिग्बोई, बंबई हाई, बसीन, अंकलेश्वर, अलियाबेट क्षेत्रों में मौजूद तेल रिज़र्व देश की ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति करने में नगण्य के बराबर हैं।

खनिज तेल के अत्यधिक सामरिक महत्त्व और दुनिया भर में इसके असमान वितरण के बहुआयामी निहितार्थ हैं, जिन्हें निम्नांकित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है-

आर्थिक प्रभाव

- खनिज तेल का असमान वितरण तेल आयातक देशों में मुद्रास्फीति को बढ़ाता है। उदाहरण के लिये, तेल के दामों में संस्थागत बढ़ोतरी भारत जैसे देश में महँगाई को बढ़ाती है तथा भुगतान संतुलन व फॉरेक्स रिज़र्व पर विपरीत प्रभाव डालती है।
- इसके अतिरिक्त तेल रिज़र्व व उत्पादक देशों का तेल निर्यात बढ़ने से राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है तथा इन देशों की ओर जॉब के लिये अन्य देशों से प्रवासन बढ़ता है।
- तेल का असमान वितरण वैश्विक स्तर पर असमान वृद्धि व विकास को बढ़ावा देते हैं। वस्तुत: आयात कीमतों में वृद्धि से सरकार की कल्याणकारी उद्देश्यों पर खर्च करने की क्षमता सीधे तौर पर बाधित होती है।

भू-राजनीतिक प्रभाव

- खनिज तेल भंडार वाले अधिकांश देशों में राजनीतिक अस्थायित्व विद्यमान रहता है; जैसे-वेनेज़ुएला में गृह युद्ध, अफ्रीकी देशों में सैन्य तख्तापलट आदि घटनाएँ अत्यधिक रिज़र्व होने के बावजूद उत्पादन की गतिविधियों पर प्रतिकूल असर डालती हैं।
- खनिज तेल रिज़र्व वाले अधिकांश देशों में अधिनायकवादी सत्ता या राजतंत्र विद्यमान है, जिससे उन देशों में मानव पूंजी के विकास पर ज़्यादा ज़ोर नहीं दिया जाता।
- खनिज तेल भंडार की प्रकृति ही सामरिक है। अत: इसका असमान वितरण रिज़र्व पर नियंत्रण हेतु क्षेत्रीय संघर्ष को बढ़ावा देता है। उदाहरण के लिये, पश्चिम एशिया में क्षेत्रीय संघर्ष।
- खनिज तेल एक अत्यावश्यक आर्थिक कमोडिटी है। अत: इसके आयात-निर्यात को प्रोत्साहित करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय संबंधों व विदेश नीति का भी सहारा लिया जाता है।

ऊर्जा सुरक्षा पर प्रभाव

- खनिज तेल की कीमतों में अतिशय वृद्धि को सुनिश्चित करने हेतु OPEC जैसे समूह व अन्य प्रमुख तेल उत्पादक देश तेल उत्पादन को नियंत्रित कर तेल संकट की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। इससे आयातक देशों में आर्थिक व राजनीतिक अस्थिरता बढ़ जाती है और उनकी सामरिक स्वायत्तता प्रभावित होती है।
- खनिज तेल के असमान वितरण व सीमित उपलब्धता के कारण तेल आयातक देशों की ऊर्जा निर्भरता तेल प्रचुर देशों पर आश्रित हो जाती है।

इकोलॉजिकल प्रभाव

- तेल प्रचुर देशों में तेलों की निष्कर्षण संबंधी प्रक्रिया में जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण होता है तथा उस क्षेत्र की मृदा का ह्रास होता है।
- तेल के निष्कर्षण से उस क्षेत्र की जैवविविधता का ह्रास होता है।
- तेल के व्यापार के कारण समुद्रों में ऑयल स्पिल की घटनाएँ समुद्री जैवविविधता के लिये अत्यंत घातक साबित होती हैं।

उपर्युक्त प्रभावों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि खनिज तेल का असमान वितरण एक ओर ऊर्जा सुरक्षा को प्रभावित करता है, तो वहीं ऊर्जा स्रोत के रूप में कार्बनिक खनिज तेल का व्यापक उपयोग ग्लोबल वार्मिंग व जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देता है। अत: अब संपूर्ण विश्व इन कार्बनिक खनिज तेलों की बजाय नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की ओर स्थानांतरित हो रहा है, जिसमें भारत भी अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का विविधीकरण कर रहा है।

प्रश्न: 17. भारत के प्रमुख शहरों में आई.टी. उद्योगों के विकास से उत्पन्न होने वाले मुख्य सामाजिक-आर्थिक प्रभाव क्या हैं?

(250 शब्दों में उत्तर दीजिये) 15

उत्तर: शहरों का भारत की जनसंख्या में लगभग 31% और सकल घरेलू उत्पाद में 63% हिस्सा है। 2030 तक, शहरी क्षेत्रों की जनसंख्या में 40% और सकल घरेलू उत्पाद में 75% हिस्सेदारी होने की संभावना है। वैश्वीकरण का प्रभाव शहरों के आर्थिक परिवर्तन तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि इससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों का सामाजिक ढाँचा भी प्रभावित हुआ है। भारत में बंगलूरू, गुरुग्राम, पुणे, चेन्नई और गौतमबुद्धनगर आईटी हब के रूप में विकसित हुए हैं।

आईटी उद्योगों के विकास के कारण सामाजिक आर्थिक ढाँचे पर मुख्य प्रभाव

- शिक्षा में सुधार और रोज़गार के नए अवसरों ने जाति व्यवस्था को कमज़ोर किया है तथा जाति का स्थान आर्थिक और व्यावसायिक वर्ग ले रहा है।
- ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों में पलायन के कारण संयुक्त परिवार का स्थान एकल परिवार ले रहा है।
- जाति व्यवस्था के शिथिल होने से सजातीय की अपेक्षा अंतर्जातीय विवाह का बढ़ता प्रचलन।
- भोजन की आदतों में बदलाव तथा पारंपरिक खाद्य पदार्थों के साथ-साथ बर्गर और पिज़्ज़ा जैसे पाश्चात्य खाद्यान्न का प्रचलन बढ़ रहा है।

- आईटी उद्योगों के आसपास छोटे-छोटे उद्योगों; जैसे- रेहड़ी-पटरी वालों, फेरी वालों इत्यादि का विकास हो रहा है, जिससे रोज़गार के नए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं।
- आईटी क्षेत्र नीति निर्माताओं के लिये राष्ट्र के सामाजिक-आर्थिक मुद्दों का समाधान करने हेतु आईसीटी प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने का द्वार खोलता है; जैसे- जैम ट्रिनिटी, डिजिटल इंडिया, कोविन पोर्टल आदि।
- आईटी सेक्टर स्टार्टअप संस्कृति लेकर आया है। इससे भारत के युवा रोज़गार मांगने की अपेक्षा रोज़गार सृजक बन रहे हैं।

इसके साथ ही आईटी उद्योग के विकास से मलिन बस्तियों का उदय, जलभराव और नगरीय बाढ़, ग्रामीण क्षेत्रों में वृद्धजनों में अलगाव की समस्या, कृषि का नारीकरण, एनसीआर क्षेत्र में बढ़ता प्रदूषण और मेट्रो शहरों में बढ़ते अपराध की समस्याएँ भी उत्पन्न हुई हैं।

आईटी उद्योग में भारत के सामाजिक-आर्थिक ढाँचे को परिवर्तित करने की पर्याप्त संभावनाएँ हैं, किंतु इसका विकास कुछ मेट्रो शहरों तक ही सीमित रह गया है। वर्तमान में श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन तथा आईटी पार्क जैसी योजनाओं के माध्यम से आईटी उद्योग का दायरा देश के समाजिक-आर्थिक पिछड़े क्षेत्रों तक प्रसारित करने की आवश्यकता है।

प्रश्न: 18. जनसंख्या शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों की विवेचना करते हुए भारत में इन्हें प्राप्त करने के उपायों पर विस्तृत प्रकाश डालिये।

(250 शब्दों में उत्तर दीजिये) 15

उत्तर: भारत की जनसंख्या वर्तमान में 1.4 बिलियन हो गई है तथा इसके वर्ष 2026 तक चीन से ज़्यादा हो जाने की संभावना है। ऐसे में भारत के लिये जनसंख्या शिक्षा अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। यूनेस्को के अनुसार, "जनसंख्या शिक्षा एक शैक्षिक कार्यक्रम है जो परिवार, समुदाय, राष्ट्र और विश्व की जनसंख्या की स्थिति के अध्ययन के लिये छात्रों में उस स्थिति के प्रति तर्कसंगत और ज़िम्मेदार दृष्टिकोण और व्यवहार विकसित करने के उद्देश्य से प्रदान की जाती है"।

जनसंख्या शिक्षा के उद्देश्य

- छात्रों में परिवार के आकार के प्रति समझ विकसित करना।
- जनसंख्या की वृद्धि के कारणों और परिणामों को समझने में व्यक्ति की सहायता करना।
- परिवार के आकार और राष्ट्रीय जनसंख्या में परिवर्तन के व्यक्ति पर प्रभाव के बारे में सटीक जानकारी प्रदान करना।
- इस तथ्य की समझ विकसित करना कि परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिये तथा युवा पीढ़ी के लिये अच्छी संभावनाएँ सुनिश्चित करने हेतु भारतीय परिवार छोटे और कॉम्पैक्ट होने चाहियें।
- व्यक्ति को यह समझने में सक्षम बनाना है कि एक विशाल जनसंख्या व्यक्ति और समाज को कैसे प्रभावित करती है।
- छात्रों को जनसंख्या शिक्षा की अवधारणा को समझने के लिये आवश्यक ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण और मूल्यों को प्राप्त करने में सक्षम करना।
- वर्तमान में जनसंख्या स्थितियों के बारे में सचेत और सही निर्णय लेने में सक्षम बनाना।
- जनसंख्या लक्ष्यों को पूरा करने में सरकार के प्रयासों में सहयोग हेतु प्रेरित करना।

जनसंख्या शिक्षा के उपाय

- स्कूली पाठ्यक्रम में 'जनसंख्या शिक्षा' नामक विषय को शामिल करना।
- जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के लिये शिक्षकों का प्रशिक्षण।
- पंचायत स्तर पर वेब सीरीज़ जैसे- पंचायत, श्रव्य-दृश्य कार्यक्रम और सम्मेलनों के माध्यम से जागरूकता।
- लड़कियों की विवाह आयु में वृद्धि तथा उनकी शिक्षा पर बल।

जनसंख्या नीति का आम लोगों के जीवन से जुड़ाव होना चाहिये और इसमें विधायिका, कार्यपालिका, नौकरशाही, मीडिया, पेशेवरों, शिक्षकों और आम जनता सहित सभी हितधारकों को सम्मिलित होना चाहिये। वास्तव में, बल या कानून के भय की अपेक्षा जनसंख्या शिक्षा और जागरूकता ही जनसंख्या नियंत्रण का समुचित उपाय हो सकती है।

प्रश्न: 19. क्रिप्टोकरेंसी क्या है? वैश्विक समाज को यह कैसे प्रभावित करती है? क्या यह भारतीय समाज को भी प्रभावित कर रही है? (250 शब्दों में उत्तर दीजिये) 15

उत्तर: क्रिप्टोकरेंसी एक प्रकार की डिजिटल करेंसी (मुद्रा) होती है, जिसमें लेन-देन संबंधी सभी जानकारियों को कूटबद्ध (Encrypt) तरीके से विकेंद्रित डेटाबेस (Decentralized Database) में सुरक्षित रखा जाता है। क्रिप्टोकरेंसी क्रिप्टोग्राफी प्रोग्राम पर आधारित एक वर्चुअल करेंसी या ऑनलाइन मुद्रा है। यह पीयर-टू-पीयर कैश सिस्टम पर आधारित है। इसने वैश्वीकरण में संपूर्ण विश्व के लिये एक मुद्रा जैसी परिकल्पना को यथार्थ किया है।

वैश्विक समाज पर प्रभाव

सकारात्मक प्रभाव

- भौतिक मुद्रा की छपाई की लागत में कमी तथा सामाजिक कल्याण हेतु अधिक धन उपलब्धता।
- जालसाजी और नकली मुद्रा से समाज का बचाव।
- सभी वर्गों के लिये एकसमान उपलब्धता।

नकारात्मक प्रभाव

- नारकोटिक्स, आतंकवाद के वित्तपोषण, मानव तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग में उपयोग।
- अवैध गतिविधियों में युवा पीढ़ी की संलिप्तता में वृद्धि तथा जनसंख्या लाभांश की हानि।
- क्रिप्टो माइनिंग अत्यंत ऊर्जा गहन है इससे ई-वेस्ट और बिजली की खपत में वृद्धि।
- एक नए डिजिटल विभाजन का कारण।
- कर चोरी से सरकार को राजस्व हानि तथा समाज कल्याण के लिये धन उपलब्धता में कमी।
- क्रिप्टोकरेंसी में एक आंतरिक मूल्य का अभाव होता है तथा यह पोंज़ी योजनाओं पर निवेश को बढ़ावा दे सकता है।
- साइबर आतंकवाद के प्रति सुभेद्यता।
- वित्तीय प्रणाली विश्वास के मूल्य पर आधारित है, जो क्रिप्टोकरेंसी में पूरी तरह से अनुपस्थित है।

भारत में क्रिप्टोकरेंसी कानूनी मुद्रा नहीं है तथा भारत सरकार और आरबीआई भारतीय समाज में इसके बढ़ते प्रचलन और उपयोग को लेकर सतर्क हैं। इसके बाद भी देश में युवा वर्ग बड़ी संख्या में क्रिप्टोकरेंसी की ओर आकर्षित हो रहा है। ये अपनी बचत और परिश्रम की कमाई को उच्च रिटर्न के लालच में क्रिप्टोकरेंसी में निवेश कर रहे हैं जिसमें अत्यधिक जोखिम है। इसके संबंध में जानकारी के अभाव में नुकसान की स्थिति में यह उन्हें महँगा भी पड़ सकता है। हालाँकि भ्रष्टाचार की जाँच करने, वित्तीय समावेशन करने, वित्तीय हस्तांतरण में दक्षता वृद्धि करने और वित्तीय धोखाधड़ी नियंत्रित करने में क्रिप्टोकरेंसी भारतीय समाज की सहायता करके लाभदायक सिद्ध हो सकती है।

क्रिप्टोकरेंसी और इसके नकारात्मक प्रभाव वैश्विक समाज को प्रभावित करेंगे, इस प्रकार क्रिप्टोकरेंसी के नकारात्मक परिणामों को समाप्त करने के लिये वैश्विक स्तर पर UNODC-CMLS द्वारा विकसित क्रिप्टोकरेंसी ट्रेनिंग मॉड्यूल के माध्यम से विभिन्न देशों को अपने अधिकारियों को प्रशिक्षित करना चाहिये। इसके साथ ही यूएसए

में प्रयोग हो रहे नवीन 'फॉरेंसिक सॉफ्टवेयर' को भी बढ़ावा दिया जा सकता है, जिसके माध्यम से उच्च मात्रा में होने वाले क्रिप्टोकरेंसी हस्तांतरण का विश्लेषण करना संभव है।

प्रश्न: 20. भारतीय समाज पारंपरिक सामाजिक मूल्यों में निरंतरता कैसे बनाए रखता है? इनमें होने वाले परिवर्तनों का विवरण दीजिये।

(250 शब्दों में उत्तर दीजिये) 15

उत्तर: भारतीय समाज एक बहुलवादी समाज है जो विविधता में एकता के पहलू पर बना है। कुछ सामाजिक मूल्य; जैसे- सहिष्णुता, अध्यात्मवाद, अहिंसा आदि प्राचीन काल से हमारी पारंपरिक मूल्य प्रणाली का हिस्सा रहे हैं। भारतीय समाज ने अपने इन पारंपरिक सामाजिक मूल्यों में निरंतरता बनाए रखी है।

पारंपरिक सामाजिक मूल्यों में निरंतरता

- विवाह संस्था भी अपने पारंपरिक स्वरूप में विद्यमान है तथा अभी भी अधिकांश विवाह सजातीय ही होते हैं।
- भारत का बाज़ार आज भी पारंपरिक त्योहारों; जैसे- दीपावाली, वैसाखी तथा दशहरे से जुड़ा हुआ है।
- भारत में धार्मिक क्रियाकलाप अपने परंपरागत स्वरूप में ही विद्यमान हैं तथा उनके स्वरूप में कोई विशेष बदलाव नहीं है।

पारंपरिक सामाजिक मूल्यों में निरंतरता में सहायक तत्त्व

- वैश्विक स्तर पर भारत में परिवार की संस्था सबसे मज़बूत है तथा समाजीकरण के माध्यम से पारंपरिक मूल्य एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होते हैं।
- भारतीय संस्कृति में लचीलापन है तथा अपने परंपरागत मूल्यों से विविध मूल्यों को भी समावेशित कर लेती है; जैसे- इस्लाम के साथ समन्वय।
- भारत में सामाजिक समूहों ने निरंतर प्रतिगामी प्रथाओं को छोड़कर प्रगतिशील तत्त्वों को स्वीकार किया हैं; जैसे- सती प्रथा की समाप्ति।
- भारत में बुद्ध, महावीर, शंकराचार्य, रामानुज, वल्लभाचार्य, गुरु नानक आदि संतों ने भौतिकवाद पर आध्यात्मिकता, आक्रामक प्रभुत्व पर शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व का उपदेश दिया है।
- स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और धर्मनिरपेक्षता जैसे मूल्यों को हमारे संविधान द्वारा संरक्षण।

हालाँकि निम्नलिखित कारणों से परंपरागत सामाजिक मूल्य में परिवर्तन हो रहा है-

- सोशल मीडिया पर नकारात्मक और सांप्रदायिक सामग्री के प्रसार से सहिष्णुता का ह्रास।
- समाज में व्यक्तिवाद और भौतिकवाद के उदय से सामूहिकता और परिवार के मूल्यों में गिरावट।
- संयुक्त परिवार की अपेक्षा एकल परिवार और अविवाहित रहने का बढ़ता प्रचलन।
- आधुनिक शिक्षा और प्रगतिशील न्याय व्यवस्था ने लैंगिक समानता को बढ़ावा दिया है; जैसे- समलैंगिकता को कानूनी स्वीकार्यता।
- बहुराष्ट्रीय कंपनियों और नगरीकरण से जाति के आधार पर भेदभाव और जातिप्रथा कमज़ोर हुई है।

आधुनिकीकरण और वैश्वीकरण ने भारतीय पारंपरिक सामाजिक मूल्यों के संतुलन को बदल दिया है; किंतु भारतीय समाज की गतिशीलता ने जहाँ परंपरागत और आधारभूत मूल्यों को संरक्षित कर लिया है, तो वहीं आधुनिक, संवैधानिक और लोकतांत्रिक समाज के मूल्यों के प्रतिकूल परंपराओं का उन्मूलन कर दिया है। ■■■

सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-II

प्रश्न: 1. 'संवैधानिक नैतिकता' की जड़ संविधान में ही निहित है और इसके तात्त्विक फलकों पर आधारित है। 'संवैधानिक नैतिकता' के सिद्धांत की प्रासंगिक न्यायिक निर्णयों की सहायता से विवेचना कीजिये।

(उत्तर 150 शब्दों में दीजिये।) 10

उत्तर: संवैधानिक नैतिकता का अर्थ है- संवैधानिक लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों का पालन करना। भारत में इस शब्द का पहली बार प्रयोग डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने अपनी संसदीय बहसों के दौरान किया था। उनके दृष्टिकोण से इसका अर्थ विभिन्न लोगों के परस्पर विरोधी हितों के बीच एक प्रभावी समन्वयन और अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिये संघर्षरत विभिन्न समूहों के बीच किसी टकराव के बिना इसे सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझाने के लिये प्रशासनिक सहयोग है।

समकालीन संदर्भ में, यह संविधान के मूलभूत तत्त्वों को संदर्भित करता है। इसका दायरा केवल संवैधानिक प्रावधानों का अक्षरश: पालन करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि संविधान के अंतिम उद्देश्य को सुनिश्चित करने तक विस्तृत है। इसका उद्देश्य है कि एक 'सामाजिक न्यायिक परिदृश्य का निर्माण', जो प्रत्येक नागरिक के पूर्ण व्यक्तित्व को विकसित व प्रकट करने का अवसर प्रदान करता है। यही संविधान का मूल लक्ष्य है।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी उसके विभिन्न निर्णयों के अंतर्गत 'संवैधानिक नैतिकता' की व्याख्या व एक परिपक्व लोकतांत्रिक व्यवस्था के संचालन हेतु संवैधानिक नैतिकता की अनिवार्यता को रेखांकित किया गया है। 1973 के केशवानंद भारती मामले में निर्णय देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने संवैधानिक नैतिकता की मर्यादा को स्वीकार करते हुए ही संविधान में संशोधन करने की संसद की असीमित शक्ति पर 'आधारभूत संरचना' के रूप में एक सीमा आरोपित की थी। 2017 के नाज़ फांउडेशन वाद में दिये गए निर्णय में भी इस अवधारणा को मूर्त रूप में नियोजित किया गया, जिसमें इसका उपयोग भारतीय दंड संहिता की धारा-377 को निरस्त करने और समलैंगिकता को अपराधमुक्त घोषित करने हेतु किया गया। सबरीमाला मामले में भी सर्वोच्च न्यायालय ने संवैधानिक नैतिकता को भारत की सामाजिक नैतिकता के ऊपर प्राथमिकता देते हुए महिलाओं के मंदिर में प्रवेश पर लगा प्रतिबंध हटाया था। दिल्ली के उपराज्यपाल से संबंधित विवाद में निर्णय देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने संवैधानिक नैतिकता की व्याख्या करते हुए इसे लोगों के लोकतंत्र में विश्वास का परिरक्षण करने की आवश्यकता को रेखांकित करने वाला विचार बताया था।

संवैधानिक नैतिकता एक ज़िम्मेदार नागरिक के मन में पैदा होने वाली भावना है। संवैधानिक नैतिकता को कायम रखना न केवल न्यायपालिका या राज्य का बल्कि व्यक्तियों का भी कर्त्तव्य है। संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से उस प्रकार के समाज का उल्लेख है, जिसे हम स्थापित करना चाहते हैं। यह केवल संवैधानिक नैतिकता के माध्यम से ही वास्तविकता बन सकता है।

प्रश्न: 2. विविधता, समता और समावेशिता सुनिश्चित करने के लिये उच्चतर न्यायपालिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की वांछनीयता पर चर्चा कीजिये।

(उत्तर 150 शब्दों में दीजिये।) 10

उत्तर: भारत के मुख्य न्यायाधीश ने न्यायपालिका में महिलाओं के लिये 50% प्रतिनिधित्व का आह्वान किया है। उल्लेखनीय है कि कोई महिला भारत की मुख्य न्यायाधीश कभी नहीं बनी है और पिछले 71 वर्षों में नियुक्त सुप्रीम कोर्ट के 256 न्यायाधीशों में से केवल 11 (या 4.2%) महिलाएँ हैं (अगस्त 2021 की स्थिति के अनुसार)।

उच्चतर न्यायपालिका में महिलाओं को अधिक प्रतिनिधित्व की वांछनीयता

- महिला न्यायाधीशों की उपस्थिति न्यायपालिका की वैधता में वृद्धि करती है तथा इस बात का संदेश देती है कि न्याय सभी के लिये सुलभ है।
- इससे दृष्टिकोण में विविधता उपलब्ध होती है। इससे यौन हिंसा से जुड़े मामलों में अधिक संतुलित और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण मिलेगा।
- न्यायपालिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में सुधार लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय के संवैधानिक आदर्शों में अंतर्निहित है।
- महिलाओं की अधिक भागीदारी लैंगिक रूढ़िवादिता से लड़ने के लिये प्रोत्साहन प्रदान करेगी।

आगे की राह

- अदालतों में बुनियादी ढाँचे की कमी, लैंगिक रूढ़िवादिता और सामाजिक दृष्टिकोण ने महिलाओं के कानूनी पेशे में प्रवेश करने में बाधा उत्पन्न की है। सामाजिक जागरूकता के माध्यम से इसमें परिवर्तन करना चाहिये।
- न्यायिक नियुक्ति की प्रक्रिया को वर्तमान कॉलेजियम प्रणाली परिदृश्य के बजाय अधिक पारदर्शी और समावेशी बनाने की आवश्यकता है।

संवैधानिक आदर्शों एवं लैंगिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिये न्यायपालिका में सभी स्तरों पर महिलाओं का समुचित प्रतिनिधित्व वांछनीय है।

प्रश्न: 3. भारत के 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों ने राज्यों को अपनी राजकोषीय स्थिति सुधारने में कैसे सक्षम किया है?

(उत्तर 150 शब्दों में दीजिये।) 10

उत्तर: संविधान के अनुच्छेद-280 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि संविधान के प्रारंभ से दो वर्ष के भीतर और उसके बाद प्रत्येक पाँच वर्ष की समाप्ति पर या पहले उस समय पर, जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझते हैं, एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। रिज़र्व बैंक के पूर्व गवर्नर डॉ. वाई.वी. रेड्डी की अध्यक्षता वाले 14वें वित्त आयोग को 1 अप्रैल, 2015 से शुरू होने वाले पाँच वर्षों की अवधि को कवर करने वाली सिफारिशें देने के लिये 2013 में गठित किया गया था। 14वें वित्त आयोग ने 2014 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। 14वें वित्त आयोग की सिफारिशें वित्तीय वर्ष 2019-20 तक के लिये वैध थीं।

14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों ने राज्यों को अपनी राजकोषीय स्थिति सुधारने हेतु सक्षम करने में काफी सहायता की। इस संदर्भ में 14वें वित्त आयोग के योगदान को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है:

- 14वें वित्त आयोग ने केंद्रीय विभाज्य पूल में राज्यों का हिस्सा 13वें आयोग द्वारा प्रदत्त 32% से बढ़ाकर 42% कर दिया।
- 14वें वित्त आयोग द्वारा राज्यों के हिस्से को राज्यों के मध्य विभाजित करने के लिये नए क्षैतिज सूत्र का भी सुझाव दिया।
- कई अन्य प्रकार के अंतरणों का सुझाव दिया गया, जिनके अंतर्गत ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान, आपदा राहत के लिये अनुदानों सहित निष्पादन अनुदान और राजस्व घाटा सम्मिलित थे। 2015-20 की अवधि के लिये ये अंतरण कुल मिलाकर लगभग ₹ 5.3 लाख करोड़ के थे।

- उपर्युक्त अंतरणों से सभी राज्य समग्र संदर्भों में लाभान्वित हुए हैं। साथ ही, इनके प्रभावस्वरूप राज्यों की व्यय क्षमता में भी महत्त्वपूर्ण वृद्धि होगी।
- सामान्य श्रेणी के कम विकसित राज्यों पर वित्त आयोग की संस्तुतियों का अपेक्षाकृत बेहतर प्रभाव पड़ा है, जो कि संस्तुतियों की प्रगतिशीलता का द्योतक है।

14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों ने निश्चित ही राज्यों की राजकोषीय स्थिति को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। हालाँकि यह ध्यान रखा जाना भी अनिवार्य है कि भारत की राजकोषीय व्यवस्था अभी भी GST के माध्यम से हुए एक बड़े व्यवस्था परिवर्तन के साथ समायोजित होने की प्रक्रिया में है। ऐसे में आगे के वित्त आयोगों द्वारा भी राज्यों पर विशिष्ट ध्यान देते हुए भारत की राजकोषीय संघवाद की भावना के अनुरूप अनुशंसाएँ दी जानी चाहियें।

प्रश्न: 4. आपकी दृष्टि में, भारत में कार्यपालिका की जवाबदेही को निश्चित करने में संसद कहाँ तक समर्थ है?

(उत्तर 150 शब्दों में दीजिये।) 10

उत्तर: भारतीय संविधान में ब्रिटेन की तर्ज पर संसदीय प्रणाली की व्यवस्था की गई है। इसके अंतर्गत कार्यपालिका प्रत्यक्ष रूप से विधायिका के निचले सदन के प्रति उत्तरदायी होती है।

संवैधानिक प्रावधानों, संसदीय संचालन के नियमों व परंपराओं के अंतर्गत विभिन्न नियंत्रण के उपकरणों द्वारा विधायिका कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने का प्रयास करती है। ये उपकरण निम्नलिखित हैं :

- कार्यपालिका (अर्थात्-मंत्रिपरिषद) का अस्तित्व तब तक ही है, जब तक लोकसभा को उसमें विश्वास है। अत: विश्वास मत नियंत्रण का सर्वश्रेष्ठ उपाय है।
- विभिन्न संसदीय प्रक्रियाओं, यथा- प्रश्न काल, शून्य काल आदि के माध्यम से भी कार्यपालिका पर नियंत्रण रखा जाता है।
- विभिन्न संसदीय समितियों के माध्यम से भी विधायिका द्वारा कार्यपालिका का नियंत्रण किया जाता है।
- बजट प्रक्रिया के दौरान विभिन्न वित्तीय समितियों के ज़रिये भी विधायिका कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है।

इसके बावजूद निम्नलिखित कारणों से कार्यपालिका पर विधायिका का प्रभावी नियंत्रण नहीं हो पाता है-

- लोकसभा में सशक्त बहुमत वाली सरकारों पर विश्वास मत के ज़रिये नियंत्रण रख पाना बेहद जटिल हो जाता है।
- कार्यपालिका पर प्रभावी नियंत्रण हेतु आवश्यक विशेषज्ञता सामान्यत: विधायिका के पास नहीं होती है।
- अध्यादेशों की बढ़ती बारंबारता से भी विधायिका की प्रभावशीलता कम हुई है।
- 'गिलोटिन' के बढ़ते उपयोग ने बजट प्रक्रिया के दौरान भी विधायिका की भूमिका को सीमित किया है।
- हालिया समय में संसद में सशक्त व जागरूक विपक्ष की अनुपस्थिति के कारण भी विधायिका के कार्यपालिका पर नियंत्रण को क्षति पहुँची है।

भारतीय संविधान शासन के तीनों अंगों के मध्य प्रतिसंतुलन (Checks & Balances) की व्यवस्था करता है। यदि यह संतुलन बिगड़ता है, तो यह संवैधानिक आदर्शों पर चोट की तरह होगा। अत: विधायिका द्वारा कार्यपालिका पर समुचित व प्रभावी नियंत्रण के प्रयास निरंतर किये जाने चाहिये।

प्रश्न: 5. "भारत में सार्वजनिक नीति बनाने में दबाव समूह महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।" समझाइये कि व्यवसाय संघ, सार्वजनिक नीतियों में किस प्रकार योगदान करते हैं?

(उत्तर 150 शब्दों में दीजिये।) 10

उत्तर: किसी भी लोक कल्याणकारी राज्य की सफलता के लिये राज्य द्वारा लोगों के लिये बनाई जाने वाली नीतियों, अर्थात् सार्वजनिक नीतियों, को सफल होना बेहद अनिवार्य है। सार्वजनिक नीतियों के प्रक्रियागत स्वरूप को देखा जाए, तो इसकी सफलता तीन स्तरों पर सुनिश्चित की जा सकती है। ये स्तर नीति का निर्माण, नीति का क्रियान्वयन व नीति के प्रभाव का मूल्यांकन हैं। इन तीन चरणों में से निर्माण के स्तर पर दबाव समूहों की प्रभावी भूमिका देखी जा सकती है।

नीति निर्माण को प्रभावित करने के लिये दबाव समूह नीति निर्माण प्रक्रिया में प्रतिस्पर्द्धा को जन्म देते हैं। साथ ही, ये नीति निर्माण के दौरान संसाधनों व सुविधाओं पर दावा भी प्रस्तुत करते हैं। ये अपने हितों के अनुरूप नीति प्राथमिकता में भी अपना स्थान पाने का प्रयत्न करते हैं। ये वर्गीय अथवा विशिष्ट हितों को रेखांकित करने का भी प्रयत्न करते हैं। लोक नीति निर्माण के दौरान ये समूह अपने अनुभव व संसाधनों के माध्यम से भी योगदान देने का प्रयास करते हैं।

व्यवसाय संघों के विशिष्ट संदर्भ में बात की जाए, तो भारत में ASSOCHAM, FICCI व CII जैसे व्यवसाय संघ उद्योग व वाणिज्य जगत के पक्ष में नीति निर्माण को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। ऐसा करने हेतु वे औद्योगिक परिदृश्य की समस्याओं को सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने, सरकार की आर्थिक नीतियों में उद्योग जगत हेतु लाभकारी प्रावधान करवाने, उद्योगों में नवाचार व अनुसंधान को बढ़ावा देने का प्रयत्न करने तथा घरेलू व विदेशी बाज़ारों के मध्य संतुलन स्थापित करने हेतु सुझाव देने जैसे उपाय अपनाते हैं।

दबाव समूहों के नीति-निर्माण स्तर पर योगदान महत्त्वपूर्ण व सराहनीय है, परंतु यह ध्यान रखा जाना चाहिये कि दबाव समूह नीतियों को आवश्यकता से अधिक प्रभावित करते हुए एक वर्ग के पक्ष में झुका हुआ न बना दे। साथ ही, दबाव समूहों की नीति क्रियान्वयन व नीति मूल्यांकन के स्तर पर भी सक्रिय व सकारात्मक सहभागिता सुनिश्चित की जानी चाहिये।

प्रश्न: 6. "एक कल्याणकारी राज्य की नैतिक अनिवार्यता के अलावा, प्राथमिक स्वास्थ्य संरचना धारणीय विकास की एक आवश्यक पूर्व शर्त है।" विश्लेषण कीजिये।

(उत्तर 150 शब्दों में दीजिये।) 10

उत्तर: 2012 में रियो में आयोजित किये गए संयुक्त राष्ट्र सतत विकास शिखर सम्मेलन में 'सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों' को 'सतत विकास लक्ष्यों' से प्रतिस्थापित किया गया था। इन लक्ष्यों को वर्ष 2030 तक प्राप्त किया जाना है, जिससे धारणीय स्वरूप में विकास को सुनिश्चित किया जा सके। इन लक्ष्यों के अंतर्गत निर्धनता उन्मूलन, भुखमरी की समाप्ति, स्वास्थ्य, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आदि शामिल हैं।

कल्याणकारी राज्य की नैतिक अनिवार्यताओं के बारे में यदि बात की जाए, तो इसके अंतर्गत प्रशासन की सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता, अनुक्रियाशीलता, जवाबदेही आदि मूल्य आधारभूत रूप से शामिल हैं। भारतीय संदर्भ में संविधान के भाग-4 के अंतर्गत वर्णित 'राज्य के नीति-निदेशक तत्त्वों' के माध्यम से भारत में कल्याणकारी राज्य स्थापित

करने की उद्घोषणा की गई है। साथ ही, वे आयाम भी सुनिश्चित किये गए हैं, जिनके माध्यम से भारत में यह सुनिश्चित किया जाएगा। इन आयामों के अंतर्गत अन्य बातों के साथ-साथ अनुच्छेद-42 व अनुच्छेद 47 के अंतर्गत क्रमशः मातृत्व लाभ तथा पोषण व लोक स्वास्थ्य की बेहतर स्थिति सुनिश्चित करने का दायित्व राज्य को सौंपा गया है।

प्राथमिक स्वास्थ्य संरचना के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, मातृत्व लाभ पहलें, टीकाकरण अवसंरचना, प्राथमिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता आदि शामिल हैं। इन सभी स्तरों पर मज़बूती से कार्य किये जाने पर देश के नागरिकों की जीवन प्रत्याशा, उत्पादकता, सामाजिक-आर्थिक स्तर, कौशल विकास आदि के संदर्भ में वांछित प्रगति सुनिश्चित की जा सकेगी, जिससे कि एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का सशक्त आधार निर्मित होगा व सतत विकास की पृष्ठभूमि तैयार होगी।

उक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि प्राथमिक स्वास्थ्य संरचना सतत् विकास व कल्याणकारी राज्य की एक अनिवार्य पूर्व शर्त है। हालाँकि यह एकमात्र पूर्व शर्त नहीं है। सभी आधारों पर वास्तविक रूप में सतत विकास सुनिश्चित करने व कल्याणकारी राज्य स्थापित करने के लिये सतत विकास के अन्य लक्ष्यों पर भी समुचित ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। तभी एक मज़बूत प्राथमिक स्वास्थ्य संरचना का लाभ नागरिकों तक पहुँचाया जा सकेगा।

प्रश्न: 7. "व्यावसायिक शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण को सार्थक बनाने के लिये 'सीखते हुए कमाना (अर्न व्हाइल यू लर्न)' की योजना को सशक्त करने की आवश्यकता है।" टिप्पणी कीजिये। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिये।) 10

उत्तर: व्यावसायिक शिक्षा काम (Work) और सीखने (Learning) का एक बेहतरीन संयोजन है। इस दिशा में 'सीखते हुए कमाना' योजना 'लर्निंग बाय डूइंग' और 'अर्निंग बाय लर्निंग' के जुड़वाँ स्तंभों पर आधारित है। इस योजना को पर्यटन मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया था। यह योजना 18-25 आयु-वर्ग के विद्यार्थियों को अंशकालिक रोज़गार के माध्यम से मानदेय अर्जित करने में सक्षम बनाती है।

'सीखते हुए कमाना' योजना के लाभ

- विद्यार्थियों को अपने खर्चों को पूरा करने के लिये सीखते हुए कमाने के अवसर प्रदान करना।
- वास्तविक रोज़गार से पहले विद्यार्थियों को कार्य के वातावरण से परिचित कराना।
- विद्यार्थियों को कार्य का अनुभव प्रदान करना ताकि वे भविष्य में नौकरी के लिये बेहतर तरीके से तैयार हो सकें।
- विद्यार्थियों को उनकी विषय वरीयताओं का पता लगाने और उन्हें करियर चयन में सक्षम बनाना।
- विद्यार्थियों में कड़ी मेहनत और श्रम की गरिमा के मूल्यों को विकसित करना।

चुनौतियाँ

- नियमित कर्मचारियों की कमी।
- निम्न पारिश्रमिक के कारण प्रेरणा की कमी।
- शिक्षण सामग्री और प्रशिक्षित प्रशिक्षक की कमी।
- अपर्याप्त वित्त पोषण।

भारत निश्चित रूप से दुनिया की कौशल राजधानी बन सकता है और अपने जनसांख्यिकीय लाभांश को प्राप्त कर सकता है। इसके लिये शारदा प्रसाद समिति की सिफारिश के अनुसार पाठ्यक्रमों को अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप बनाकर तथा व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने वाले कॉलेजों के लिये एक विश्वसनीय मानक प्रणाली स्थापित करके व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जानी चाहिये।

प्रश्न: 8. क्या लैंगिक असमानता, गरीबी और कुपोषण के दुश्चक्र को महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को सूक्ष्म वित्त (माइक्रोफाइनेंस) प्रदान करके तोड़ा जा सकता है? सोदाहरण स्पष्ट कीजिये।

(उत्तर 150 शब्दों में दीजिये।) 10

उत्तर: SHG 'बैंक-लिंकेज' कार्यक्रम राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) का प्रमुख सूक्ष्म वित्त पोषण कार्यक्रम है, जो लैंगिक असमानता, गरीबी और कुपोषण के दुश्चक्र को तोड़ने के लिये सक्रिय रूप से समर्थन कर रहा है।

महिला स्वयं सहायता समूहों की भूमिका

- महिला SHGs का वित्त पोषण पूरे परिवार के लिये बेहतर पोषण परिणामों से जुड़ा हुआ है। यह अंतर पीढ़ीगत गरीबी को तोड़ने में महत्त्वपूर्ण है; जैसे-अहमदाबाद का सेवा (Self Employed Women's Association) महिलाओं के बीच पोषण सुरक्षा की दिशा में काम करता है।
- महिला SHGs ने देश की गरीब वंचित महिलाओं को वित्तीय सेवाएँ प्रदान करके उन्हें आर्थिक विकास के अवसर प्रदान किये हैं; जैसे- राजस्थान में जय अंबे SHG, अपने गरीब सदस्यों के लिये ऋण की सुविधा प्रदान करता है।
- महिला SHGs सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देकर सामाजिक परंपराओं और लैंगिक भेदभाव की बाधाओं को तोड़ने में मदद करते हैं; जैसे- कुदुंबश्री।
- उत्तर प्रदेश सरकार ने लाभार्थियों को पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने के लिये महिला एस.एच.जी. के साथ करार किया है।
- महिला SHGs सरकार के साथ मिलकर न सिर्फ स्वयं के सदस्यों के लिये रोज़गार सृजन कर रहे हैं, बल्कि स्वास्थ्य सुविधा भी प्रदान कर रहे हैं; जैसे- झारखंड के फरहत SHG ने कोविड-19 के दौरान मास्क बनाए।

हालाँकि, महिला SHGs के सामने उच्च ब्याज़ दर, संपार्श्विक की माँग, ऋणों का गैर-प्रभावी उपयोग जैसी समस्याएँ मौजूद हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिये क्रेडिट, बचत, प्रेषण, वित्तीय सलाह आदि उत्पादों की एक विस्तृत शृंखला प्रदान करनी चाहिये। सूक्ष्म वित्त मॉडल लैंगिक समानता में तभी सुधार करेगा जब SHGs को सरकार और उसके संस्थानों द्वारा समर्थन दिया जाता है तथा इसके सदस्यों को अपने परिवार के सदस्यों का समर्थन और सहयोग मिलता है।

प्रश्न: 9. "यदि विगत कुछ दशक एशिया के विकास की कहानी के रहे, तो परवर्ती कुछ दशक अफ्रीका के हो सकते हैं।" इस कथन के आलोक में, हाल के वर्षों में अफ्रीका में भारत के प्रभाव का परीक्षण कीजिये।

(उत्तर 150 शब्दों में दीजिये।) 10

उत्तर: पिछले कुछ दशकों में एशियाई देशों ने विभिन्न क्षेत्रों में अत्यधिक वृद्धि दर्ज की है, जिसमें भौगोलिक संरचना, प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता, तकनीकी विकास तथा मानव संसाधन आदि जैसे प्रमुख वाहक शामिल रहे हैं। अफ्रीका एक संसाधन संपन्न महाद्वीप है जिसकी आबादी एक बिलियन से अधिक है। वर्ष 2050 तक इसकी आधी आबादी 25 वर्ष से कम आयु की होगी। इसके साथ इस महाद्वीप के कुछ देश; जैसे- रवांडा, सेनेगल, तंजानिया आदि दुनिया के विकास ध्रुवों में से एक बनते जा रहे हैं।

अफ्रीका में भारत के प्रभाव को निम्नलिखित रूप में समझा जा सकता है :

- भारत ने भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (ITEC) पहल के तहत अफ्रीकी पेशेवरों के क्षमता निर्माण में तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण के लिये 1 बिलियन डॉलर से अधिक का निवेश किया है और अफ्रीकन कैपेसिटी बिल्डिंग फाउंडेशन (ACBF) के पूर्ण सदस्य के रूप में सतत विकास, गरीबी उन्मूलन और क्षमता निर्माण की पहल हेतु 1 मिलियन यूएस डॉलर देने का वादा किया है।
- भारत ने अफ्रीकी देशों के सैन्य कमांडरों को भारतीय सैन्य अकादमियों में प्रशिक्षण देने के साथ अफ्रीका में डिजिटल अंतर को पाटने के लिये पैन-अफ्रीकी ई-नेटवर्क (Pan-African E-Network) में 100 मिलियन डॉलर का निवेश किया है।
- भारत एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर (Asia Africa Growth Corridor) का विज़न डॉक्यूमेंट के माध्यम से अफ्रीका में परियोजनाओं, गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढाँचे, संस्थागत कनेक्टिविटी, प्रतिभा वृद्धि एवं लोगों से लोगों की भागीदारी के विकास पर फोकस का रहा है।
- भारत की अफ्रीका के साथ साझेदारी अफ्रीकी संघ की दीर्घकालिक योजना और अफ्रीका एजेंडा 2063 के साथ ही भारत के विकास उद्देश्यों की प्राथमिकताओं पर केंद्रित है।
- भारत हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (IORA) का नेतृत्वकर्त्ता है। इसमें सामरिक रूप से महत्त्वपूर्ण (मेडागास्कर और कोमोरोस) द्वीपीय सरकारें भी शामिल हैं।

भले ही भविष्य में अफ्रीका में विकास का ध्रुव केंद्रित होता नज़र आ रहा हो, लेकिन अफ्रीका में राजनीतिक अस्थिरता के साथ विकास और संभावनाओं में निवेश को लेकर चीन से मिलने वाली चुनौतियाँ भी कम नहीं हैं। भारत और अफ्रीका के बीच विभिन्न संभावनाएँ मौजूद हैं। अत: भारत को अफ्रीका महाद्वीप में निहित संभावनाओं का लाभ उठाने हेतु विभिन्न मोर्चों पर विभिन्न अफ्रीकी देशों के बीच सहयोग बढ़ाना चाहिये।

प्रश्न: 10. "संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन के रूप में एक ऐसे अस्तित्व के खतरे का सामना कर रहा है जो तत्कालीन सोवियत संघ की तुलना में कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण है।" विवेचना कीजिये। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिये।) 10

उत्तर: इराक और अफगानिस्तान से USA की वापसी ने USA की विश्व महाशक्ति की छवि को धूमिल किया है। साथ ही, चीन की विस्तारवादी नीति और विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति ने USA के समक्ष चुनौतियाँ खड़ी की हैं।

द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद विश्व दो खेमों (संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ) में बँट गया था। विचारधारा के आधार पर बना सोवियत संघ समय के साथ विघटित हो गया, जो इसकी विभिन्न कमज़ोरियों को दर्शाता है। विघटन से पूर्व सोवियत संघ USA के लिये एक महत्त्वपूर्ण चुनौती था, तो वहीं पिछले दो दशकों में चीन के उदय ने अमेरिका के लिये अस्तित्व का खतरा उत्पन्न किया है।

चीन एक देश के रूप में अपने व्यापक वैश्विक दृष्टिकोण, राजनीतिक स्थिरता, दक्ष मानव संसाधन, तकनीकी कुशलता, आर्थिक विकास एवं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) की बदौलत सोवियत संघ की अपेक्षा अधिक मज़बूत है। सोवियत संघ को अक्सर आंतरिक और बाहरी समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन चीन ने लगातार सुधार किया है। वहीं अमेरिका-चीन व्यापार में चीन की मज़बूत स्थिति, सामरिक-रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण देशों में चीन का बढ़ता निवेश, चेक बुक पॉलिसी तथा ऋण जाल आदि से चीन को अधिक स्थायित्व मिला है। साथ ही चीन क्षेत्रीय संगठनों; जैसे- एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट बैंक और ADB आदि के माध्यम से USA के प्रभुत्व को चुनौती दे रहा है। चीन-रूस की बढ़ती नज़दीकियाँ एवं अफगानिस्तान-पाकिस्तान-चीन का गठजोड़ भी यूएसए के लिये अधिक चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है।

निष्कर्षत: चीन की विस्तारवादी नीति ने USA के समक्ष राजनीतिक, आर्थिक, सुरक्षा (डेटा स्थानीयकरण और अंतरिक्ष सुरक्षा) एवं मूल्य संबंधी चुनौतियाँ उत्पन्न की हैं। हाल ही में चीन के खिलाफ अमेरिका का QUAD और AUKUS जैसे संगठनों में शामिल होना भी इस तथ्य को प्रमाणित करता है।

प्रश्न: 11. एक राज्य-विशेष के अंदर प्रथम सूचना रिपोर्ट दायर करने तथा जाँच करने के केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) के क्षेत्राधिकार पर कई राज्य प्रश्न उठा रहे हैं। हालाँकि, CBI जाँच के लिये राज्यों द्वारा दी गई सहमति को रोके रखने की शक्ति आत्यंतिक नहीं है। भारत के संघीय ढाँचे के विशेष संदर्भ में विवेचना कीजिये। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिये।) 15

उत्तर: देश में केंद्र सरकार या केंद्रीय एजेंसियों और राज्यों के बीच संबंध और उनके अधिकारों को लेकर अक्सर विवाद होते रहे हैं, लेकिन अब एक नया विवाद चरम पर है। हालाँकि मामला भाषाओं की पहचान का हो, असमान विकास, राज्यों के साथ भेदभाव, राज्यों के पुनर्गठन अथवा उन्हें विशेष राज्य का दर्जा देने का हो, भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच अधिकारों का बँटवारा स्पष्ट है, लेकिन फिर भी कई बार केंद्रीय एजेंसियों और राज्य सरकारों के बीच अलग-अलग मसलों को लेकर विवाद हुए हैं। इसी क्रम में पिछले कुछ महीनों से केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) के क्षेत्राधिकार के संदर्भ में निरंतर विवाद चलता रहा है।

हालिया विवाद CBI को राज्यों द्वारा दी गई 'सामान्य सहमति' वापस लेने का है। हाल ही में यह देखा गया है कि आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल सहित अनेक राज्यों ने केंद्र एवं राज्यों के बीच विवाद के परिणामस्वरूप अपनी सामान्य सहमति वापस ले ली है। किसी भी राज्य सरकार द्वारा सामान्य सहमति को वापस लेने का अर्थ है कि अब CBI द्वारा उस राज्य में नियुक्त किसी भी केंद्रीय कर्मचारी अथवा किसी निजी व्यक्ति के विरुद्ध तब तक नया मामला दर्ज नहीं किया जाएगा, जब तक कि केंद्रीय एजेंसी को राज्य सरकार से उस मामले के संबंध में केस-विशिष्ट सहमति नहीं मिल जाती। इस प्रकार सहमति वापस लेने का सीधा मतलब है कि जब तक राज्य सरकार उन्हें केस-विशिष्ट सहमति नहीं दे देती, तब तक उस राज्य में CBI अधिकारियों के पास कोई शक्ति नहीं है। CBI के पास पहले से ही दर्ज मामलों की जाँच पर इसका कोई असर नहीं होगा, क्योंकि पुराने मामले तब दर्ज हुए थे जब सामान्य सहमति प्रदान की गई थी।

हालाँकि ध्यातव्य है कि 'सामान्य सहमति' को वापस लिया जाना राज्यों की आत्यंतिक शक्ति

नहीं है और इसके बाद भी CBI अन्य माध्यमों से जाँच कार्य कर सकती है। उल्लेखनीय है कि CBI के क्षेत्राधिकार के संदर्भ में सहमति दो प्रकार की होती है- एक केस-विशिष्ट सहमति और दूसरी, सामान्य सहमति। यद्यपि CBI का अधिकार क्षेत्र केवल केंद्र सरकार के विभागों और कर्मचारियों तक सीमित होता है, किंतु राज्य सरकार की सहमति मिलने के बाद यह एजेंसी राज्य सरकार के कर्मचारियों या हिंसक अपराध से जुड़े मामलों की जाँच भी कर सकती है। दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम (DSPEA) की धारा-6 के मुताबिक, दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान का कोई भी सदस्य किसी भी राज्य सरकार की सहमति के बिना उस राज्य में अपनी शक्तियों और अधिकार क्षेत्र का उपयोग नहीं करेगा।

जब सामान्य सहमति वापस ले ली जाती है, तो CBI को संबंधित राज्य सरकार से जाँच के लिये केस के आधार पर प्रत्येक बार सहमति लेने की आवश्यकता होती है। यह CBI द्वारा निर्बाध जाँच में बाधा डालती है। 'सामान्य सहमति' सामान्यत: CBI को संबंधित राज्य में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की जाँच करने में मदद के लिये दी जाती है, ताकि CBI की जाँच सुचारु रूप से चले सके और उसे बार-बार राज्य सरकार के समक्ष आवेदन न करना पड़े। लगभग सभी राज्यों द्वारा ऐसी सहमति दी गई है। यदि राज्यों द्वारा सहमति नहीं दी गई हो, तो CBI को प्रत्येक मामले में जाँच करने से पहले राज्य सरकार से सहमति लेना आवश्यक होता है।

हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि राज्य सरकार की सहमति उसके अधिकार क्षेत्र में CBI द्वारा जाँच के लिये अनिवार्य है और इसके बिना CBI जाँच नहीं कर सकती है। न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति बी.आर. गवई की एक पीठ ने कहा कि यह प्रावधान संविधान के संघीय ढाँचे के अनुरूप है। न्यायालय के निर्णय का विश्लेषण करने पर यह पता चलता है कि उसके द्वारा CBI के क्षेत्राधिकार के संदर्भ में अभी भी राज्यों को अधिक स्वायत्तता दिये जाने पर बल दिया गया है और यह भी सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि CBI का उपयोग भारत के संघीय ढाँचे पर आघात करते हुए केंद्र के एजेंट के रूप में न किया जाए।

CBI की गिरती साख के लिये केंद्र सरकारें ही अधिकांशत: ज़िम्मेदार रही हैं, जो इस संस्था का व्यक्तिगत रूप से राजनीतिक इस्तेमाल करती रही हैं। अगर ऐसा न होता तो देश की सर्वोच्च जाँच एजेंसी को न्यायपालिका द्वारा 'पिंजड़े में बंद तोता' की संज्ञा नहीं दी जाती। ज़रूरत है कि इस जाँच एजेंसी को प्रभावी कार्रवाई हेतु शक्तियाँ दी जाएँ ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इसके कामकाज में सरकारों का अनावश्यक हस्तक्षेप न हो और यह भारत के संघीय ढाँचे को भी प्रभावित न करे।

प्रश्न: 12. यद्यपि मानवाधिकार आयोगों ने भारत में मानव अधिकारों के संरक्षण में काफी हद तक योगदान दिया है, फिर भी वे ताकतवर और प्रभावशालियों के विरुद्ध अधिकार जताने में असफल रहे हैं। इनकी संरचनात्मक और व्यावहारिक सीमाओं का विश्लेषण करते हुए सुधारात्मक उपायों के सुझाव दीजिये।

(उत्तर 250 शब्दों में दीजिये।) 15

उत्तर: भारत में 1993 में मानव अधिकारों के समुचित संरक्षण हेतु एक राष्ट्रीय निकाय के रूप में 'राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग' (NHRC) की स्थापना की गई थी। अपने लगभग तीन दशक के समय में मानवाधिकार आयोग ने भारत में मानव अधिकारों के संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान दिये है। हालाँकि यह आयोग की एक बड़ी खामी के रूप में देखा जाता है कि यह प्रभावशाली व शक्तिशाली लोगों के विरुद्ध अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन में पीछे रह जाता है।

इसके पीछे आयोग की कुछ संरचनात्मक व व्यावहारिक कमियाँ हैं, जिन्हें निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है-

- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्य कार्य 'मानवाधिकारों का उल्लंघन अथवा इसका दुष्प्रेरण, अथवा ऐसे उल्लंघनों पर रोक लगाने हेतु लोक सेवक द्वारा की गई लापरवाही' की शिकायतों की जाँच करना है, लेकिन निष्कर्षों के आधार पर वह अपने निर्णयों को निष्पादित नहीं कर सकता। इसके लिये इस उच्चस्तरीय निकाय को केंद्र या राज्य सरकार अथवा न्यायिक पदानुक्रम (शीर्ष न्यायालय से लेकर निचले स्तर पर मजिस्ट्रेट तक) पर निर्भर रहना पड़ता है।
- NHRC उन शिकायतों की जाँच नहीं कर सकता, जो घटना के एक साल बाद दर्ज कराई जाती हैं और इसीलिये कई शिकायतें बिना जाँच के ही रह जाती हैं। इसके साथ ही, अक्सर सरकार या तो NHRC की सिफारिशों को पूरी तरह से खारिज कर देती है या उन्हें आंशिक रूप से ही लागू किया जाता है।
- कई बार धन की अपर्याप्तता भी NHRC के कार्य में बाधा डालती है।
- वर्तमान सरकार ने एक बार फिर मानवाधिकार आयोग के चार्टर में संशोधन किया है। संसद द्वारा पारित मानवाधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019 में व्यापक परिवर्तन किये गए हैं, जिनका आयोग की संरचना पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। संशोधित अधिनियम के अंतर्गत अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की अध्यक्षता केवल सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि शीर्षस्थ न्यायालय के किसी भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को यह पद सौंपा जा सकता है। हालाँकि इस परिवर्तन के परिणाम आना शेष है।

NHRC को सही मायनों में मानवाधिकारों के उल्लंघन का एक कुशल प्रहरी बनाने के लिये उसमें कई सुधार किये जाने की आवश्यकता है। सरकार द्वारा आयोग के निर्णयों को पूरी तरह से लागू करके उसकी प्रभावशीलता में वृद्धि की जा सकती है। NHRC की संरचना में भी परिवर्तन करने की आवश्यकता है तथा इसमें आम नागरिकों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाना चाहिये। NHRC को जाँच के लिये उचित अनुभव वाले कर्मचारियों का एक नया काडर तैयार करना चाहिये, ताकि सभी मामलों की स्वतंत्र जाँच की जा सके। भारत में मानवाधिकार की स्थिति को सुधारने और मज़बूत करने के लिये राज्य अभिकर्त्ताओं और गैर-राज्य अभिकर्त्ताओं को एक साथ मिलकर काम करना होगा।

NHRC की कार्यशैली, शक्तियों एवं अन्य कारकों से इसकी आलोचना की जाती रही है। इसी संदर्भ में पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली सोराबजी ने इसे 'India's Teasing Illusion' की संज्ञा दी है। 2019 में किये गए संशोधन भी NHRC में ज़रूरी बदलावों को संबोधित नहीं करते हैं, जिसके कारण आवश्यक प्रश्न अभी भी अनुत्तरित हैं। इन प्रश्नों

को हल करके ही एक शक्तिशाली मानवाधिकार संगठन का निर्माण किया जा सकता है, जो असल मायने में मानव अधिकारों की सुरक्षा एवं संरक्षा कर सकेगा।

प्रश्न: 13. संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के संविधानों में, समता के अधिकार की धारणा की विशिष्ट विशेषताओं का विश्लेषण कीजिये।

(उत्तर 250 शब्दों में दीजिये।) 15

उत्तर: भारतीय संविधान का निर्माण करते समय विश्व की अन्य प्रमुख संवैधानिक व्यवस्थाओं को एक प्रेरणास्रोत के रूप में रखा गया था, जिससे भारत व भारतीय नागरिकों हेतु एक आदर्श संविधान की सर्जना की जा सके। इन्हीं प्रेरणास्रोतों में संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) का संविधान प्रमुख था, जहाँ से भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों सहित अनेक प्रावधानों की प्रेरणा ली गई है।

उल्लेखनीय है कि 1776 में अमेरिकी संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल नहीं किया गया था, बल्कि उन्हें बाद में संवैधानिक संशोधनों, जिन्हें सामूहिक रूप से 'बिल ऑफ राइट्स' की संज्ञा दी जाती है, के माध्यम से शामिल किया गया था। 'समता के अधिकार' को अमेरिकी संविधान में 14वें संविधान संशोधन, 1868 द्वारा शामिल किया गया था। हालाँकि समता को अमेरिकी राष्ट्र का एक मूल सिद्धांत स्वतंत्रता की उद्घोषणा के समय ही मान लिया गया था, जिसमें 'सभी लोग समान बनाए गए हैं' (All men are created equal) की बात की गई थी। 14वें संविधान संशोधन द्वारा अमेरिकी लोगों को 'विधियों का समान संरक्षण' प्रदान किया गया। अमेरिकी कांग्रेस को इस संदर्भ में आगे भी कानून बनाने की छूट दी गई। ध्यातव्य है कि इसमें स्पष्ट रूप से किसी अपवाद को शामिल नहीं किया गया।

भारतीय संविधान में समता के अधिकार का विश्लेषण करें, तो यह पता चलता है कि भारत में संविधान सभा द्वारा ही संविधान में समता के अधिकार को एक महत्त्वपूर्ण मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया था। इसे संविधान के भाग-3 के अंतर्गत अनुच्छेद-14-18 के मध्य रखा गया था। अनुच्छेद-14 जहाँ विधि के समक्ष समानता व विधियों के समान संरक्षण की बात करता है, तो वहीं अनुच्छेद-15 धर्म, जाति, लिंग, वंशक्रम व जन्म-स्थान के आधार पर सभी भेदभावों का निषेध करता है। अनुच्छेद-16 उपर्युक्त आधारों पर ही राज्य के अधीन नियोजन में भेदभाव का अंत करता है। ज्ञातव्य है कि अनुच्छेद-15 व 16 के अंतर्गत राज्य को वंचित वर्गों (अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ, महिलाएँ व बच्चों) के पक्ष में प्रावधान बनाने की अनुमति दी गई है। अनुच्छेद-17 भारत में अस्पृश्यता का, जबकि अनुच्छेद-18 उपाधियों का अंत करता है।

उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि अमेरिकी संविधान में जहाँ समता के अधिकार को विधायिका द्वारा संक्षिप्त व लगभग अपवादरहित स्वरूप में शामिल किया गया है, तो वहीं भारत में समता का अधिकार कहीं अधिक व्यापक रूप में व अपवादों की अनुमति देते हुए संविधान सभा द्वारा ही शामिल किया गया है। अमेरिकी राजव्यवस्था में जहाँ 'समता के अधिकार' का क्रमिक विकास दिखता है। भारत में एक बार में ही संविधान में इसके समावेश का प्रयास किया गया।

प्रश्न: 14. उन संवैधानिक प्रावधानों को समझाइये जिनके अंतर्गत विधान परिषदें स्थापित होती हैं। उपयुक्त उदाहरणों के साथ विधान परिषदों के कार्य और वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन कीजिये।

(उत्तर 250 शब्दों में दीजिये।) 15

उत्तर: भारत में द्विसदनीय प्रणाली अर्थात् संसद के दो सदन विद्यमान हैं। इसी प्रकार भारत में राज्यों में भी द्विसदनीय प्रणाली विद्यमान है, जहाँ विधानसभा को लोकसभा के समान तथा विधान परिषद को राज्यसभा के समान शक्तियाँ प्राप्त हैं।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद-169 के तहत विधान परिषद का प्रावधान किया गया है। जिसके अनुसार संसद विधि द्वारा विधान परिषद का उत्सादन तथा सृजन कर सकती है। इसके लिये आवश्यक है कि संबंधित राज्य की विधान सभा इस प्रकार के प्रस्ताव को दो-तिहाई बहुमत से पारित करे। संविधान के अनुसार विधान परिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या संबंधित राज्य विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का एक-तिहाई व न्यूनतम सदस्य संख्या 40 हो सकती है। विधान परिषद के कुल सदस्यों में से 1/3 सदस्य राज्य की स्थानीय संस्थाओं, नगरपालिकाओं, ज़िला बोर्ड आदि के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाते हैं, 1/3 सदस्य विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, 1/12 सदस्य राज्य में रहने वाले (निवास) विश्वविद्यालय स्नातकों से निर्वाचित होंगे, जो कम-से-कम 3 वर्ष पहले स्नातक कर चुके हैं, 1/12 सदस्य उन अध्यापकों द्वारा चुने जाएंगे, जो राज्य के हायर सेकेंडरी या उच्च शिक्षा संस्थाओं में कम-से-कम 3 वर्ष से पढ़ा रहे हों व 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होंगे, जो कि राज्य में कला, विज्ञान, साहित्य, समाजसेवा एवं सहकारिता क्षेत्र से जुड़े हों। उल्लेखनीय है कि विधान परिषद एक स्थायी सदन है, जिसका विघटन नहीं हो सकता। हालाँकि इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दो वर्ष की अवधि पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं।

विधान परिषदों के कार्य:

- यह राज्य विधानसभा जल्दबाज़ी में बनाए गए विधानों की पर्याप्त जाँच कर राज्य के लोगों के हितों का संरक्षण करती है।
- निचले सदन की निरंकुश प्रवृत्तियों को प्रतिसंतुलित करने में यह विधानसभा पर अंकुश लगाने का कार्य करता है।
- यह प्रसिद्ध व्यावसायियों एवं विशेषज्ञों को प्रतिनिधित्व प्रदान करती है, जो प्रत्यक्ष चुनाव का सामना नहीं कर पाते।

इसके बावजूद यह आरोप लगता है कि विधान परिषद ऐसे निहित स्वार्थों का गढ़ बनती है, जो प्रगतिशील कानूनों का समर्थन नहीं करते। जनता द्वारा निर्वाचित विधानसभा द्वारा लाए गए विधानों हेतु विलंब का कारण बनती है। साथ ही, विधान परिषदों की शक्तियाँ अत्यधिक सीमित होती है, ये विधानसभाओं पर प्रभावी नियंत्रण नहीं लगा सकती। एक साधारण अधिनियम को परिषद अधिकतम 4 माह के लिये रोक सकती है। विधान सभा चुनावों में हारे प्रत्याशियों को सत्ता पक्ष द्वारा विधान परिषद में शामिल कर लिया जाता है। विधान परिषद के रास्ते बैक डोर एंट्री को उत्तर प्रदेश व महाराष्ट्र के उदाहरणों से भी देखा जा सकता है। जहाँ वर्तमान मुख्यमंत्रियों ने बिना प्रत्यक्ष चुनाव में हिस्सा लिये विधानमंडल की सदस्यता अर्जित कर ली है। परिषद के कामकाजों तथा सदस्यों के वेतन भत्तों पर सरकारी खजाने से एक भारी राशि खर्च की जाती है।

विधान परिषद की कार्यप्रणाली में वर्तमान में अनेक खामियाँ नज़र आती हैं, परंतु यह भी सच है कि बड़ी आबादी वाले राज्यों में विधानसभा को प्रतिसंतुलित करने तथा राज्य की जनता के हितों का समुचित प्रतिनिधित्व करने हेतु इस संस्था की महती आवश्यकता है। इसलिये इसकी कार्यप्रणाली के दोषों को दूर करते हुए इसे प्रगति सुनिश्चित करने का एक माध्यम बनाया जाना चाहिये।

प्रश्न: 15. क्या विभागों से संबंधित संसदीय स्थायी समितियाँ प्रशासन को अपने पैर की उँगलियों पर रखती हैं और संसदीय नियंत्रण के लिये सम्मान प्रदर्शन हेतु प्रेरित करती हैं? उपयुक्त उदाहरणों के साथ ऐसी समितियों के कार्यों का मूल्यांकन कीजिये।

(उत्तर 250 शब्दों में दीजिये।) 15

उत्तर: भारत की शीर्ष विधि निर्मात्री संस्था के रूप में संसद का कार्य बेहद व्यापक व जटिल है। ऐसे में संसद में प्रस्तुत होने वाले प्रत्येक कानून व बजटीय प्रावधान की समुचित स्क्रूटनी सामान्य प्रक्रिया के तहत किया जाना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं हो पाता। इसी समस्या के समाधान के लिये विभिन्न समितियों की स्थापना की गई है। इन समितियों में प्रमुख 'विभाग-संबंधी स्थायी समितियाँ' (Department-related Standing Committees–DRSCs) हैं, जिनके कार्यों में अपने संबंधित विभाग से जुड़े किसी कानून के सभी प्रावधानों का परीक्षण करना, संबंधित विभाग की अनुदान मांगों की जाँच करना, विभाग की वार्षिक रिपोर्ट का मूल्यांकन करना आदि शामिल हैं।

आमतौर पर संसदीय समितियों की रिपोर्टें बहुत ही विस्तृत होती हैं और शासन से संबंधित मामलों पर प्रामाणिक जानकारी प्रदान करती हैं। इन समितियों से संदर्भित विधेयक महत्त्वपूर्ण मूल्यवर्द्धन के साथ सदन में वापस आते हैं। इसके अतिरिक्त इन समितियों को अपने कार्य के निर्वहन के दौरान विशेषज्ञ सलाह और सार्वजनिक राय प्राप्त करने का अधिकार होता है। ये समितियाँ दोनों सदनों के सदस्यों (सांसदों) की छोटी इकाइयाँ होती हैं और ये सदस्य अलग-अलग राजनीतिक दलों से आते हैं। ये समितियाँ पूरे वर्ष कार्य करती हैं। इसके अलावा संसदीय समितियाँ लोकलुभावन मांगों को लेकर बाध्य नहीं होती हैं, जो आमतौर पर संसद के काम में बाधा उत्पन्न करती हैं।

चूँकि समितियों की बैठकें 'बंद-दरवाजे' के पीछे होती हैं और ऐसे में समितियों के सदस्य पार्टी व्हिप द्वारा बाध्य नहीं होते हैं, इसलिये संसदीय समितियाँ बहस तथा चर्चा के लोकाचार पर कार्य करती हैं। इसके अलावा समितियाँ सार्वजनिक चकाचौंध से दूर रहकर काम करती हैं और संसदीय कार्रवाई को संचालित करने वाले कोड, जो सदन के नए और युवा सदस्यों के लिये महत्त्वपूर्ण प्रशिक्षण संस्था है, की तुलना में अनौपचारिक बने रहते हैं।

इसके बावजूद बीते कुछ समय में देखा गया है कि स्थायी समितियाँ प्रशासन को उत्तरदायी बनाने में पूरी तरह कारगर सिद्ध नहीं हो सकी हैं। हाल ही के वर्षों में संसद के कुछ सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य; जैसे- अनुच्छेद-370 का निरसन और जम्मू एवं कश्मीर को 2 संघ राज्यक्षेत्रों में विभाजित करना, किसी भी सदन की समिति द्वारा संसाधित नहीं किये गए थे। हाल ही में कृषि उपज से संबंधित 3 विधेयकों और 3 श्रम विधेयकों के विरुद्ध तीव्र विरोध हुआ, जो निश्चित रूप से सदनों की चुनिंदा समितियों द्वारा जाँच के योग्य हैं, जिन्हें बहुमत का उपयोग करके ही सरकार द्वारा पारित किया गया था। समितियों के कामकाज को प्रभावित करने वाले अन्य मुद्दों पर बैठकों में सांसदों की कम उपस्थिति होती है। एक समिति के अंतर्गत बहुत सारे मंत्रालय, सांसदों को समितियों में नामित करते समय अधिकांश राजनीतिक दलों द्वारा मानदंडों का पालन नहीं किया गया।

स्पष्ट है कि संसदीय समितियों के पास प्रशासन को उत्तरदायी बनाने के पर्याप्त साधन मौजूद हैं और वे कुछ हद तक इसमें सफल भी होती हैं। हालाँकि भारी बहुमत वाली सरकारों के अंतर्गत प्रशासन पर नियंत्रण करने के लिये इन समितियों की कार्यशैली में निरंतर नवाचार की आवश्यकता है।

प्रश्न: 16. क्या ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से, डिजिटल निरक्षरता ने सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आई.सी.टी.) की अल्प-उपलब्धता के साथ मिलकर सामाजिक-आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न की है? औचित्य सहित परीक्षण कीजिये? (उत्तर 250 शब्दों में दीजिये।) 15

उत्तर: देश के ग्रामीण-शहरी क्षेत्र में बड़ा डिजिटल अंतराल व्याप्त है तथा ग्रामीण क्षेत्र में ब्रॉडबैंड की पहुँच 51 प्रतिशत के राष्ट्रीय औसत की तुलना में मात्र 29 प्रतिशत है। इसके साथ ही देश भर में, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, महिलाओं की संचार साधनों तक पहुँच पुरुषों की तुलना में कम है। भारत में केवल 38 प्रतिशत परिवार ही डिजिटल रूप से साक्षर हैं। इसमें शहरी क्षेत्रों में 61 प्रतिशत की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 25% ही डिजिटल साक्षरता प्राप्त हैं।

सामाजिक-आर्थिक विकास में बाधक के रूप में डिजिटल निरक्षरता

- बच्चों की उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा या डिजिटल कक्षाओं तक पहुँच नहीं है। कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन में यह असमानता और बढ़ गई।
- निरक्षरता के कारण लाभार्थियों को ई-गवर्नेंस से जुड़ी सरकारी योजनाओं का प्रभावी लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। प्रारंभिक चरण में वैक्सीनेशन के लिये कोविन पोर्टल पर स्लॉट बुकिंग की अनिवार्यता के कारण शिक्षित एवं शहरी जनसंख्या को ही अधिक वैक्सीन लगे थे।
- यह टेली-मेडिसिन तक पहुँच में बाधा के रूप में कार्य करता है। यह विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में खराब स्वास्थ्य बुनियादी ढाँचे को देखते हुए एक चुनौती है। वर्तमान महामारी में लोग ऑनलाइन सुविधाओं और साक्षरता की कमी के कारण उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं।
- इंटरनेट तथा डिजिटल साक्षरता की कमी ग्रामीण युवाओं को रोज़गार और आय सृजन के असंख्य अवसरों से वंचित कर देती है; जैसे- ई-कॉमर्स, टेली-कॉलिंग।

इस अंतराल को कम करने के लिये सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए :

- डिजिटल इंडिया अभियान।
- राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन (NDLM) का प्रारंभ।
- ई-लर्निंग को और अधिक सुलभ बनाने के लिये पीएम ई-विद्या कार्यक्रम की शुरुआत।
- सामान्य सेवा केंद्र (CSC) के माध्यम से स्वास्थ्य देखभाल, सामाजिक कल्याण योजनाओं, वित्तीय, शिक्षा और कृषि सेवाओं के वितरण तक पहुँच प्रदान करना।

वास्तव में, डिजिटल अंतराल केवल 'डिजिटल पहुँच' की समस्या से अधिक है तथा इसे केवल संचार उपकरण और संचार साधनों की उपलब्धता बढ़ाकर कम नहीं किया जा सकता है। इसके लिये सूचना तक पहुँच, सूचना का उपयोग और सूचना की ग्रहणशीलता में सुधार करने की आवश्यकता है।

प्रश्न: 17. "यद्यपि स्वातंत्र्योत्तर भारत में महिलाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता हासिल की है, इसके बावजूद महिलाओं और नारीवादी आंदोलन के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण पितृसत्तात्मक रहा है।" महिला शिक्षा और महिला सशक्तीकरण की योजनाओं के अतिरिक्त कौन-से हस्तक्षेप इस परिवेश के परिवर्तन में सहायक हो सकते हैं?

(उत्तर 250 शब्दों में दीजिये।) 15

उत्तर: स्वतंत्र भारत में महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक स्थिति में निरंतर सुधार हो रहा है। वर्तमान महिलाओं की साक्षरता दर बढ़कर 65.4 प्रतिशत हो गई है तथा पंचायत के स्तर पर निर्वाचित प्रतिनिधियों में लगभग आधी संख्या महिलाओं की है।

पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण के कारण

- समाजीकरण की प्रक्रिया में बच्चे पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण सीख जाते हैं, जिसमें एक पुरुष/पिता घर का मुखिया होता है।
- समाज में मातृत्व को महिलाओं के जीवन का सबसे महत्त्वपूर्ण विषय बना दिया जाता है, जो महिलाओं की गतिशीलता को सीमित करता है।
- रूढ़िवादी दृष्टिकोण है कि महिलाएँ हिंसा, भेदभाव और अन्याय के प्रति संवेदनशील होती हैं।
- बलात्कार, यौन उत्पीड़न, यौन शोषण, घरेलू हिंसा, बहु-विवाह, निकाह हलाला, ट्रिपल तलाक, कन्या भ्रूण हत्या, सती प्रथा, दहेज हत्या, कुपोषण, अल्पपोषण आदि महिलाओं को घर तक सीमित करके आर्थिक रूप से शोषित, सामाजिक रूप से वंचित और राजनीतिक रूप से निष्क्रिय रखते हैं।
- धर्म और धार्मिक संस्थाएँ पितृसत्तात्मक सामाजिक प्रथाओं को वैध बनाती हैं।

महिलाओं की स्थिति में सुधार और पितृसत्तात्मक रवैये को समाप्त करने के लिये आवश्यक हस्तक्षेप

- सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिये व्यवहार परिवर्तन कार्यक्रमों, रोल मॉडलिंग और भावनात्मक अपील पर ध्यान देना; जैसे- बेटियों के साथ सेल्फी लेना, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान।
- महिलाओं की सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था अर्थव्यवस्था और सार्वजनिक जीवन में अधिक संख्या में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देती है; जैसे- उत्तर प्रदेश का मिशन शक्ति, रोमियो स्क्वॉड।
- पंचायत की तरह संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिये आरक्षण। इस हेतु 108वें संविधान संशोधन विधेयक पर पुनर्विचार करना।
- महिला विशिष्ट कानूनों; जैसे घरेलू हिंसा अधिनियम, मातृत्व लाभ अधिनियम, गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 (PCPNDT) आदि में विधायी आधुनिकता का दृष्टिकोण रहा है, किंतु कई मौजूदा कानूनों को और अधिक लिंग तटस्थ बनाने की आवश्यकता है; जैसे- वैवाहिक बलात्कार।
- पारिवारिक मूल्य के स्तर पर लैंगिक समानता की शुरुआत परिवार के अंदर माता-पिता, जीवनसाथी और भाई-बहनों के दृष्टिकोण में होनी चाहिये।
- महिलाओं के विरुद्ध हिंसा में दोष सिद्धि की दर NCRB की रिपोर्ट के अनुसार मात्र 26 प्रतिशत है। इस संबंध में आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है।
- सभी क्षेत्रों में महिलाओं के बेहतर प्रतिनिधित्व के लिये संस्थागत स्तर पर बदलाव की आवश्यकता है; जैसे- हाल में महिलाओं को NDA परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई है।

स्वतंत्रता के पश्चात् भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति में बहुत सुधार हुआ है, किंतु लैंगिक समानता में बाधा डालने वाले मुद्दों के समाधान के लिये अधिक मौलिक और व्यावहारिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। नारीवादी आंदोलन का समर्थन करने के लिये शिक्षा और सशक्तीकरण योजनाओं के साथ अन्य उपायों को भी समाज में पूरी तरह से लागू करने की आवश्यकता है। हाल ही के वर्षों में महिलाओं द्वारा एक क्रमिक परिवर्तन का अनुभव किया गया है और वे अधिक स्वतंत्र और जागरूक हो गई हैं, जिसमें निरंतरता बनाए रखने की आवश्यकता है।

प्रश्न: 18. क्या नागरिक समाज और गैर-सरकारी संगठन, आम नागरिक को लाभ प्रदान करने के लिये लोक सेवा प्रदायगी का वैकल्पिक प्रतिमान प्रस्तुत कर सकते हैं? इस वैकल्पिक प्रतिमान की चुनौतियों की विवेचना कीजिये।

(उत्तर 250 शब्दों में दीजिये।) 15

उत्तर: किसी देश में संपूर्ण प्रशासन का संचालन, लोक कल्याणकारी पहलों का क्रियान्वयन तथा लोक सेवा की आम नागरिक तक पहुँच सरकार का प्राथमिक दायित्व है। हालाँकि यह समस्त कार्य केवल सरकार द्वारा दक्षता से सुनिश्चित किया जाना व्यावहारिक रूप से थोड़ा कठिन हो जाता है। इसीलिये सरकारी पहलों व लोक सेवाओं की डिलीवरी के संदर्भ में समाज व गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका रेखांकित होती है। सिविल सोसायटी सरकार व नागरिकों के बीच एक सेतु का कार्य करती है, जिससे सरकारों का कार्य क्रियान्वयन के स्तर पर थोड़ा सरल हो जाता है।

लोक सेवा प्रदायगी के विशिष्ट संदर्भ में बात की जाए, तो सिविल सोसायटी नीति निर्माण में प्रक्रिया, क्रियान्वयन व मूल्यांकन के स्तर पर अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर लक्षित समूहों को चिह्नित करने, बेहतर क्रियान्वयन में सहायता करने व सटीक मूल्यांकन सरकार तक पहुँचाने में एक वैकल्पिक प्रतिमान के रूप में उभर सकती है। इसके अलावा किसी सरकारी पहल के संदर्भ में जन-जन तक जागरूकता फैलाने में भी अपने स्वयंसेवकों के माध्यम से एक वैकल्पिक भूमिका निभा सकती है। सिविल सोसायटी के माध्यम से लोक सेवा प्रदायगी में भ्रष्टाचार की समस्या को भी न्यून किया जा सकता है।

हालाँकि सिविल सोसायटी का लोक सेवा प्रदायगी हेतु एक वैकल्पिक प्रतिमान प्रस्तुत करना अनेक चुनौतियों से भरा है। सिविल सोसायटी के संदर्भ में भी भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या के रूप में देखा जाता है और ये परिवारवाद का भी गढ़ बनती हैं। साथ ही, सिविल सोसायटी के संदर्भ में यह चिंता भी हमेशा रहती है कि ये सामाजिक हितों व राष्ट्रीय हितों से कोई समझौता न कर लें। हाल ही के दिनों में कुछ NGOs की विवादास्पद विदेशी स्रोतों से फंडिंग के मामले सामने आने के बाद सिविल सोसायटी के भारत की एकता एवं अखंडता पर संकट उत्पन्न करने की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा सिविल सोसायटी पर अभिजात्य वर्ग से संबद्ध होने, क्रोनी पूंजीवाद को बढ़ावा

देने, धन शोधन का ज़रिया बनने आदि के आरोप भी लगते रहे हैं। ऐसे में सिविल सोसायटी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले लोक सेवा प्रदायगी के वैकल्पिक प्रतिमान का सातत्य सुनिश्चित करना कठिन है।

उपर्युक्त चुनौतियों के बावजूद सिविल सोसायटी सरकारी लाभों की लास्ट माइल डिलीवरी सुनिश्चित करने का एक प्रभावी माध्यम बन सकती है। इसके लिये सरकार को वे क्षेत्र स्पष्टता से निर्धारित करने होंगे, जिनके अंतर्गत सिविल सोसायटी संचालित हो सकती है। इसके अलावा यदि सिविल सोसायटी के कुछ तत्त्व अवांछित गतिविधियों में लिप्त पाए जाते हैं, तो उनके साथ कठोरता बरतते हुए, सिविल सोसायटी के शेष आयामों की सकारात्मक सहभागिता सुनिश्चित की जानी चाहिये।

प्रश्न: 19. एस.सी.ओ. के लक्ष्यों और उद्देश्यों का विश्लेषणात्मक परीक्षण कीजिये। भारत के लिये इसका क्या महत्त्व है?

(उत्तर 250 शब्दों में दीजिये।) 15

उत्तर: शंघाई में स्थापित शंघाई सहयोग संगठन (Shanghai Cooperation Organisation–SCO) एक अंतर-सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह एक यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संगठन है, जिसका उद्देश्य संबंधित क्षेत्र में शांति, सुरक्षा व स्थिरता को बनाए रखना है। वर्ष 2017 में भारत तथा पाकिस्तान को इसके सदस्य का दर्जा मिला।

SCO के लक्ष्य एवं उद्देश्य

- सदस्य देशों के मध्य परस्पर विश्वास तथा सद्भाव को मज़बूत करना।
- राजनीतिक, व्यापारिक एवं आर्थिक, अनुसंधान व प्रौद्योगिकी तथा संस्कृति में प्रभावी सहयोग को बढ़ावा देना।
- शिक्षा, ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन, पर्यावरण संरक्षण, इत्यादि क्षेत्रों में संबंधों को बढ़ाना।
- संबंधित क्षेत्र में शांति, सुरक्षा व स्थिरता बनाए रखना तथा सुनिश्चितता प्रदान करना।
- एक लोकतांत्रिक, निष्पक्ष एवं तर्कसंगत नव-अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व आर्थिक व्यवस्था की स्थापना करना।

हालाँकि, इस संगठन में शामिल देश मिलकर अलग-अलग एवं परस्पर विरोधी हितों का एक जटिल मेट्रिक्स बनाते हैं। उदाहरण के लिये, भारत-पाकिस्तान-रूस-चीन संबंध। वहीं चीन की नीतियाँ; जैसे- चेक-बुक पॉलिसी, वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी, मानवाधिकार उल्लंघन या हॉन्गकॉन्ग मुद्दा आदि SCO के लक्ष्य एवं उद्देश्यों को लेकर चीन की प्रतिबद्धता पर गंभीर सवाल उठाते हैं। जहाँ SCO के ज़रिये चीन ने आर्थिक सहयोग के नाम पर अपने BRI प्रोजेक्ट को विस्तार दिया है, तो वहीं पाकिस्तान और चीन के आतंकवादी एवं अलगाववादी संगठनों के समर्थन से क्षेत्रीय आतंकवाद-रोधी संरचना (RATS) की मूल भावना को धूमिल किया है। इसके अलावा कोविड-19 के दौरान SCO देशों के बीच सीमित विकासात्मक सहयोग जुड़ाव की कमी को दर्शाता है।

भारत के लिये SCO का महत्त्व

- SCO को दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन माना जाता है और इसमें शामिल होने से भारत का अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व बढ़ा है।
- SCO की भारत की सदस्यता मध्य एशियाई देशों के खनिज एवं ऊर्जा संसाधनों तक पहुँच प्रदान करके ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा दे सकती है।
- भारत को मध्य एशिया के देशों से आर्थिक संबंधों का विस्तार करके सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार, बैंकिंग, वित्तीय तथा फार्मा उद्योगों आदि हेतु एक विशाल बाज़ार प्राप्त हो सकता है।
- भारत विस्तारित पड़ोस (मध्य एशिया) में सक्रिय भूमिका निभा सकता है तथा साथ ही यूरेशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव को कम एवं चीन के साथ मिलकर अमेरिका को काउंटर करने का प्रयास भी कर सकता है।
- SCO की क्षेत्रीय आतंकवाद-रोधी संरचना के माध्यम से भारत आतंकवाद, उग्रवाद और कट्टरपंथ का मुकाबला करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
- भारत को इसके माध्यम से क्षेत्रीय एकीकरण, सीमाओं के पार संपर्क एवं स्थिरता को बढ़ावा देने में सहायता मिल सकती है।

प्रश्न: 20. भारत-प्रशांत महासागर क्षेत्र में चीन की महत्त्वाकांक्षाओं का मुकाबला करना नई त्रि-राष्ट्र साझेदारी AUKUS का उद्देश्य है। क्या यह इस क्षेत्र में मौजूदा साझेदारी का स्थान लेने जा रहा है? वर्तमान परिदृश्य में, AUKUS की शक्ति और प्रभाव की विवेचना कीजिये। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिये।) 15

उत्तर: हिंद-प्रशांत क्षेत्र में AUKUS ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएसए के बीच एक नई त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी है। AUKUS पर इस क्षेत्र में मौजूदा विभिन्न समूहों; जैसे-फाइव आईज़ (USA, UK, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूज़ीलैंड), QUAD, ASEAN एवं USA के नेतृत्व वाले एंग्लो-सेक्सन सहयोगियों के गठबंधन आदि का स्थान लेने के आरोप लगाए जा रहे हैं। हालाँकि, AUKUS का उद्देश्य चीन की प्रतिद्वंद्विता का मुकाबला करना है और उपर्युक्त संगठनों में AUKUS के ही सदस्य देश विभिन्न भूमिकाओं में शामिल हैं। इस प्रकार उन संगठनों को मज़बूती मिलने की ही संभावना है।

यूके, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया के बीच सुरक्षा साझेदारी के रूप में AUKUS की शक्ति एवं प्रभावों को निम्न प्रकार से देखा जा सकता है :

- AUKUS का उद्देश्य तकनीकी साझा कर ऑस्ट्रेलिया को परमाणु पनडुब्बी संपन्न राष्ट्र बनाना है।
- इसका उद्देश्य सदस्यों की सैन्य क्षमताओं को मज़बूत करके चीन के प्रति एक विश्वसनीय प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करना है।
- यह इस क्षेत्र में मानदंडों और नियम-आधारित व्यवस्था की बहाली के साथ सदस्यों की गश्त और निगरानी शक्ति को बढ़ाएगा।
- साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी, साइबर सुरक्षा आदि के उभरते हुए डोमेन में समान विचारधारा वाले देशों की क्षमताओं को भी बढ़ाएगा।

हालाँकि, इसके गठन में फ्राँस की अनदेखी, समान विचारधारा वाले लोकतांत्रिक देशों के बीच विश्वास की कमी को बढ़ा सकता है। वहीं इससे हिंद-प्रशांत क्षेत्र में नई शक्तियों के प्रवेश के साथ ही यह भारत के 'सागर विज़न' के लिये प्रतिकूल भी हो सकता है, क्योंकि यह चीन-रूस द्वारा नए गठबंधन की संभावना के साथ इस क्षेत्र में हथियारों की होड़ से क्षेत्रीय अस्थिरता को बढ़ावा दे सकता है। भले ही AUKUS को 'इंडो-पैसिफिक नाटो' की संज्ञा दी जा रही है, लेकिन इस क्षेत्र की शांति भारत सहित अन्य देशों की शांति, सुरक्षा और स्थिरता के लिये महत्त्वपूर्ण है। अत: इस क्षेत्र के सभी देशों को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र महाशक्तियों का 'गोल्फ कोर्स' बनकर न रह जाए। ■■■

सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-III

प्रश्न: 1. भारत की सकल घरेलू उत्पाद (जी. डी.पी.) के वर्ष 2015 के पूर्व तथा वर्ष 2015 के पश्चात् परिकलन विधि में अंतर की व्याख्या कीजिये। (150 शब्दों में उत्तर दीजिये) 10

उत्तर: किसी अर्थव्यवस्था या देश के लिये सकल घरेलू उत्पाद (GDP) एक वित्तीय वर्ष में उस देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य होता है।

ध्यातव्य है कि वर्ष 2015 के पहले GDP की गणना में कारक लागत (Factor Cost) का उपयोग किया जाता था। कारक लागत का अर्थ है कि उत्पादन के सभी कारकों पर आने वाली कुल लागत, जिसका उपयोग वस्तु एवं सेवा के लिये होता है। इसमें कोई कर शामिल नहीं होता है। यदि इसमें अप्रत्यक्ष कर जोड़ दिया जाए व सब्सिडी को घटा दिया जाए तो इसका परिणाम बाज़ार कीमत पर GDP के रूप में सामने आता है। बाज़ार कीमत या चालू कीमत पर GDP का उपयोग अर्थव्यवस्था का आकार जानने या राजकोषीय घाटे जैसे विभिन्न अनुपातों की गणना करने में होता है।

वर्ष 2015 में जनवरी के अंत से GDP गणना के एक नए तरीके को स्वीकार किया गया। अब सकल मूल्य वर्द्धन (GVA) का उपयोग GDP की गणना में होता है, जिसकी गणना आधार मूल्य पर होती है। सकल मूल्य वर्द्धन किसी देश की अर्थव्यवस्था में सभी क्षेत्रों, यथा- प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र द्वारा किया गया कुल अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन का मौद्रिक मूल्य होता है। यदि उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्द्धन शुल्क, वस्तु एवं सेवा कर जैसे उत्पाद करों को GVA में आधार मूल्य पर जोड़ दिया जाता है और सब्सिडी घटा दी जाए, तो इससे नए तरीके के अनुसार GDP के आँकड़े प्राप्त होते हैं। देश की वृद्धि दर की गणना करते समय अर्थव्यवस्था की वास्तविक स्थिति जानने के लिये आधार वर्ष का प्रयोग किया जाता है। विदित हो कि वर्तमान में भारत 2011-12 को आधार वर्ष के रूप में प्रयोग कर रहा है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (Central Statistics Office-CSO) ने वर्ष 2015 में आधार वर्ष 2004-2005 को संशोधित कर 2011-2012 कर दिया था।

प्रश्न: 2. पूंजी बजट तथा राजस्व बजट के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिये। इन दोनों बजटों के संघटकों को समझाइये।

(150 शब्दों में उत्तर दीजिये) 10

उत्तर: पूंजी बजट में पूंजी प्राप्तियाँ (जैसे-उधार, विनिवेश) और लंबी अवधि के पूंजीगत व्यय (जैसे-संपत्ति, निवेश का सृजन) शामिल होते हैं। पूंजी प्राप्तियाँ सरकार की वे प्राप्तियाँ होती हैं, जो या तो देनदारियों (Liabilities) का सृजन करती हैं या वित्तीय परिसंपत्तियों को कम करती हैं; जैसे-बाज़ार उधार, ऋण की वसूली आदि। वहीं पूंजीगत व्यय सरकार का वह व्यय होता है जो या तो संपत्ति का निर्माण करता है या देयता को कम करता है।

राजस्व बजट में राजस्व प्राप्तियाँ और इस प्राप्ति से किये जाने वाले व्यय शामिल होते हैं। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व (जैसे- आयकर, उत्पाद शुल्क आदि) और गैर-कर राजस्व (जैसे- ब्याज रसीदें, लाभ आदि) दोनों शामिल होते हैं।

यदि राजस्व बजट आधिक्य की स्थिति में है, तो यह वृद्धिशील अर्थव्यवस्था का संकेत होता है, वहीं यदि अर्थव्यवस्था में पूंजी बजट में आधिक्य की स्थिति है, तो यह उस अर्थव्यवस्था के पिछड़ने को दर्शाता है। राजस्व बजट के अंतर्गत देश के दिन-प्रतिदिन के खर्चों तथा लोक कल्याणकारी योजनाओं पर ध्यान दिया जाता है तथा पूंजी बजट में देश की आधारभूत संरचनाओं पर निवेश करके दीर्घकालिक विकास पर ध्यान दिया जाता है।

प्रश्न: 3. देश के कुछ भागों में भूमि सुधारों ने सीमांत और लघु किसानों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिये किस प्रकार सहायता की है?

(150 शब्दों में उत्तर दीजिये) 10

उत्तर: भूमि सुधार से तात्पर्य है भूमि स्वामित्व का उचित व न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित करना, अर्थात् भू-धारिता (Land-Holdings) को इस प्रकार व्यवस्थित करना, जिससे उसका अधिकतम उपयोग किया जा सके। स्वतंत्र भारत में भूमि सुधारों के निम्न घटक रहे हैं-ज़मींदारी प्रथा का उन्मूलन, काश्तकारी सुधार, भूमि स्वामित्व की सीमा तय करना, खेतों के आकार में सुधार अर्थात् चकबंदी, हदबंदी और सहकारी व सामुदायिक कृषि को बढ़ावा आदि।

ज़मींदारी प्रणाली का उन्मूलन करके कृषकों और राज्य के मध्य मौजूद मध्यस्थों को हटा दिया गया। मध्यस्थों के उन्मूलन से लगभग 2 करोड़ काश्तकारों को वह भूमि प्राप्त हो गई; जिस पर वे कृषि करते थे। इससे शोषक वर्ग का अंत हो गया और भूमिहीन किसानों के लिये भूमि वितरण हेतु अधिक-से-अधिक भूमि को सरकारी कब्ज़े में लिया गया, जिससे किसान सीधे सरकार के संपर्क में आ गए। स्वतंत्रता-पूर्व अवधि के दौरान काश्तकारों द्वारा भुगतान किया जाने वाला भूमि कर अत्यधिक (पूरे भारत में 35% और 75% सकल उपज के बीच) था। कृषकों द्वारा देय किराये को विनियमित करने के लिये (1950 के दशक की शुरुआत में) पंजाब, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में सकल उत्पादन स्तर का 20%-25% तक भूमि कर निर्धारित किया गया था। इस सुधार ने या तो काश्तकारी को पूरी तरह से अवैध करार दिया या काश्तकारों को कुछ सुरक्षा प्रदान करने के लिये भूमि कर के विनियमन करने का प्रयास किया। पश्चिम बंगाल और केरल में कृषि संरचना का मौलिक पुनर्गठन हुआ, जिसने छोटे और सीमांत किसानों को भूमि का अधिकार प्रदान किया। भूमि सुधार कानूनों की तीसरी प्रमुख श्रेणी लैंड सीलिंग अधिनियम (Land Ceiling Act) की थी। इसका उद्देश्य कुछ ही लोगों के हाथों में निहित भू-स्वामित्व में कमी करना था। इससे किसान अलग-अलग स्थानों की बजाय एक ही जगह पर भूमि पर सिंचाई तथा कृषि कार्य करने लगे, जिससे समय एवं श्रम की बचत हुई। इस भू-सुधार से कृषि की लागत और किसानों के बीच मुकदमेबाज़ी में कमी आई।

हालाँकि भूमि सुधार उपायों के कार्यान्वयन की गति धीमी रही है। फिर भी यह काफी हद तक सीमांत और लघु किसानों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को सुधारने में सफल रहा है।

प्रश्न: 4. भारत के जल संकट के समाधान में, सूक्ष्म-सिंचाई कैसे और किस सीमा तक सहायक होगी?

(150 शब्दों में उत्तर दीजिये) 10

उत्तर: भारत के लगभग 50 प्रतिशत क्षेत्र सूखे जैसी स्थिति से जूझ रहे हैं, विशेष रूप से पश्चिमी और दक्षिणी राज्यों में जल संकट की गंभीर स्थिति बनी हुई है। G-20 अर्थव्यवस्थाओं के बीच भारत सर्वाधिक तेज़ी से सिकुड़ते जल संसाधनों वाले देशों में से एक है। भारत की कृषि पारिस्थितिकी ऐसी फसलों के अनुकूल है, जिनके उत्पादन में अधिक जल की आवश्यकता होती है; जैसे-चावल,

गेहूँ, गन्ना, जूट और कपास इत्यादि। इन फसलों वाले कृषि क्षेत्रों में जल संकट की समस्या विशेष रूप से विद्यमान है। हरियाणा और पंजाब में कृषि गहनता से ही जल संकट की स्थिति उत्पन्न हुई है।

बदलते परिदृश्य में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को पानी की बचत करने वाली तकनीक के रूप में देखा जा रहा है। सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली एक उन्नत पद्धति है, जिसके प्रयोग से सिंचाई के दौरान पानी की काफी बचत की जा सकती है। यह सिंचाई प्रणाली सामान्य रूप से बागवानी फसलों में उर्वरक व पानी देने की सर्वोत्तम एवं आधुनिक विधि मानी जाती है। सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली में कम पानी से अधिक क्षेत्र की सिंचाई की जाती है। इस प्रणाली में पानी को पाइपलाइन के माध्यम से स्रोत से खेत तक पूर्व-निर्धारित मात्रा में पहुँचाया जाता है। इससे पानी की बर्बादी को तो रोका ही जाता है, साथ ही यह जल उपयोग दक्षता बढ़ाने में भी सहायक है। यह देखा गया है कि सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली अपनाकर 30-40 फीसदी पानी की बचत होती है। इस प्रणाली से सिंचाई करने पर फसलों की गुणवत्ता और उत्पादकता में भी सुधार होता है। सरकार भी 'प्रति बूँद अधिक फसल' (Per Drop More Crop) मिशन के अंतर्गत फव्वारा (Sprinkler) व टपक (Drop) सिंचाई पद्धति को बढ़ावा दे रही है।

ध्यातव्य है कि 'भारत में सूक्ष्म सिंचाई पर कार्यबल' (2004) के अनुमान के अनुसार, भारत की कुल ड्रिप सिंचाई क्षमता 27 लाख हेक्टेयर है। हालाँकि, वर्तमान में ड्रिप सिंचाई के तहत शामिल क्षेत्र सकल सिंचित क्षेत्र का मात्र 4% और इसकी कुल क्षमता (2016-17) का लगभग 15% ही है। इसके अलावा, ड्रिप विधि केवल कुछ ही राज्यों तक सीमित है। इन कमियों को दूर करके सूक्ष्म सिंचाई पद्धति का इस्तेमाल करते हुए बेहतर जल प्रबंधन किया जा सकता है।

प्रश्न: 5. S-400 हवाई रक्षा प्रणाली, विश्व में इस समय उपलब्ध अन्य किसी प्रणाली की तुलना में किस प्रकार से तकनीकी रूप से श्रेष्ठ है?

(150 शब्दों में उत्तर दीजिये) 10

उत्तर: S-400 रूस द्वारा डिज़ाइन की गई सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली (SAM) है। यह मिसाइल प्रणाली रूस में वर्ष 2007 से सेवा में है और विश्व की सर्वश्रेष्ठ प्रणालियों में से एक मानी जाती है। यह दुनिया में सबसे खतरनाक परिचालन हेतु तैनात 'मॉडर्न लॉन्ग-रेंज सर्फेस-टू-एयर मिसाइल' (MLR SAM) है, जिसे अमेरिका द्वारा विकसित 'टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस' (THAAD) सिस्टम और इज़राइल द्वारा विकसित आयरन डोम से काफी आगे माना जाता है।

रूस की अल्माज़ केंद्रीय डिज़ाइन ब्यूरो द्वारा 1990 के दशक में विकसित यह वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली लगभग 400 किमी. के क्षेत्र में शत्रु के विमान, मिसाइल और यहाँ तक कि ड्रोन को नष्ट करने में सक्षम है। यह S-400 मिसाइल प्रणाली S-300 का उन्नत संस्करण है। अत: यह 400 किमी. की रेंज़ में आने वाली मिसाइलों एवं पाँचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को नष्ट करने में सक्षम है। इसमें अमेरिका के सबसे उन्नत फाइटर जेट F-35 को भी गिराने की क्षमता है। अन्य प्रणालियों की तुलना में इस प्रणाली से एक साथ तीन मिसाइलें दागी जा सकती हैं और इसके प्रत्येक चरण में 72 मिसाइलें शामिल हैं, जो 36 लक्ष्यों पर सटीकता से मार करने में सक्षम हैं। इस रक्षा प्रणाली द्वारा विमानों सहित क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों तथा ज़मीनी लक्ष्यों को भी निशाना बनाया जा सकता है।

भारत द्वारा S-400 के माध्यम से अपने हवाई क्षेत्र में उड़ रहे पाकिस्तानी विमानों को ट्रैक किया जा सकेगा एवं युद्ध की स्थिति में इसे केवल 5 मिनट में सक्रिय किया जा सकता है। इसे भारतीय वायुसेना द्वारा संचालित किया जाएगा तथा इससे भारत के हवाई क्षेत्र में सुरक्षा को सुदृढ़ किया जा सकेगा।

अत: भारत के लिये F-35 जैसे उन्नत कोटि के लड़ाकू विमानों का मुकाबला करने सहित दो मोर्चों (चीन और पाकिस्तान के संदर्भ में) पर युद्ध की चुनौतियों से निपटने हेतु इस प्रणाली को प्राप्त करना बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। लंबी दूरी की रक्षा मिसाइल प्रणाली S-400 की खरीद को लेकर भारत और रूस के बीच हुआ यह समझौता सामरिक दृष्टि से बेहद महत्त्वपूर्ण है।

प्रश्न: 6. नवंबर 2021 में ग्लासगो में विश्व के नेताओं के शिखर सम्मेलन में सी.ओ.पी. 26 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में आरंभ की गई हरित ग्रिड पहल का प्रयोजन स्पष्ट कीजिये। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आई.एस.ए.) में यह विचार पहली बार कब दिया गया था?

(150 शब्दों में उत्तर दीजिये) 10

उत्तर: नई वैश्विक हरित ग्रिड पहल- वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड (GGI-OSOWOG) अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन (ISA) के OSOWOG बहुपक्षीय अभियान का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा ढाँचे को तेज़ी से जोड़ना है। यह भारत और यूनाइटेड किंगडम द्वारा सौर ऊर्जा का उपयोग करने और सीमाओं के पार निर्बाध रूप से संचरण की एक पहल है। इसका उद्देश्य वैश्विक ऊर्जा संक्रमण को कम करने के लिये आवश्यक बुनियादी ढाँचे और बाज़ार संरचनाओं में सुधारों को गति प्रदान कर मानकों को प्राप्त करने में मदद करना है। इसमें आधुनिक इंजीनियरिंग की सफलता की क्षमता है और नवीकरणीय बिजली उत्पादन के विस्तार के लिये उत्प्रेरक तथा अगले दशक में जलवायु परिवर्तन को प्रभावी ढंग से कम करने की क्षमता है। यह पहल राष्ट्रीय सरकारों, वित्तीय संगठनों तथा बिजली प्रणाली परिचालकों के अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन को साथ लाएगी। इससे सुरक्षित, विश्वसनीय और सस्ती बिजली के उत्पादन को बढ़ाने के लिये नए बुनियादी ढाँचे के निर्माण को तेज़ किया जा सकेगा। इनमें आधुनिक, लचीले ग्रिड, चार्जिंग प्वॉइंट और बिजली इंटरकनेक्टर शामिल हैं।

उल्लेखनीय है कि हरित ग्रिड पहल का विचार भारत के प्रधानमंत्री द्वारा अक्तूबर 2018 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) की पहली सभा में रखा गया था। भारत ने इसके लिये सीमाओं के पार सौर ऊर्जा आपूर्ति को जोड़ने का आह्वान किया था।

प्रश्न: 7. विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ.) द्वारा हाल ही में जारी किये गए संशोधित वैश्विक वायु गुणवत्ता दिशानिर्देशों (ए.क्यू.जी.) के मुख्य बिंदुओं का वर्णन कीजिये। विगत 2005 के अद्यतन से, ये किस प्रकार भिन्न हैं? इन संशोधित मानकों को प्राप्त करने के लिये, भारत के राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम में किन परिवर्तनों की आवश्यकता है?

(150 शब्दों में उत्तर दीजिये) 10

उत्तर: हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने नए वैश्विक वायु गुणवत्ता दिशा-निर्देश (Air Quality Guidelines-AQGs) जारी किये हैं। इन दिशा-निर्देशों के तहत 'विश्व स्वास्थ्य संगठन' ने प्रदूषकों के अनुशंसित स्तर को और कम कर दिया है, जिन्हें मानव स्वास्थ्य के लिये सुरक्षित माना जा सकता है।

यह वर्ष 2005 के बाद से 'विश्व स्वास्थ्य संगठन' का पहला अपडेट है। इन दिशा-निर्देशों

का लक्ष्य सभी देशों के लिये अनुशंसित वायु गुणवत्ता स्तर प्राप्त करना है।

- ये दिशा-निर्देश प्रमुख वायु प्रदूषकों के स्तर को कम करके विश्व आबादी के स्वास्थ्य की रक्षा के लिये नए वायु गुणवत्ता स्तरों की सिफारिश करते हैं, जिनमें से कुछ जलवायु परिवर्तन को कम करने में भी महत्त्वपूर्ण योगदान करते हैं।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन के नए दिशा-निर्देश उन 6 प्रदूषकों के लिये वायु गुणवत्ता के स्तर की अनुशंसा करते हैं, जिनके कारण स्वास्थ्य पर सबसे अधिक जोखिम उत्पन्न होता है। इन 6 प्रदूषकों में पार्टिकुलेट मैटर (PM 2.5 और 10), ओज़ोन (O_3), नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (NO_2), सल्फर डाइऑक्साइड (SO_2) और कार्बन मोनोऑक्साइड (CO) शामिल हैं।

वायु गुणवत्ता दिशा-निर्देश, 2005 के मानकों के अनुसार, वार्षिक PM 2.5 (2.5 माइक्रोन) तक के व्यास वाले कणों की ऊपरी सीमा 10 माइक्रो ग्राम प्रति घन मीटर थी, जबकि वायु गुणवत्ता दिशा-निर्देश, 2021 में इसकी मौजूदा सीमा को 5 माइक्रो ग्राम प्रति घन मीटर कर दिया गया है। वहीं वार्षिक PM10 की ऊपरी सीमा 20 माइक्रो ग्राम प्रति घन मीटर से कम करके 15 माइक्रो ग्राम प्रति घन मीटर कर दिया गया है। नए मानकों के अनुसार, पीक सीज़न (Peak Season) में ओज़ोन की ऊपरी सीमा 60 माइक्रो ग्राम/घन मीटर निर्धारित की गई है, जबकि 8 घंटे के लिये इसकी ऊपरी सीमा 100 माइक्रो ग्राम/घन मीटर निर्धारित की गई है।

ज्ञातव्य है कि भारत का राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम वर्ष 2024 तक (आधार वर्ष 2017 के साथ) पार्टिकुलेट मैटर कंसन्ट्रेशन में 20-30 प्रतिशत तक कटौती के लक्ष्य के साथ समग्र रूप में देश भर में वायु प्रदूषण की समस्या से पार पाने के लिये एक दीर्घकालिक, समयबद्ध, राष्ट्रीय स्तर की रणनीति है।

भारत को इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये अपने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम में निम्न सुधार करने की आवयश्कता है-

- भारत को आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग से प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु प्रयास करते हुए BS-6 के मानकों को कठोरता से लागू करना होगा।
- प्रदूषण पर नियंत्रण के लिये योजनाओं के निर्माण के साथ-साथ उनके क्रियान्वयन में पारदर्शिता और संबंधित विभिन्न हितधारकों के बीच समन्वय पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
- औद्योगिक इकाइयों को आवासीय क्षेत्रों से दूर स्थापित करना होगा।
- भारत में वायु प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य डेटा को मज़बूत करने और तदनुसार राष्ट्रीय परिवेश में वायु गुणवत्ता मानकों को संशोधित करने की आवश्यकता है।

प्रश्न: 8. भूकंप संबंधित संकटों के लिये भारत की भेद्यता की विवेचना कीजिये। पिछले तीन दशकों में, भारत के विभिन्न भागों में भूकंप द्वारा उत्पन्न बड़ी आपदाओं के उदाहरण प्रमुख विशेषताओं के साथ दीजिये।

(150 शब्दों में उत्तर दीजिये) 10

उत्तर: पृथ्वी की सतह पर अचानक होने वाले कंपन को भूकंप कहते हैं। यह सबसे ज़्यादा अपूर्वसोचनीय और विध्वंसक है। इसके खतरे सतह के टूटने, भूस्खलन, द्रवीकरण, विवर्तनिक विकृति, सुनामी आदि तक विस्तृत हो सकते हैं।

देश के वर्तमान सिस्मिक ज़ोन मैप के अनुसार भारत की भूमि का लगभग 59% हिस्सा सामान्य से गंभीर भूकंपीय खतरों के अधीन है। भारतीय प्लेट प्रति वर्ष उत्तर व उत्तर-पूर्व दिशा में 1 सेमी. खिसक रही है परंतु उत्तर में स्थित यूरेशियन प्लेट के अवरोध के परिणामस्वरूप हिमालय का तलहटी क्षेत्र भूकंप, द्रवीकरण और भूस्खलन की चपेट में है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक अंतर-प्लेट सीमा पर स्थित होने के कारण अक्सर विनाशकारी भूकंपों का अनुभव करते हैं। भारत की बढ़ती आबादी, व्यापक अवैज्ञानिक निर्माणों एवं अनियोजित शहरीकरण आदि ने भी भूकंप से जुड़े जोखिमों को बढ़ा दिया है।

पिछले तीन दशकों में भूकंप के कारण क्रमशः कई आपदाएँ हुईं; जैसे-1993 में लातूर और उस्मानाबाद में भूकंप आया, जिसमें अपेक्षाकृत उथली गहराई के कारण सतह की बड़ी क्षति हुई। 1999 में चमोली में थ्रस्ट फॉल्ट के कारण भूकंप आया। परिणामस्वरूप भूस्खलन, सतही जल प्रवाह में परिवर्तन, सतह का टूटना और कटी हुई घाटियों को देखा गया। 2001 में रिएक्टिवेटेड फॉल्ट के कारण भुज में भूकंप आया और जान-माल की भारी क्षति हुई। 2004 में हिंद महासागर में नीचे भूकंपीय गतिविधि के कारण सुनामी आई जिसने भारत के तटीय क्षेत्रों को प्रभावित किया।

अतः भूकंप जनित खतरों के प्रति सुभेद्यता के अनुरूप विकास योजनाएँ बनाने की आवश्यकता है, ताकि पर्यावरण संतुलन के साथ सतत विकास को बढ़ावा मिले और जान-माल की क्षति कम की जा सके।

प्रश्न: 9. चर्चा कीजिये कि किस प्रकार उभरती प्रौद्योगिकियाँ और वैश्वीकरण मनी लॉन्ड्रिंग में योगदान करते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या से निपटने के लिये किये जाने वाले उपायों को विस्तार से समझाइये।

(150 शब्दों में उत्तर दीजिये) 10

उत्तर: FATF ने मनी लॉन्ड्रिंग को ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है, जिसके अंतर्गत अपराध से प्राप्त प्राप्तियों को छिपाकर वैध व्यापार लेन-देनों के माध्यम से मूल्यांतरण द्वारा उनके अवैध स्रोतों को वैध किये जाने का प्रयास किया जाता है।

उभरती प्रौद्योगिकियाँ, जैसे-क्रिप्टोकरेंसी एवं वैकल्पिक वित्त का उपयोग सरकार के नियंत्रण में नहीं हैं। एन्क्रिप्टेड बातचीत मनी लॉन्ड्रिंग संबंधी सूचनाओं के आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करते हैं और क्रेडिट कार्ड की हैकिंग एवं इसका उपयोग वास्तविक पहचान छिपाकर अवैध धन के स्तरीकरण (Layering) के लिये किया जाता है। वहीं वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप वैश्विक वित्तीय प्रणाली में धन का स्थानांतरण हुआ है। टैक्स हेवन देशों, जैसे-केमैन आइलैंड, पनामा आदि की अर्थव्यवस्थाएँ कर चोरी पर संरचित हैं, जिसके कारण इन देशों पर अधिकारियों द्वारा दंडात्मक कार्रवाई संभव नहीं होती और विभिन्न न्यायालय भी संबंधित मामलों में कार्रवाई नहीं कर पाते। इस प्रकार प्रौद्योगिकियाँ और वैश्वीकरण उपयुक्त माध्यमों से मनी लॉन्ड्रिंग में योगदान करते हैं।

मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिये निम्नलिखित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उपाय किये गए हैं :

- धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (संशोधित अधिनियम, 2012), अवैध रूप से कमाई गई संपत्ति की जाँच का अधिकार प्रवर्तन निदेशालय को सौंपता है और अपराध सिद्ध होने पर संपत्ति की कुर्की का भी अधिकार देता है।
- विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन अधिनियम, 2019 सरकार को किसी व्यक्ति को आतंकवादी के रूप में नामित करने, ज़ब्त हथियार या संपत्ति को प्रतिबंधित करने की अनुमति देता है।

- RBI द्वारा भी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग स्टैंडर्ड के रूप में अपने ग्राहक को जानो/केवाईसी (KYC) दिशा-निर्देश जारी किये गए हैं।
- वियना कन्वेंशन, 1988 अपने हस्ताक्षरकर्त्ता राष्ट्रों में मादक पदार्थों की तस्करी से उत्पन्न धन को आपराधिक घोषित करना अनिवार्य बनाता है।
- द इंटरनेशनल मनी लॉन्ड्रिंग इन्फॉर्मेशन नेटवर्क (IMoLIN) सरकारों, संगठनों और व्यक्तियों को मनी लॉन्ड्रिंग के विरुद्ध लड़ाई में सहायता प्रदान करता है।

निष्कर्षत: मनी लॉन्ड्रिंग एक वैश्विक समस्या है, जिस पर अंकुश लगाने के लिये वैश्विक प्रयास की आवश्यकता है। तीव्र बदलती प्रौद्योगिकी के साथ प्रभावी निगरानी हेतु कर्मचारियों के कौशल विकास हेतु अद्यतन प्रशिक्षण देना, जागरूकता अभियान एवं वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग नियंत्रण एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करना प्रभावी कदम साबित होगा।

प्रश्न: 10. भारत की आंतरिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, सीमा पार से होने वाले साइबर हमलों के प्रभाव का विश्लेषण कीजिये। साथ ही, इन परिष्कृत हमलों के विरुद्ध रक्षात्मक उपायों की चर्चा कीजिये।

(150 शब्दों में उत्तर दीजिये) 10

उत्तर: व्यक्ति या संगठित समूह द्वारा साइबर स्पेस का उपयोग कर अपराध करना साइबर हमला कहलाता है। इस प्रकार गुमनाम और सीमाहीन हमले अपराधियों की ट्रैकिंग को कठिन और साइबर सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा का जटिल मुद्दा बना देते हैं।

सीमा पार साइबर हमलों का प्रयोग सूचना और अवसंरचना (विद्युत योजना, परमाणु संयंत्र, दूरसंचार आदि) को क्षति पहुँचाने एवं आतंकवाद के मौजूदा रूपों से जुड़कर राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने हेतु किया जाता है। आतंकवादी सोशल मीडिया का उपयोग आतंकवादी हमलों की योजना बनाने, और उन्हें अंजाम देने, हिंसा को भड़काने, कट्टरता के माध्यम से सामाजिक सद्भाव को बाधित करने, युवाओं की भर्ती करने और धन जुटाने आदि के लिये कर सकते हैं। इसके अलावा संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने के लिये इसे स्पाइवेयर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।

परिष्कृत साइबर हमलों के विरुद्ध रक्षात्मक उपाय निम्नलिखित हैं :

- इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम (CERT-In) विभिन्न संबंधित एजेंसियों को नियमित आधार पर नवीनतम साइबर खतरों और जवाबी उपायों के बारे में अलर्ट एवं सलाह जारी करता है।
- राष्ट्रीय महत्त्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र (NCIIPC) अपने अधिदेश के माध्यम से अनुसंधान एवं विकास संबंधी उपायों तथा समीक्षात्मक सूचना संरचना के संरक्षण के लिये उत्तरदायी है।
- साइबर स्वच्छता केंद्र/Botnet Cleaning and Malware Analysis Centre (BCMAC) दुर्भावनापूर्ण हमलों का पता लगाने और उन्हें हटाने हेतु मुफ्त सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराता है।
- भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) साइबर अपराधों की शिकायतों को दर्ज करने हेतु पीड़ितों को एक सार्वजनिक मंच उपलब्ध कराएगा। साथ ही RBI का साइबर सुरक्षा सेल बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों में साइबर सुरक्षा के खतरों की निगरानी भी करता है।
- इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 कंप्यूटर प्रणालियों, कंप्यूटर नेटवर्क एवं उनके डाटा के प्रयोग को नियंत्रित करता है।

प्रश्न: 11. क्या आप सहमत हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने हाल ही में V-आकार के पुनरुत्थान का अनुभव किया है? कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिये।

(250 शब्दों में उत्तर दीजिये) 15

उत्तर: अर्थव्यवस्था में 'V-शेप्ड' रिकवरी एक प्रकार की आर्थिक मंदी और पुनर्बहाली प्रक्रिया है, जो चार्ट के 'V' आकार जैसी दिखती है। यह रिकवरी आर्थिक उपायों के एक विशेष प्रकार के चार्ट के आकार का प्रतिनिधित्व करती है, जिसे अर्थशास्त्री मंदी और आर्थिक सुधारों की जाँच करते समय बनाते हैं। 'V-शेप्ड' रिकवरी को तीव्र आर्थिक गिरावट के बाद आर्थिक स्थिति में त्वरित और निरंतर पुनर्बहाली के लिये प्रयोग में लाया जाता है।

भारतीय संदर्भ में, इस रिकवरी को देशव्यापी और राज्यस्तरीय लॉकडाउन हटाने के बाद मांग और कारोबार की गतिविधियों में बढ़ोतरी के तौर पर देखा जा सकता है। विदित हो कि 2020-21 की दूसरी तिमाही में अर्थव्यवस्था में 7.5 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई, जबकि उससे पहले की तिमाही में अभूतपूर्व 23.9 प्रतिशत की गिरावट आई थी। 'V-शेप्ड' रिकवरी सेवा क्षेत्र में मज़बूत सुधारों एवं उपभोग और निवेश में वृद्धि की संभावनाओं के साथ विशाल टीकाकरण अभियान की शुरुआत से प्रेरित है। यह उच्च आवृत्ति संकेतक; जैसे- बिजली की मांग, रेल किराया, ई-वे बिल, GST संग्रह, स्टील की खपत आदि के पुनरुत्थान के कारण देखा गया। इस दिशा में सरकार के 'आत्मनिर्भर भारत अभियान', रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की मौद्रिक नीति, मेक इन इंडिया कार्यक्रम, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना और निवेश को आकर्षित करने वाली योजनाएँ; जैसे-राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन, उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना आदि ने अर्थव्यवस्था को मज़बूती के साथ पुनर्जीवित किया है।

लेकिन कोरोना महामारी के नए संक्रमण से अर्थव्यवस्था के समक्ष पुन: कई चुनौतियाँ विद्यमान है, जिनका समाधान करते हुए देश की इस आर्थिक संवृद्धि को बनाए रखने के लिये नीतियों के कार्यान्वयन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

प्रश्न: 12. "तीव्रतर एवं समावेशी आर्थिक संवृद्धि के लिये आधारिक-अवसंरचना में निवेश आवश्यक है।" भारतीय अनुभव के परिप्रेक्ष्य में विवेचना कीजिये।

(250 शब्दों में उत्तर दीजिये) 15

उत्तर: स्थायी आधार पर एक व्यापक और समावेशी विकास की प्राप्ति के लिये गुणवत्तायुक्त बुनियादी ढाँचे की उपलब्धता एक पूर्व-आवश्यकता है। तीव्रतर एवं समावेशी आर्थिक संवृद्धि के लिये आधारभूत अवसंरचना क्षेत्र में निवेश सर्वोत्कृष्ट है। देश में आधारिक अवसंरचना क्षेत्र का विकास सरकार की प्राथमिकता भी रही है। स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी, अमृत आदि आधारभूत संरचनाओं के विकास की योजनाएँ हैं। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों के लिये कई कल्याणकारी योजनाएँ चलाई गई हैं; जैसे-अटल पेंशन योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना आदि।

इसी दिशा में राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष (NIIF) देश में अवसंरचना क्षेत्र की वित्तीय समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करने वाला और वित्तपोषण सुनिश्चित करने वाला भारत सरकार द्वारा निर्मित किया गया एक कोष है। इसकी स्थापना ₹ 40,000 करोड़ की मूल राशि के साथ

की गई थी, जिसमें आंशिक वित्त पोषण निजी निवेशकों द्वारा किया गया था। इस कोष का उद्देश्य अवसंरचना परियोजनाओं को वित्तपोषण प्रदान करना है, जिनमें अटकी हुई परियोजनाएँ शामिल हैं। विश्व स्तर की आधारभूत अवसंरचना क्षेत्र की परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु वित्त वर्ष 2020-25 के लिये सरकार ने राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (NIP) की शुरुआत की है। यह अपनी तरह की पहली पहल है, जिससे अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी, रोज़गार के बेहतर अवसर पैदा होंगे और भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी। यह केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और निजी क्षेत्र द्वारा संयुक्त रूप से वित्तपोषित है। उल्लेखनीय है कि वित्त वर्ष 2014-15 से लेकर वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान सड़क एवं राजमार्ग सेक्टर में कुल निवेश तीन गुना से भी अधिक बढ़ गया है, जिसके परिणामस्वरूप समस्त राज्यों में सड़क घनत्व भी काफी बढ़ गया है। वित्त वर्ष 2019-20 में सड़क एवं राजमार्ग क्षेत्र में कुल निवेश वित्त वर्ष 2014-15 के ₹ 51,935 करोड़ से बढ़कर ₹ 1,72,767 करोड़ के स्तर पर पहुँच गया है। भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये 'भारतनेट' सहित कई तरह की पहल की हैं। इस परियोजना के तहत राज्यों और निजी क्षेत्रों के साथ साझेदारी में अनेक ब्रॉडबैंड हाइवे सुनिश्चित करने के लिये नेटवर्क संबंधी बुनियादी ढाँचा स्थापित किया जा रहा है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों और संस्थानों को किफायती ब्रॉडबैंड सेवाएँ बिना किसी भेदभाव के सुलभ कराई जा सकें।

वर्ष 2024-25 तक 5 ट्रिलियन डॉलर का सकल घरेलू उत्पाद अर्जित करने के लिये, भारत को बुनियादी ढाँचे पर लगभग 1.4 ट्रिलियन डॉलर (₹ 100 लाख करोड़) खर्च करने की आवश्यकता है। पिछले एक दशक (वित्त वर्ष 2008-17) में, भारत ने बुनियादी ढाँचे पर लगभग 1.1 ट्रिलियन डॉलर का निवेश किया है। अब चुनौती के तौर पर वार्षिक बुनियादी ढाँचे में निवेश को बढ़ाने की आवश्यकता है, ताकि बुनियादी ढाँचे की कमी भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि में बाधा न बन सके।

प्रश्न: 13. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं? खाद्य सुरक्षा विधेयक ने भारत में भूख तथा कुपोषण को दूर करने में किस प्रकार सहायता की है? (250 शब्दों में उत्तर दीजिये) 15

उत्तर: 10 सितंबर, 2013 को भारत सरकार द्व रा अधिसूचित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 का उद्देश्य एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिये देश के आम लोगों को वहनीय मूल्यों पर गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराते हुए उन्हें खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान करना है। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं–

- इस अधिनियम के तहत गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिये देश के ग्रामीण क्षेत्र की 75 प्रतिशत आबादी और शहरी क्षेत्र की 50 प्रतिशत आबादी को कवर करने की बात की गई है।
- इसमें पात्र व्यक्तियों को चावल, गेहूँ और मोटे अनाज क्रमशः ₹ 3, ₹ 2 और ₹ 1 प्रति किग्रा. के मूल्य पर उपलब्ध कराए जाते हैं। इस मूल्य पर प्रत्येक लाभार्थी प्रति माह 5 किग्रा. खाद्यान्न प्राप्त कर सकता है।
- वर्तमान में अंत्योदय अन्न योजना में शामिल परिवार प्रति माह 35 किग्रा. खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं।
- इस अधिनियम के तहत गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को गर्भावस्था के दौरान तथा बच्चे के जन्म के 6 माह बाद भोजन के अलावा कम-से-कम ₹ 6000 का मातृत्त्व लाभ प्रदान करने का प्रावधान है।
- महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस अधिनियम के तहत प्रावधान किया गया है कि 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिला को ही घर का मुखिया माना जाएगा और राशन कार्ड भी उसी महिला के नाम पर जारी किया जाएगा।
- अधिनियम के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों को खाद्यान्न या उनके हिस्से का भोजन न मिलने की दशा में खाद्य सुरक्षा भत्ता प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि कोरोनावायरस महामारी के दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम द्वारा लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित की गई, ताकि गरीब, जरूरतमंद और जोखिम वाले घरों/लाभार्थियों को आर्थिक संकट के दौरान समुचित अनाज की अनुपलब्धता की वजह से वंचित न होना पड़े। वर्ष 2000 के बाद से भारत ने भुखमरी और कुपोषण को कम करने में पर्याप्त प्रगति की है। वर्ष 2000 में भारत का वैश्विक भूख सूचकांक स्कोर 38.8 (चिंताजनक) था जबकि वर्ष 2021 में यह घटकर 27.5 (गंभीर) हो गया है। जनसंख्या में कुपोषितों का अनुपात अब अपेक्षाकृत निम्न स्तर पर है, लेकिन अभी भी कुपोषण चिंता का मुख्य क्षेत्र बना हुआ है।

इस संदर्भ में सरकार की नीतियों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करके निकट भविष्य में इस ज्वलंत समस्या को काफी हद तक दूर किया जा सकता है, जिससे एक स्वस्थ और कुशल समाज देश के विकास में अपना समुचित योगदान देने में सक्षम हो सकेगा।

प्रश्न: 14. फसल विविधता के समक्ष मौजूदा चुनौतियाँ क्या हैं? उभरती प्रौद्योगिकियाँ फसल विविधता के लिये किस प्रकार अवसर प्रदान करती हैं?

(250 शब्दों में उत्तर दीजिये) 15

उत्तर: फसल विविधीकरण से तात्पर्य नई फसलों या फसल प्रणालियों से कृषि उत्पादन को जोड़ने से है, जिसमें एक विशेष कृषि क्षेत्र पर कृषि उत्पादन के पूरक विपणन अवसरों के साथ मूल्य वर्द्धित फसलों से विभिन्न तरीकों से लाभ मिलता है। पशु कृषि/पशुपालन,वानिकी एवं मत्स्य पालन फसल विविधीकरण को बेहतर अवसर प्रदान करते हैं।

भारत में बहुतायत फसल क्षेत्र पूरी तरह से वर्षा पर निर्भर हैं। साथ ही भूमि और जल संसाधनों जैसे संसाधनों का दोहन और अधिकतम उपयोग, पर्यावरण और कृषि की स्थिरता पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। बीज और पौधों की अपर्याप्त आपूर्ति, कृषि के आधुनिकीकरण और मशीनीकरण के पक्ष में भूमि का विखंडन आदि समस्याएँ कृषि उत्पादकता एवं विविधीकरण के समक्ष नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करती हैं।

ग्रामीण सड़क, बिजली, परिवहन, संचार आदि कमज़ोर बुनियादी ढाँचे हैं तथा फसल कटाई के पश्चात् अपर्याप्त प्रौद्योगिकियाँ भी समस्याओं को जन्म देती हैं। खराब होने वाले बागवानी उत्पादों का प्रबंधन करने के लिये अपर्याप्त सुविधाएँ, कमज़ोर कृषि आधारित उद्योग, किसानों में बड़े पैमाने पर निरक्षरता के साथ अपर्याप्त प्रशिक्षित मानव संसाधन, अधिकांश फसलों और पौधों को प्रभावित करने वाले रोगों और कीटों की अधिकता, बागवानी फसलों के लिये अपर्याप्त डेटाबेस के साथ कई वर्षों से कृषि के क्षेत्र में निवेश में कमी आदि समस्याएँ कृषि विविधीकरण के सामने चुनौतियाँ उत्पन्न करती हैं।

वस्तुत: वर्तमान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि क्षेत्र में फसलों की किस्मों एवं उत्पादन की गुणवत्ता में वृद्धि की जा सकती है। प्रौद्योगिकी द्वारा ऊतक संवर्द्धन, भ्रूण संवर्द्धन जैसी पौध प्रवर्द्धन विधियाँ, पशु जैव प्रौद्योगिकी द्वारा मवेशियों की उत्पादकता, रोगों का उपचार व भ्रूण परिवर्द्धन एवं हस्तांतरण द्वारा पशुओं की नई नस्लें विकसित करने में सफलता प्राप्त हुई है। फसलों की समय सीमा को कम करके किसी एक ही भूखंड पर बार-बार खाद्यान्न फसलों का उत्पादन कर तथा पशु की आबादी में आनुवंशिक सुधार कर स्वदेशी पशु की उत्पादकता में वृद्धि कर फसल विविधता को प्राप्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त समुद्री जैव प्रौद्योगिकी के अंदर विभिन्न समुद्री जीवों की खोज, समुद्री खाद्य प्रसंस्करण संभव हुआ है। वर्तमान में जीन अभियांत्रिकी और पौधों की नवीन विकसित प्रजनन प्रौद्योगिकी द्वारा इस तरह के गुणों को समाविष्ट किया जा सकता है, जिन पर कवकनाशी तथा कीटनाशक रसायनों के अवशेषों का प्रभाव न पड़े, इससे खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकती है- Bt कपास, Bt बैंगन, GM सरसों एवं गोल्डन राइस आदि आनुवंशिक रूप से जैव-संवर्द्धित फसलों के ही उदाहरण हैं। जैव उर्वरक के रूप में राइजोबियम, एजोटोबेक्टर, ब्लू ग्रीन एल्गी आदि सूक्ष्मजीवों का प्रयोग किया जा रहा है। साथ ही प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थों; जैसे-नीम, सूक्ष्मजीवों, पौधों तथा जंतुओं से प्राप्त रसायन आदि का उपयोग जैव कीटनाशकों के रूप में किया जा रहा है।

साथ ही नैनो-प्रौद्योगिकी के माध्यम से मिट्टी की स्थितियों तथा खाद्य पदार्थों की पैकिंग से पहले उनमें विभिन्न रोगाणुओं, रासायनिक तत्त्वों की मौजूदगी आदि का पता लगाया जा सकता है। वर्तमान में कृषि रोबोट की सहायता से मुख्यत: फसलों की कटाई की जा सकती है, इसके अलावा ड्रोनों एवं रोबोट के उभरते अनुप्रयोगों में खरपतवार नियंत्रण, क्लाउड सीडिंग, बीज रोपण, मृदा विश्लेषण आदि को प्राप्त किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त रोबोट का इस्तेमाल पशुधन अनुप्रयोगों में भी किया जा रहा है।

निश्चित तौर पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी द्वारा कृषि विविधीकरण को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई है, जिसके माध्यम से खाद्य सुरक्षा को प्राप्त किया जा सकता है, परंतु इसके साथ ही यह आवश्यक है कि प्रौद्योगिकी का उपयोग लाभप्रद तरीके से किया जाए, जिससे प्राकृतिक जैव विविधता एवं सतत विकास का मार्ग सुनिश्चित किया जा सके।

प्रश्न: 15. अनुप्रयुक्त जैव-प्रौद्योगिकी में शोध तथा विकास संबंधी उपलब्धियाँ क्या हैं? ये उपलब्धियाँ समाज के निर्धन वर्गों के उत्थान में किस प्रकार सहायक होंगी?

(250 शब्दों में उत्तर दीजिये) 15

उत्तर: कोई भी प्रौद्योगिकीय अनुप्रयोग जिसमें जैविक प्रणालियों, सजीवों या उत्पन्न पदार्थों का उपयोग किसी विशिष्ट कार्य के लिये, उत्पाद या प्रक्रियाओं के निर्माण या रूपांतरण में किया जाता है, जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है।

हज़ारों वर्षों से मानव कृषि, खाद्य उत्पादन और औषधि निर्माण में जैव प्रौद्योगिकी में शोध करते आया है। बीसवीं सदी के अंत तथा 21वीं सदी के आरंभ से जैव प्रौद्योगिकी में विज्ञान के कई अन्य आयामों जैसे आनुवंशिक इंजीनियरिंग, जीन अभियांत्रिकी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन द्वारा परखनली शिशु का निर्माण, जीन का संश्लेषण एवं उपयोग, CRISPR-Cas9 तकनीक, DNA टीके का निर्माण या दोष युक्त जीन का सुधार तथा जीन चिकित्सा के माध्यम से गंभीर बीमारियों का उपचार आदि सभी जैव प्रौद्योगिकी की उपलब्धियाँ हैं।

कृषि के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी द्वारा आनुवंशिक रूप से परिवर्तित पराजीनी फसलें, यथा-Bt कपास, Bt बैंगन, GM सरसों आदि तथा जैव उर्वरकों व जैव कीटनाशकों का विकास किया गया है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में सूक्ष्म जीवों का विनाश कर खाद्य की सुरक्षा एवं गुणवत्ता में सुधार किया गया है एवं विभिन्न प्रकार के खाद्य उत्पाद तैयार किये गए हैं, जो न सिर्फ पोषण की दृष्टि से उन्नत होते हैं, बल्कि स्वाद, सुगंध आदि में भी उत्तम होते हैं। पर्यावरणीय जैव प्रौद्योगिकी द्वारा जैवोपचारण प्रौद्योगिकी का विकास किया गया है। कार्बन प्रच्छादन, प्राणी तथा पादप विविधता आदि जैव प्रौद्योगिकी की उपलब्धियाँ हैं। पशु जैव प्रौद्योगिकी की विभिन्न विधाओं; जैसे-भ्रूण हस्तांतरण, भ्रूण परिवर्द्धन, पोषण, स्वास्थ्य रोगों के उपचार, परखनली निषेचन में उल्लेखनीय प्रगति के माध्यम से पशुओं की नई नस्लें विकसित करने, नस्ल सुधार एवं स्वास्थ्य सुधार में विशेष सफलता मिली है। समुद्री जैव प्रौद्योगिकी पर बढ़ते शोध ने बहुत सी दवाओं के विकास को संभव बनाया है तथा वैज्ञानिकों को समुद्री जीवों के विकास और उनसे जुड़े महत्त्वपूर्ण पहलुओं को समझने में सुविधा प्रदान की है।

इस क्षेत्र में हुई प्रगति को देखते हुए यह माना जा रहा है कि जैव प्रौद्योगिकी देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। प्रमुख बीमारियों की रोकथाम और इलाज को सक्षम बनाते हुए निर्धनों तक इसकी पहुँच सुनिश्चित की जा सकती है तथा बेहतर कृषि उत्पादकता की चुनौतियों का समाधान कर कृषि उत्पादकता को बढ़ाते हुए आर्थिक विकास को संभव किया जा सकता है। इससे निर्धनता को अप्रत्यक्ष रूप से कम करने में सफलता प्राप्त होगी। राष्ट्रीय पोषण की ज़रूरतों को पूरा करते हुए भुखमरी को कम करने में सहायता मिलेगी, जो आत्मनिर्भर भारत को प्राप्त करने तथा समावेशी समाज को विकसित करने की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम साबित होगा।

जैव प्रौद्योगिकी द्वारा आर्थिक विकास को गति प्रदान कर लोगों के जीवन स्तर को सुधारने में सहायता प्राप्त हो सकती है तथा समाज में व्याप्त आय असमानता को समाप्त कर बेरोज़गारी व निर्धनता से छुटकारा पाया जा सकता है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ने सामाजिक उत्थान के प्रत्येक पहलू पर अपनी छाप छोड़ी है। इसका मूलभूत उद्देश्य समाज एवं राष्ट्र के उत्थान के लिये उपयोगी सिद्ध होना है।

प्रश्न: 16. वर्ष 2014 में भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से आकासाकी, अमानो तथा नाकामुरा को 1990 के दशक में नीली एल.ई.डी. के आविष्कार के लिये प्रदान किया गया था। इस आविष्कार ने मानव-जाति के दैनंदिन जीवन को किस प्रकार प्रभावित किया है?

(250 शब्दों में उत्तर दीजिये) 15

उत्तर: भौतिकी के लिये 2014 का नोबेल पुरस्कार वैज्ञानिक प्रोफेसर अकासाकी, हिरोशी अमानो और नाकामुरा को सम्मिलित रूप में 1990 के दशक की शुरुआत में ब्लू लाइट-एमिटिंग डायोड (LED) के आविष्कार के लिये दिया गया था।

हालाँकि LED की खोज को लगभग 50 से अधिक वर्षों का समय हो गया था, लेकिन ये LED प्रकृति में केवल एक रंग (मोनोक्रोमेटिक) यानी केवल लाल और हरे रंग की LED में उपलब्ध थीं, नीले रंग की LED का आविष्कार नहीं किया गया था, जिसके कारण सफेद LED का निर्माण संभव नहीं था। चूँकि सफेद LED

केवल तीन प्राथमिक रंगों लाल, हरे और नीले के संयोजन से ही बनाई जा सकती है। इसलिये, नीली LED के निर्माण के लिये नोबेल वैज्ञानिकों द्वारा गैलियम नाइट्राइड का उपयोग किया जाना एक महत्त्वपूर्ण कदम साबित हुआ। अत: नीली LED के आविष्कार ने कई अनुप्रयोगों के लिये रास्ते खोल दिये।

LED ने पारंपरिक बल्ब का स्थान ले लिया, जो विभिन्न रंगों और दक्ष ऊर्जा में उपलब्ध हैं। LED में अधिक स्थायित्व होता है, जो तापदीप्त बल्बों की तुलना में 10 गुना अधिक होता है। LED डिज़िटल स्क्रीन में एक आवश्यक घटक बन गया है, क्योंकि वे अपनी पूर्ववर्ती तकनीकों की तुलना में उच्च कंट्रास्ट प्रदान करते हैं और इनकी ऊर्जा दक्षता भी अधिक होती है। LED में हालिया विकास O-LED या ऑर्गेनिक-LED (Organic LED) है, जो स्क्रीन को आकार देने में लचीलापन प्रदान करता है। O-LED अब व्यापक रूप से पहनने योग्य उपकरणों, स्मार्टफोन आदि में उपयोग किया जाता है। LED आकार में बहुत भिन्नता प्रदान करता है, इनका आकार कुछ मिमी. से लेकर कई फुट तक होता है। यह सर्किट बोर्ड से लेकर होम लाइटिंग तक विस्तृत रेंज के अनुप्रयोगों को अनुकूल बनाता है।

इस दिशा में सरकार ने भी ऊर्जा संरक्षण में LED के महत्त्व को महसूस करते हुए विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों; जैसे- उज्ज्वला (सभी के लिये सस्ती LED द्वारा उन्नत ज्योति) और स्ट्रीट लाइट राष्ट्रीय कार्यक्रम जैसी कई योजनाओं द्वारा उनके उपयोग को प्रोत्साहित किया है। इस प्रकार, यह कहना उचित होगा कि LED ने हमारे दैनंदिन जीवन में क्रांति ला दी है।

प्रश्न: 17. संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन (यू.एन.एफ.सी.सी.सी.) के सी.ओ.पी. के 26वें सत्र के प्रमुख परिणामों का वर्णन कीजिये। इस सम्मेलन में भारत द्वारा की गई वचनबद्धताएँ क्या हैं?

(250 शब्दों में उत्तर दीजिये) 15

उत्तर: स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मलेन (UNFCCC) के 26वें सत्र के प्रमुख परिणाम निम्नलिखित हैं-

- पृथ्वी पर 85 प्रतिशत वनों की हिस्सेदारी वाले 105 देशों के नेताओं ने 'ग्लासगो घोषणा' पर हस्ताक्षर किये हैं। यह घोषणा वनों की कटाई और भूमि क्षरण को 2030 तक पूर्ण रूप से रोकने के लिये हस्ताक्षर करने वाले देशों को बाध्य करती है। यह ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के साथ-साथ समुदायों के वन आधारित अस्तित्व को बनाए रखने के लिये पोषित किया जाने वाला समझौता है, जिसमें दुनिया की 25 प्रतिशत आबादी शामिल है।
- वनों की कटाई के लिये ज़िम्मेदार प्रमुख उत्पादों के वैश्विक व्यापार में 75 प्रतिशत की हिस्सेदारी रखने वाले 28 देशों ने एक नए वन, कृषि और उपभोक्ता वस्तु व्यापार (FACT) स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर किये हैं। FACT स्टेटमेंट स्थायी व्यापार देने और जंगलों पर दबाव कम करने के लिये छोटे किसानों के समर्थन और आपूर्ति शृंखला की पारदर्शिता में सुधार सहित सामान्य कार्यों को निर्धारित करता है। इसमें उत्पाद की वैश्विक शृंखला में वनों की कटाई को कम करना शामिल है। इसी को जारी रखते हुए 30 वित्तीय संस्थानों ने भी, जिनकी कुल संपत्ति 8-7 खरब डॉलर से अधिक है, उत्पाद-संचालित वनों की कटाई में निवेश को समाप्त करने की सहमति प्रदान की है।
- इन उद्देश्यों को संभव बनाने के लिये 2021-2025 के दौरान 19 अरब डॉलर की निजी और सार्वजनिक वित्त की उपलब्धता की प्रतिबद्धता प्रदर्शित की गई है। इसमें से 12 अरब डॉलर 12 देशों के सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों से और शेष 30 वित्तीय संस्थानों से उपलब्ध होंगे।
- 'ग्लासगो ब्रेकथ्रू एजेंडा' (Glasgow Breakthrough Agenda) को भारत सहित 42 देशों द्वारा अनुमोदित किया गया है। यह स्वच्छ ऊर्जा, सड़क परिवहन, इस्पात और हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों में स्वच्छ प्रौद्योगिकियों और संवहनीय समाधानों के विकास और तैनाती में तेज़ी लाने के लिये एक सहकारी प्रयास है।

COP 26 में जलवायु कार्रवाई के लिये भारत की ओर से पाँच प्रतिबद्धताएँ प्रस्तुत की गई, इनमें शामिल हैं :

- वर्ष 2030 तक भारत की गैर-जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट (GW) तक ले जाना।
- वर्ष 2030 तक भारत की 50% ऊर्जा आवश्यकताओं को अक्षय ऊर्जा के माध्यम से पूरा करना।
- वर्ष 2030 तक भारत की अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता (इन्टेंसिटी) में 45 प्रतिशत से अधिक की कमी करना।
- अब से लेकर वर्ष 2030 तक भारत के शुद्ध अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन टन की कटौती करना।
- वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करना।

निष्कर्षत: भारत जनभागीदारी के द्वारा सरकारी नीतियों के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और संबंधित विभिन्न हितधारकों के बीच समन्वय स्थापित करते हुए अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा कर सकता है।

प्रश्न: 18. भू-स्खलन के विभिन्न कारणों और प्रभावों का वर्णन कीजिये। राष्ट्रीय भू-स्खलन जोखिम प्रबंधन रणनीति के महत्त्वपूर्ण घटकों का उल्लेख कीजिये।

(250 शब्दों में उत्तर दीजिये) 15

उत्तर: पर्वतीय ढालों या नदी तटों पर छोटी शिलाओं, मिट्टी या मलबे का अचानक खिसककर नीचे आना ही भूस्खलन है। यह एक प्राकृतिक घटना है जिसकी आवृत्ति मानवजनित कारणों से काफी बढ़ जाती है। भूस्खलन के कारण निम्नलिखित हैं-

- **जलवायु परिवर्तन :** वैश्विक तापमान में वृद्धि के कारण ग्लेशियरों के पिघलने और भारी वर्षा की घटनाओं की दर में वृद्धि हुई है, जिसके परिणामस्वरूप भूस्खलन का खतरा बढ़ता जा रहा है।
- **भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट :** हिमालय एक युवा पर्वत शृंखला होने के कारण एक सक्रिय अभिसरण क्षेत्र के ऊपर स्थित है जो भूकंप के लिये प्रवण है। वहीं ज्वालामुखी उद्भेदन से भी पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन बढ़ जाता है।
- **नदियाँ:** हिमालयी नदियाँ अपनी युवावस्था में हैं। एक खड़ी ढलान पर नदी के तेज़ प्रवाह के परिणामस्वरूप ऊर्ध्वाधर क्षरण और डाउन-कटिंग होती है।
- **जनसंख्या का दबाव :** बढ़ते जनसंख्या दबाव के कारण विकासात्मक गतिविधियों के लिये वनोन्मूलन, बांध निर्माण, पर्वतीय क्षेत्रों में होटल और अनियोजित बसावट आदि से भी भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है; जैसे- उत्तराखंड में चार धाम परियोजना।

उपर्युक्त कारणों से भूस्खलन के प्रभाव व्यापक हो सकते हैं, जिनमें जीवन की हानि, आधारभूत ढाँचे का विनाश एवं प्राकृतिक संसाधनों की हानि आदि शामिल हैं। इससे नदियाँ गाद और अवशेषों से भरकर बाढ़ ला सकती हैं, जो भूमि, खड़ी फसलों, बीज, पशुधन और खाद्य भंडार को नष्ट करके किसानों की आजीविका को कुप्रभावित कर सकती है।

राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रबंधन रणनीति के महत्त्वपूर्ण घटक निम्नलिखित हैं :

- भूस्खलन जोखिम क्षेत्र।
- भूस्खलन निगरानी और पूर्व चेतावनी प्रणाली।
- जागरूकता कार्यक्रम।
- हितधारकों का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण।
- पर्वतीय क्षेत्र विनियमों की तैयारी और नीतियाँ।
- भूस्खलन का स्थिरीकरण और शमन एवं भूस्खलन प्रबंधन हेतु विशेष प्रयोज्य वाहन (SPV) का निर्माण।

प्रश्न: 19. भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिये बाह्य राज्य और गैर-राज्य कारकों द्वारा प्रस्तुत बहुआयामी चुनौतियों का विश्लेषण कीजिये। इन संकटों का मुकाबला करने के लिये आवश्यक उपायों की भी चर्चा कीजिये।

(250 शब्दों में उत्तर दीजिये) 15

उत्तर: बाह्य राज्यों को देश की बाहरी सीमाओं की सुरक्षा के दृष्टिकोण से खतरा माना जाता है, जो युद्ध और पारस्परिक अविश्वास के रूप में अभिव्यक्त होता है, लेकिन वर्तमान समय में बाह्य राज्यों द्वारा किसी राज्य की आंतरिक सुरक्षा को विभिन्न माध्यमों; जैसे- सीमा पार प्रायोजित आतंकवाद, हवाला, नकली नोटों के प्रसार, मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध घुसपैठ और साइबर हमले द्वारा विशिष्ट संस्थाओं की गोपनीयता एवं सुरक्षा के उल्लंघन द्वारा नुकसान पहुँचाया जा सकता है। उदाहरण के लिये, पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद, अन्य देशों द्वारा नेपाल-भारत की खुली सीमा का लाभ उठाकर भारत में आतंकी और वामपंथी उग्रवादी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है।

गैर-राज्य अभिकर्त्ताओं में अंतर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठन, बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ, आतंकवादी और धार्मिक समूह, हैकर आदि शामिल हो सकते हैं। ये अभिकर्त्ता राज्य प्रायोजित आतंकवाद के साथ-साथ पाकिस्तान द्वारा लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद जैसे अन्य आतंकवादी समूहों को समर्थन देने, मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों द्वारा पूर्वोत्तर भारत में विद्रोहियों को अवैध धन उपलब्ध कराने, गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट की निकटता का लाभ लेकर मादक पदार्थों की अंतर्राज्यीय व अंतरा-राज्यीय तस्करी से आतंकवादियों के वित्त-पोषण का कार्य करते हैं।

उपर्युक्त खतरों से निपटने के लिये आवश्यक उपाय निम्नलिखित हैं :

- उपर्युक्त समस्याओं के लिये गठित विभिन्न संस्थागत और विधायी तंत्रों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देकर उनके बीच अंत:क्रियाशीलता में सुधार किया जाना चाहिये।
- संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी का त्वरित और कुशल साझाकरण सुनिश्चित करने हेतु कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सरकार, मीडिया और जनता के बीच सहयोग बढ़ाना चाहिये।
- जागरूकता अभियान और अंतर-धार्मिक चर्चाओं को आगे बढ़ाया जाना चाहिये।
- भारत में साइबर शिक्षा हेतु अलग व्यवस्था होनी चाहिये।

बाह्य राज्य और गैर-राज्य दोनों कारकों से सुरक्षा हेतु कूटनीतिक मज़बूती पर बल देना चाहिये एवं आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु सामाजिक-सांस्कृतिक लोकाचार को पुनर्जीवित करने का प्रयास करना चाहिये, जिसमें शिक्षा एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

प्रश्न: 20. आतंकवाद की जटिलता और तीव्रता, इसके कारणों, संबंधों तथा अप्रिय गठजोड़ का विश्लेषण कीजिये। आतंकवाद के खतरे के उन्मूलन के लिये उठाए जाने वाले उपायों का भी सुझाव दीजिये।

(250 शब्दों में उत्तर दीजिये) 15

उत्तर: आतंकवाद का सरल अर्थ भय उत्पन्न कर अपने उद्देश्य की पूर्ति करना है। यह कोई विचारधारा या सिद्धांत नहीं, अपितु एक उपकरण है जिसका प्रयोग कर कोई राज्य, राजनीतिक संगठन, अलगाववादी संगठन एवं जातीय-धार्मिक उन्मादी अपने उद्देश्य की पूर्ति करता है।

आतंकवाद के कारणों एवं आतंकवादी फंडिंग के स्रोत के रूप में संबंधों और एक अप्रिय गठबंधन को निम्नलिखित बिंदुओं से समझ सकते हैं :

- निरक्षरता, गरीबी, उच्च बेरोज़गारी, भ्रष्टाचार आदि का लाभ लेकर युवाओं की ब्रेन वॉशिंग और इंटरनेट के माध्यम से उनमें कट्टरता और घृणा का भाव उत्पन्न करना।
- ऐतिहासिक अन्याय और मानवाधिकारों का उल्लंघन जैसी भ्रामक जानकारियों का सहारा लेकर युवाओं को आकर्षित करना।
- संगठित अपराध तथा आतंकवाद के बीच पनपा गठजोड़।
- समाज में बढ़ती असहिष्णुता तथा इनका लाभ उठाना।
- पूर्वोत्तर भारत में विद्रोहियों को अवैध धन उपलब्ध कराने के लिये गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट की निकटता का लाभ लेकर मादक पदार्थों की अंतर्राज्यीय व अंतरा-राज्यीय तस्करी से आतंकवादियों के वित्तपोषण का कार्य।
- अंतर्राष्ट्रीय सहायता से आतंकवादियों को नवीन तकनीकों की उपलब्धता एवं आतंकवादियों द्वारा इसका उपयोग।

आतंकवाद के उन्मूलन हेतु भारत द्वारा विभिन्न उपाय किये गए हैं; जैसे-राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980; विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (2019 में संशोधित); अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय (CCIT), 1996; धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2012 में संशोधित) आदि। हालाँकि, आतंकवाद जैसे व्यापक चरित्र वाले शत्रु के लिये उपर्युक्त उपाय ही पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि अन्य सुझावों पर कार्य करने की भी आवश्यकता है, जो निम्नलिखित हैं-

- अंतर-एजेंसी भागीदारी और सूचना विनिमय को बढ़ावा देने के लिये राष्ट्रीय समन्वय तंत्र को मज़बूत करना, संयुक्त निगरानी की सुविधा एवं खतरे का आकलन करना आदि।
- आतंकवादी और संगठित अपराधों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना।
- अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर एक व्यापक अभिसमय को अंगीकार करना।
- अवैध धन और लोगों के अवैध पारगमन को रोकने के लिये सीमा सुरक्षा प्रयासों को बढ़ावा देना।
- यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि सामाजिक-आर्थिक विकास के परिणाम समावेशी हों। ■■■

सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-IV

प्रश्न: 1. (a) उन पाँच नैतिक लक्षणों की पहचान कीजिये, जिनके आधार पर लोक सेवक के कार्य-निष्पादन का आकलन किया जा सकता है। मेट्रिक्स में उनके समावेश का औचित्य सिद्ध कीजिये।

(उत्तर 150 शब्दों में दीजिये) 10

उत्तर: कार्य निष्पादन आकलन कर्मचारी के कार्य निष्पादन के मूल्यांकन का एक संगठित तरीका होता है जिसमें उसके वास्तविक कार्य निष्पादन तथा कार्य को करने के पूर्व निर्धारित स्तरों एवं मानकों के बीच तुलना की जाती है। एक लोक सेवक इस विश्वास के आधार पर सार्वजनिक पद धारण करता है कि वह अपने कार्य निष्पादन में नैतिक मानकों का पालन करेगा। लोक सेवाओं का मूलभूत उद्देश्य इसी विश्वास पर आधारित है।

नैतिक मानकों के आधार पर एक लोक सेवक यह तय कर सकता है कि किसी कार्य को नैतिकतापूर्ण ढंग से किया गया है या नहीं। यहाँ कुछ नैतिक मानक दिये गए हैं जो एक लोक सेवक के कार्य निष्पादन का आकलन करने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं; जैसे-

- **कार्य के प्रति निष्ठा और समर्पण:** यह गुण ही लोक सेवक को सौंपे गए कार्य के प्रति उसके इरादे और दृष्टिकोण को नियंत्रित करता है और दिये गए कार्य के प्रति जवाबदेही को नियंत्रित करता है।
- **भावनात्मक रूप से बुद्धिमान:** भावनात्मक बुद्धिमत्ता एक प्रशासक को तटस्थ, निष्पक्ष, श्रेष्ठ और तर्कसंगत होने में मदद करती है।
- **ईमानदारी:** इसके आधार पर एक लोक सेवक किसी कार्य को बिना किसी लालच और भय के करने में सक्षम हो पाता है।
- **करुणा और सहानुभूति:** वंचित वर्ग के प्रति करुणा और सहानुभूति एक लोक सेवक को वस्तुनिष्ठता के उच्च मानकों से समझौता न करके समस्या के अभिनव और प्रभावी समाधान के लिये प्रेरित करती है।
- **साहस:** प्लेटो ने साहस को सद्गुणों के अंतर्गत रखा है और यह एक लोक सेवक के लिये महत्त्वपूर्ण गुण है। सेवाकाल के दौरान एक लोक सेवक को सत्य तथा समाज में होने वाले हर संभव अन्याय के खिलाफ खड़े होने के लिये साहस की आवश्यकता होती है।

उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि कार्य निष्पादन में इन नैतिक मानकों को बनाए रखने से एक लोक सेवक को समाज और सरकार द्वारा उस पर विश्वास बनाए रखने में मदद मिलती है।

प्रश्न: 1. (b) उन दस आधारभूत मूल्यों की पहचान कीजिये, जो एक प्रभावी लोक सेवक होने के लिये आवश्यक हैं। लोक सेवकों में गैर-नैतिक व्यवहार के निवारण के तरीकों और साधनों का वर्णन कीजिये।

(उत्तर 150 शब्दों में दीजिये) 10

उत्तर: नीतिशास्त्र में कई ऐसे मूल्य हैं जो लोक सेवकों की अभिवृत्ति तथा उनके कार्य निष्पादन को प्रभावित करते हैं, इसके अंतर्गत सामाजिक, राजनीतिक, व्यक्तिगत तथा प्रशासनिक मूल्य शामिल किये जाते हैं। अपने सेवाकाल के दौरान एक लोक सेवक को दक्षता, जवाबदेही, अनुक्रियाशीलता, तटस्थता और प्रभावकारिता जैसे प्रशासनिक मूल्यों के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए तथा नैतिक सिद्धांतों को लागू करने की चुनौती को स्वीकारते हुए कार्य करना होता है। इस स्थिति में कुछ आधारभूत मूल्यों को एक प्रभावी लोक सेवक के लिये आवश्यक माना गया है; जैसे-

- लोकहित में कार्य करना।
- राजनीतिक रूप से तटस्थ रहना।
- गोपनीय सूचनाओं को प्रकट न करना।
- जनसामान्य को कुशल, प्रभावी तथा निष्पक्ष सेवा प्रदान करना।
- हितों के संघर्ष से बचना।
- जवाबदेही एवं उत्तरदायित्व।
- सत्यनिष्ठा एवं समर्पण का भाव।
- ईमानदारी।
- प्रतिबद्धता।
- साहसिक होना।

लोक सेवकों में बढ़ती अभिजात्य प्रवृत्ति तथा लालफीताशाही के कारण लोक सेवकों के आचरण पर प्रश्न चिह्न लगाए जाते रहे हैं। इस संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों के लिये केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 के रूप में आचरण नियमावली जारी की गई, इसके साथ भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा एक प्रभावी एवं उत्तरदायी सरकार हेतु कार्य योजना के एक भाग के रूप में लोक सेवाओं हेतु एक नीतिपरक आचार संहिता निर्मित की गई थी, जिसे मई 1997 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया था। इस संहिता का उद्देश्य लोक सेवाओं पर लागू होने वाले अखंडता और आचरण के मानकों को निर्धारित करना था।

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की चौथी रिपोर्ट 'शासन में नैतिकता' को सुनिश्चित करने के संबंध में महत्त्वपूर्ण प्रावधान करती है, इसके साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 तथा लोक सेवकों के संदर्भ में अनुशासनिक कार्रवाइयाँ इस संदर्भ में महत्त्वपूर्ण साधन सिद्ध होती हैं। वर्तमान समय में लोक सेवकों में बुनियादी नैतिक मूल्यों के उत्थान के संदर्भ में मिशन कर्मयोगी एक सराहनीय कदम है।

प्रश्न: 2. (a) तर्कसंगत निर्णय लेने के लिये निवेश (इनपुट) के विश्वसनीय स्रोत के रूप में डिज़िटल प्रौद्योगिकी का प्रभाव एक बहस का मुद्दा है। उपयुक्त उदाहरण के साथ आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये।

(उत्तर 150 शब्दों में दीजिये) 10

उत्तर: डिज़िटल प्रौद्योगिकी का प्रयोग वर्तमान मनुष्य के दैनिक जीवन को विभिन्न रूपों से प्रभावित कर रहा है, व्यक्तिगत अथवा व्यावसायिक दृष्टिकोण से निर्णय लेने में डिज़िटल पदों की अहम भूमिका है। तर्कसंगत निर्णय लेने में एक विश्वसनीय स्रोत के रूप में डिज़िटल प्रौद्योगिकी की भूमिका-

- प्रशासन के संदर्भ में निर्णय लेने हेतु उपस्थित डाटा को एकत्र करने एवं इसे सार्थक जानकारी में परिवर्तित करने हेतु; जैसे-आधार कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड आदि।
- वर्तमान महामारी के दौर में सरकार को समय-समय पर तत्काल निर्णय लेने की आवश्यकता पड़ी है; जैसे-क्षेत्र विशेष अथवा संपूर्ण देश में लॉकडाउन की घोषणा, वैक्सीनेशन की स्थिति आदि। ऐसे निर्णय को लेने से पूर्व सरकार के समक्ष उपलब्ध विभिन्न डाटा, जो डिज़िटल प्रौद्योगिकी के प्रयोग से तैयार किये गए हैं, महत्त्वपूर्ण साबित हुए हैं।
- जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक आपदाओं की पूर्व सूचना देने एवं उनके निराकरण के लिये उचित कदम उठाने में डिज़िटल प्रौद्योगिकी के अंतर्गत बिग डाटा विश्लेषण अहम भूमिका निभा रहा है।

डिज़िटल प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग

- डिज़िटल प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग का सबसे बड़ा माध्यम वर्तमान में सोशल मीडिया है। भ्रामक खबरें एवं असत्यापित जानकारी लोगों के निर्णय को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है; जैसे-चुनावों से पूर्व भ्रामक खबरें, वैक्सीन के संदर्भ में भ्रामक खबरें।
- डिज़िटल प्रौद्योगिकी का अधिक प्रयोग मानव की तर्कसंगतता को कमज़ोर बनाता है। अधिक जानकारियों के उपलब्ध होने पर भी गलत निर्णय लेने की संभावना प्रबल होती है।
- डिज़िटल प्रौद्योगिकी मनुष्य के नैतिक मूल्यों; जैसे-करुणा, समानुभूति एवं निष्पक्षता आदि को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है।
- निर्णय लेने में डिज़िटल प्रौद्योगिकी का अधिक प्रयोग डिज़िटल ज्ञान से वंचित वर्ग की निर्णय लेने में भागीदारी कम अथवा समाप्त कर देता है।

इस प्रकार आवश्यक है कि निर्णय लेने में मानवीय मूल्यों एवं विवेक पर निर्भर रहते हुए डिज़िटल प्रौद्योगिकी का अनुकूलतम प्रयोग किया जाए।

प्रश्न: 2. (b) नैतिक दुविधा का समाधान करते समय एक लोक अधिकारी को कार्यक्षेत्र के ज्ञान के अलावा परिवर्तनशीलता और उच्च क्रम की रचनात्मकता की भी आवश्यकता होती है। उपयुक्त उदाहरण सहित विवेचन कीजिये। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिये) 10

उत्तर: नैतिक दुविधा ऐसी परिस्थिति है, जिसमें निर्णयन में दो या अधिक नैतिक सिद्धांतों में टकराव होता है। दोनों में से एक को चुनना होता है और दोनों बराबर की स्थिति में होते हैं।

नैतिक दुविधाओं को हल करने में कार्यक्षेत्र का ज्ञान महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि:

- यह निर्णयों की गुणवत्ता और सेवा वितरण में सुधार करने में मदद करती है, इस प्रकार सार्वजनिक विश्वास को बढ़ावा देती है। उदाहरण के लिये, महाराष्ट्र के नंदुरबार के कलेक्टर डॉ. राजेंद्र अपने क्षेत्रीय ज्ञान के कारण प्रभावी तरीके से कोविड की दूसरी लहर का प्रबंधन करने में सक्षम हुए।
- कार्य क्षेत्र की विशेषज्ञता रखने वाले लोक सेवक विशिष्ट क्षेत्र की बारीकियों और गतिशीलता को समझने में सक्षम होते हैं, जो परस्पर विरोधी मूल्यों के बीच टकराव को हल करने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिये, मेट्रो मैन कहे जाने वाले ई. श्रीधरन शिक्षा से एक लोक इंजीनियर है।
- यह बाहरी विशेषज्ञ परामर्श पर निर्भरता को कम करते हुए योग्यता, दक्षता, निष्पक्षता को भी बढ़ावा देती है।
- नैतिक दुविधाओं को हल करने के लिये नवीनता और रचनात्मकता की भी आवश्यकता होती है।
- विभिन्न विशेषज्ञ एक ही समस्या के लिये अलग-अलग सुझाव/दृष्टिकोण प्रस्तुत कर सकते हैं। रचनात्मकता और नवाचार से युक्त एक लोक सेवक प्रभावी नीति हेतु सही सलाह एवं आँकड़ों की पहचान कर सकता है।
- यह राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक बाधाओं को दूर करने के लिये काम करते हुए उभरती अंतर-अनुशासनात्मक समस्याओं को हल करने हेतु भी महत्त्वपूर्ण है। उदाहरण, आर्थिक मंदी, राजनीति व्यापार गठजोड़ और जोखिम का आकलन करने में बैंकों की अक्षमता।
- यह "आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग" की क्षमता को विकसित करता है; जैसे- समस्या समाधान हेतु आई.सी.टी. का उपयोग।

निष्कर्षत: कार्यक्षेत्र की विशेषज्ञता और रचनात्मकता दोनों एक लोक सेवक के महत्त्वपूर्ण गुण हैं, जो उसे विभिन्न नैतिक दुविधाओं को हल करने में सक्षम बनाते हैं।

प्रश्न: 3. निम्नलिखित में से प्रत्येक उद्धरण का आपके विचार से क्या अभिप्राय है?

(a) "प्रत्येक कार्य की सफलता से पहले उसे सैकड़ों कठिनाइयों से गुज़रना पड़ता है। जो दृढ़ निश्चियी हैं, वे ही देर-सबेर प्रकाश को देख पाएँगे।" -स्वामी विवेकानंद

(उत्तर 150 शब्दों में दीजिये) 10

उत्तर: दृढ़ता अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करने के लिये किसी के प्रयासों को बनाए रखने की क्षमता है। दृढ़ता छोटे और बड़े मामलों में सफलता की कुंजी है, इसके संदर्भ में नीचे चर्चा की गई है-

- चलने के लिये सीखने में कई बार गिरना शामिल है, इससे पहले कि पहला कदम सीधे मुद्दे में रखा जाए।
- व्यस्कता में सत्यनिष्ठा, वर्षों की मूल्य भावना और बेईमानी के प्रलोभनों पर विजय प्राप्त करने से बनती है।
- आत्मज्ञान प्राप्त करने से पहले, गौतम बुद्ध ने खुद को सबसे गंभीर तपस्या, बौद्धिक प्रश्नों और वाद-विवाद के अधीन कर लिया।
- महात्मा गांधी के 'सत्य के साथ प्रयोग' में अपरिपक्व उम्र में झूठ बोलना और चोरी करना शमिल थे। स्वतंत्रता संग्राम के प्रति उनका दृष्टिकोण, चौरी-चौरा और भारत छोड़ो आंदोलन के विपरीत तरीकों से विकसित हुआ।
- स्वामी विवेकानंद स्वयं एक जिज्ञासु युवक थे, जो सभी हठधर्मिता पर सवाल उठाते थे। उनके खुले और असंतुष्ट मन ने उन्हें अपने भविष्य के गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस से मिलने के लिये प्रेरित किया और उन्होंने जीवन में अपने मिशन से मुलाकात की।

सफलता के मार्ग के हिस्से हैं- कठिनाइयाँ, परीक्षण, क्लेश जो दृढ़ रहते हैं, वे प्रकाश को देखते हैं, दृढ़ता का मार्ग छोड़ने वाले इस प्रकाश को कभी नहीं देख सकते हैं।

(b) "हम बाहरी दुनिया में तब तक शांति प्राप्त नहीं कर सकते जब तक कि हम अपने भीतर शांति प्राप्त नहीं कर लेते।" -दलाई लामा (उत्तर 150 शब्दों में दीजिये) 10

उत्तर: शांति संघर्ष की कमी और स्वीकृति की स्थिति है। शांति व्यक्तियों और समाज को उनकी क्षमता से स्वस्थ लाभ प्राप्त करने की अनुमति देती है।

विश्व में शांति के लिये आंतरिक शांति की प्रासंगिकता

- भीतर की शांति अच्छे मानसिक स्वास्थ्य की कुंजी है, जो घर पर माता-पिता और बच्चों, सीमाओं पर सैनिकों, सार्वजनिक जीवन में नेताओं, काम पर कर्मचारियों आदि की भूमिकाओं के लिये महत्त्वपूर्ण है।
- आंतरिक शांति, धार्मिक सद्भाव को बढ़ावा देने में मदद करती है, जो सांप्रदायिकता का विरोधी है।
- जब लोग अपने भीतर तृप्त होते हैं, तो बलात्कार, चोरी, घरेलू हिंसा, भ्रष्टाचार आदि जैसे अपराधों की घटनाएँ कम होने की संभावना होती है।
- आंतरिक शांति लालच की कमी से जुड़ी है, जिसका प्रभाव धन, स्थिति और आय की असमानता, जलवायु परिवर्तन आदि पर पड़ता है।
- नस्लवाद, अलगाववाद, आदि जैसे सामाजिक संघर्षों को व्यक्तियों के भीतर आंतरिक कमी के लिये ज़िम्मेदार ठहराया जा सकता है।

आंतरिक शांति विश्व में शांति का निर्माण खंड है, परंतु शांति की इच्छा को हठधर्मिता और संघर्षों के प्रति समर्पण के खतरे से बचना चाहिये।

प्रश्न: 3. (c) "परस्पर निर्भरता के बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं है। हमें एक-दूसरे की ज़रूरत है और जितनी हम जल्दी इसे सीख लें यह हम सबके लिये उतना ही अच्छा है।"
-एरिक एरिकसन

(उत्तर 150 शब्दों में दीजिये) 10

उत्तर: परस्पर निर्भरता दुनिया का एक बुनियादी तथ्य है। पारिस्थितिकी से खगोलीय पिंडों, परिवार से राष्ट्रों तक, हम एक अन्योन्याश्रित दुनिया में रहते हैं।

परस्पर निर्भरता का महत्त्व

- **मूल्य:** परिवार, स्कूल, दोस्त, समुदाय व्यक्ति में मूल्यों को महत्त्व देते हैं और समाज के नैतिक ताने-बाने को बुनते हैं।
- **जलवायु कार्रवाई:** जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण क्षति के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के लिये सामान्य लेकिन अलग-अलग ज़िम्मेदारियाँ हैं।
- **लोकतंत्र:** संस्थागत जाँच और संतुलन की व्यवस्था, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के बीच शक्तियों का वितरण या संघवाद के माध्यम से लोकतंत्र को बनाए रखने के लिये आवश्यक है।
- **भावनात्मक भलाई:** स्वयं और दूसरों की भावनात्मक ज़रूरतों को समझना, भावनात्मक रूप से समझा जाना अन्योन्याश्रित प्रतिबिंब की अभिव्यक्ति है।
- **वैज्ञानिक विकास:** न्यूटन और आइंसटीन जैसे बौद्धिक दिग्गजों के कंधों पर निर्भरता, शोध प्रबंध के माध्यम से ज्ञानमीमांसा।
- **विरासत:** जनजातीय ज्ञान प्रणालियों, मौखिक परंपराओं, साहित्य, धर्म आदि के माध्यम से अंतर पीढ़ीगत ज्ञान संस्कृति के स्रोत हैं।

इतिहास, संस्कृति, पारिस्थितिकी और विकास सभी अन्योन्याश्रित हैं। ग्लोबल वार्मिंग और विकास घाटा आधुनिक दुनिया में अन्योन्याश्रितता का सबसे शिक्षाप्रद उदाहरण है। अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये, हमें अपने आसपास के समाज और प्रकृति का ध्यान रखना होगा।

प्रश्न: 4. (a) अभिवृत्ति एक महत्त्वपूर्ण घटक है, जो मानव के विकास में निवेश (इनपुट) का काम करता है। ऐसी उपयुक्त अभिवृत्ति का विकास कैसे करें, जो एक लोक सेवक के लिये आवश्यक है?

(उत्तर 150 शब्दों में दीजिये) 10

उत्तर: अभिवृत्ति किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना के प्रति सकारात्मक, नकारात्मक अथवा उदासीन प्रतिक्रिया या मनोवृत्ति को कहते हैं। इसका संबंध व्यक्ति के चरित्र या गुणों से भी होता है। यह एक मनोवैज्ञानिक व्यवहार भी है। यह स्थायी नहीं होती। इसमें विचारों में बदलाव के साथ-साथ बदलाव होते रहते हैं।

किसी व्यक्ति की सफलता में 99% योगदान अभिवृत्ति का होता है। यही कारण है कि आजकल व्यावसायिक संगठनों की सफलता के लिये सकारात्मक अभिवृत्ति को एक अनिवार्य शर्त माना जाने लगा है। यदि व्यक्ति की अभिवृत्ति सकारात्मक नहीं है, तो उसके पास पर्याप्त कौशल होते हुए भी वह अपने पेशे या व्यवसाय में सफल नहीं भी हो सकता है।

उदाहरण के लिये, किसी अभ्यर्थी में लोक सेवक बनने की सभी योग्यताएँ होते हुए भी यदि लोक सेवा के प्रति उसकी अभिवृत्ति सकारात्मक नहीं है, तो वह एक सफल लोक सेवक बनने से रह जाएगा।

इसके विपरीत ऐसे भी कई उदाहरण हैं, जब विभिन्न क्षेत्रों में काम करने के पश्चात् अनेक लोग लोक सेवा में चयनित होकर सफलता के झंडे गाड़ देते हैं।

लोक सेवक के लिये आवश्यक अभिवृत्ति का विकास

- वैसे तो अभिवृत्ति के विकास में परिवार, मित्र, शैक्षणिक संस्थान, सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियाँ इत्यादि की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है, परंतु लोक सेवा की प्रकृति को समझना आवश्यक है।
- किसी व्यक्ति में ऐसी अभिवृत्ति का विकास तभी हो सकता है, जब वह इस क्षेत्र से संबंधित विभिन्न व्यक्तियों व घटनाओं के बारे में जानकारियाँ हासिल करता है। यह जानकारी वह अपने परिवार, मित्र समूह, शिक्षण संस्थान या किसी भी स्रोत से प्राप्त कर सकता है।
- लोक सेवा से जुड़े हुए ऐसे अनेक प्रतिष्ठित चेहरे हैं, जो लोक सेवक बनने वाले अभ्यर्थियों के बीच लोकप्रिय हैं एवं अनुकरणीय भी। उनसे भी अपनी सकारात्मक अभिवृत्ति का विकास किया जा सकता है।
- इसके साथ-साथ अपने क्षेत्र, समाज की आवश्यकताओं, गरीबी और विकास की चुनौतियों को दूर करने के लिये किस तरह के प्रयासों की आवश्यकता है। इन पर भी नज़र बनाए रखकर इस सेवा के प्रति एक सकारात्मक अभिवृत्ति का निर्माण किया जा सकता है।

प्रश्न: 4. (b) उस नैतिकता अथवा नैतिक आदर्श, जिसको आप अंगीकार करते हैं, से समझौता किये बिना क्या भावनात्मक बुद्धि अंतरात्मा के संकट की स्थिति से उबरने में सहायता करती है? आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये।

(उत्तर 150 शब्दों में दीजिये) 10

उत्तर: मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में अपनी सोच एवं कृत्यों द्वारा दूसरों के व्यवहार को प्रभावित करता है और उनके व्यवहार से प्रभावित भी होता है। हमें परिवार, समाज एवं कार्य-स्थल पर नाना प्रकार की समस्याओं, दबावों एवं चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, इनसे निपटने में भावनात्मक बुद्धिमत्ता कारगर है।

भावनात्मक बुद्धिमत्ता से आशय उस समग्र समता से है, जो उसे उसकी विचार प्रक्रिया का उपयोग करते हुए अपने तथा दूसरों के संवेगों को जानने, समझने तथा प्राप्त सूचनाओं के अनुसार अपने चिंतन और व्यवहार में सामंजस्य स्थापित करते हुए वांछित अनुक्रिया करने में सक्षम बनाती है। वहीं अंतरात्मा के संकट से तात्पर्य एक ऐसी स्थिति से है, जब हम यह फैसला नहीं कर पाते हैं कि कौन-सा कृत्य सही है और कौन-सा गलत? अर्थात् सही के रूप में किसी एक पक्ष को चुनना संभव नहीं हो पाता। सरल शब्दों में कहें, तो जब अंतरात्मा दो परस्पर विरोधी मूल्यों या विकल्पों में से किसी एक के पक्ष में ठोस निर्णय न दे सके।

उदाहरण के लिये, लोक सेवकों द्वारा सरकारी आदेशों का पालन करने के लिये स्वेच्छा से सरकार के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर कराए जाते हैं, वे उन आदेशों का पालन करने के लिये बाध्य हैं, भले ही वे आदेश उनके अंत:करण के खिलाफ हों। ऐसी स्थिति में भावनात्मक बुद्धिमत्ता सहायक होती है, क्योंकि यह प्रशासनिक अधिकारी में सहयोग, समायोजन, संवेदनशीलता, अभिप्रेरणा, परानुभूति, संबंध प्रबंधन एवं नेतृत्व की भावना तथा क्षमता को विकसित करती है।

किंतु कभी-कभी कुछ ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हो जाती हैं। जब जीवन-मृत्यु या बहुत ही मज़बूत नैतिक मूल्यों के बीच द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है। ऐसी स्थिति में व्यापक हित को चुनने के लिये हमें कुछ समझौते करने पड़ते हैं या

नैतिक मूल्यों को अनदेखा करना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में संभवत: भावनात्मक बुद्धिमत्ता सहायता करने में सक्षम न हो।

प्रश्न: 5. (a) "शरणार्थियों को उस देश में वापस नहीं लौटाया जाना चाहिये, जहाँ उन्हें उत्पीड़न अथवा मानवाधिकारों के उल्लंघन का सामना करना पड़ेगा।" खुले समाज और लोकतांत्रिक होने का दावा करने वाले किसी राष्ट्र के द्वारा नैतिक आयाम के उल्लंघन के संदर्भ में इस कथन का परीक्षण कीजिये।

(उत्तर 150 शब्दों में दीजिये) 10

उत्तर: जब किसी क्षेत्र में कुछ मानव समुदायों के मानवाधिकारों का हनन होता है, उन्हें देश छोड़ने के लिये विभिन्न तरीकों से प्रताड़ित किया जाता है या जलवायु परिवर्तन के कारण, तो ऐसे लोग अन्य देशों में मज़बूरी में पलायन कर जाते हैं। उन देशों में इन लोगों को शरणार्थी कहा जाता है; जैसे-यहूदी शरणार्थी, भारत में तिब्बती शरणार्थी, बांग्लादेश के चकमा शरणार्थी, म्याँमार के रोहिंग्या शरणार्थी, अफगानी, अफ्रीकी शरणार्थी आदि।

UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) के नए आँकड़े दर्शाते हैं कि जलवायु परिवर्तन से जुड़ी त्रासदियों से अफगानिस्तान से मध्य अमेरिका तक, सूखा, बाढ़ और चरम मौसम की अन्य घटनाएँ, उन लोगों को बुरी तरह प्रभावित कर रही हैं, जिनके पास उबरने और अनुकूलन के लिये साधन नहीं हैं। इसी वजह से वर्ष 2010 से अब तक, मौसम संबंधी आपात घटनाओं के कारण, औसतन हर वर्ष दो करोड़ से ज़्यादा लोगों को पलायन के लिये विवश होना पड़ा है।

सवाल यह है कि सभी मानव समूह अपने मूल देश से बहुत प्यार करते हैं और कोई भी अपने गृह राज्य, प्रदेश, गाँव, देहात आदि को छोड़कर किसी अन्य प्रदेश में बसना नहीं चाहता है।

इसके अलावा यदि शरणार्थियों को किसी दूसरे प्रदेश में बसा दिया जाए, तो भी वहाँ विभिन्न तरह की स्थानीय समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यानी स्थानीय संसाधनों का बँटवारा, रोज़गार में हिस्सेदारी, स्थानीय लोगों से नस्लीय विवाद, इत्यादि जैसी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। अत: कोई राष्ट्र कितना भी खुला क्यों न हो या लोकतांत्रिक होने का दावा करता हो, परंतु फिर भी वह शरणार्थियों को सदैव आने की इजाज़त नहीं दे सकता, क्योंकि सबकी अपनी घरेलू सीमाएँ होती हैं, बाध्यताएँ होती हैं।

अत: यह कहना कि शरणार्थियों को उनके मूल देश में वापस नहीं भेजा जाना चाहिये, यह तर्कसंगत नहीं है, बल्कि उचित तो यही होगा कि विभिन्न लोकतांत्रिक देशों द्वारा ऐसे देशों (अफगानिस्तान, म्याँमार, बांग्लादेश आदि) की सरकारों पर दबाव बनाया जाना चाहिये ताकि वे अपने यहाँ ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न न होने दें, जिससे शरणार्थी समस्याएँ उत्पन्न हो।

प्रश्न: 5. (b) क्या सफल लोक सेवक बनने के लिये निष्पक्ष और गैर-पक्षपाती होना अनिवार्य गुण माना जाना चाहिये? दृष्टांत सहित चर्चा कीजिये। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिये) 10

उत्तर: एक सफल लोक सेवक बनने के लिये निष्पक्ष और गैर-पक्षपाती होना आवश्यक है। निष्पक्षता और गैर-पक्षपाती लोक सेवाओं का एक महत्त्वपूर्ण बुनियादी मूल्य है।

निष्पक्षता का अर्थ है बिना किसी पूर्वाग्रह के निर्णय करना तथा सभी परिस्थितियों में तटस्थ रहकर जनहित में कार्य करना। गैर-पक्षपात (Non-partisan) का अर्थ है किसी राजनीतिक दल या विचारधारा का समर्थन न करना और न ही विरोध करना।

लोकतंत्र में सरकारें आती और जाती रहती हैं, परंतु लोक सेवक स्थायी कार्यपालिका होते हैं। ऐसे में उन्हें किसी भी राजनीतिक दल या विचारधारा के प्रति अपनी निष्ठा नहीं रखनी चाहिये बल्कि निष्पक्ष रहकर अपने प्रशासनिक कर्त्तव्यों का निर्वहन करना चाहिये। चाहे वे सत्ताधारी दल के विचारों से सहमत हों या न हों, क्योंकि जनता के प्रति जवाबदेही सरकार की होती है।

लोक सेवक के पास काफी प्रशासनिक अधिकार होते हैं, इसलिये लोग लोक सेवक पर विभिन्न तरीके से दबाव डालकर, रिश्वत आदि पेश कर अपना कार्य करवाने का प्रयास करते हैं। ऐसी परिस्थिति में लोक सेवकों को वस्तुनिष्ठ, सहिष्णु, निष्पक्ष एवं गैर-पक्षपाती होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वे सार्वजनिक वस्तुओं एवं सेवाओं का वितरण विधि-विधान एवं प्रशासनिक दिशा-निर्देशों के अनुसार सटीकता से कर सकें।

यदि लोक सेवक ही भ्रष्ट तरीके से कार्य करने लगे, बुनियादी अवसरों एवं सेवाओं का आवंटन करने में पक्षपात करने लगे (जैसा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियों की भर्ती में भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद देखा गया है), तो पात्र व्यक्ति या समुदाय अपनी बुनियादी अवसरों एवं सेवाओं से वंचित हो सकते हैं। इससे प्रशासन की छवि बिगड़ती है, जो कि लोकतंत्र के सफल संचालन के लिये शुभ नहीं है। अत: लोक सेवकों को इनसे बचना चाहिये। इसलिये अनेक लोगों के लिये कई पूर्व-नौकरशाह; जैसे-टी.एन. शेषन, किरण बेदी, वर्तमान में अशोक खेमका, आदि एक प्रतिमान हैं।

अत: उपर्युक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि सफल लोक सेवक होने के लिये निष्पक्ष और गैर-पक्षपाती होना अनिवार्य है, लेकिन यही एकमात्र शर्त नहीं है। इनके साथ-साथ उनमें सत्यनिष्ठा, वस्तुनिष्ठता, समानुभूति, नवाचारी, विनम्रता एवं धैर्य जैसे गुणों का होना भी अनिवार्य है।

प्रश्न: 6. (a) न्यायपालिका सहित सार्वजनिक सेवा के हर क्षेत्र में निष्पादन, जवाबदेही और नैतिक आचरण सुनिश्चित करने के लिये एक स्वतंत्र और सशक्त सामाजिक अंकेक्षण तंत्र परम आवश्यक है। सविस्तार समझाइये।

(उत्तर 150 शब्दों में दीजिये) 10

उत्तर: सामाजिक अंकेक्षण या सोशल ऑडिट एक विधिक रूप से अनिवार्य प्रक्रिया है, जहाँ संभावित तथा विधिक लाभार्थी किसी कार्यक्रम के क्रियान्वयन का मूल्यांकन करते हैं तथा इस प्रयोजनार्थ आधिकारिक रिकॉर्ड से ज़मीनी वास्तविकता की तुलना की जाती है। भारत में सामाजिक अंकेक्षण को 2005 में ही महात्मा गांधी रोज़गार गारंटी अधिनियम के लिये अनिवार्य बनाया गया था, तब से अब तक इसने न्यायपालिका सहित सार्वजनिक सेवा के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी आवश्यकता दर्ज कराई है-

- यह शासन पर अनुकूल प्रभाव डालते हुए योजना की दक्षता और प्रभावकारिता में सुधार करता है।
- सोशल ऑडिट का उपयोग यह निर्धारित करने के लिये किया जाता है कि किसी व्यक्ति या समुदाय के लिये इच्छित लाभ उन तक पहुँचा है या नहीं।
- यह समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने का एक साधन है, विशेष रूप से हाशिये पर रहने वाले उस गरीब तबके को, जिस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया जाता है। उदाहरण के लिये, संविधान के 73वें संशोधन ने ग्राम सभाओं को अन्य कर्त्तव्यों के अलावा सोशल ऑडिट करने का अधिकार दिया।
- सोशल ऑडिट पद्धति में ऑडिट अनुशासन की आवश्यकताओं के साथ लोगों की भागीदारी और निगरानी शामिल है।

- सोशल ऑडिट का लक्ष्य स्थानीय सरकार में सुधार करना है, अर्थात् स्थानीय निकायों में जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। नियमित (सोशल ऑडिट) स्थानीय सरकारों की कार्यप्रणाली की जवाबदेही और खुलेपन में सुधार करने में सहायता करती है।
- योजना में पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने के लिये राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम, 2005 (नरेगा) की धारा-17 के तहत नियमित 'सामाजिक लेखा परीक्षा' (सोशल ऑडिट) भी आवश्यक है।
- सोशल ऑडिट पर्यावरण और आर्थिक विचारों के अलावा, सामाजिक परिणामों के अक्सर अनदेखे किये गए विषयों पर ध्यान केंद्रित करती है तथा पूर्ण नीति समीक्षा में सहायता करती है।

उपर्युक्त बिंदुओं के आलोक में 'सोशल ऑडिट' की आवश्यकता को समझा जा सकता है, लेकिन इसके मार्ग में बहुत-सी चुनौतियाँ भी हैं। नतीजतन 'सोशल ऑडिट' में नीतिगत लक्ष्यों और परिणामों के बीच की खाई को पाटने की काफी संभावनाएँ हैं।

प्रश्न: 6. (b) "सत्यनिष्ठा ऐसा मूल्य है, जो मनुष्य को सशक्त बनाता है।" उपयुक्त दृष्टांत सहित औचित्य सिद्ध कीजिये।

(उत्तर 150 शब्दों में दीजिये) 10

उत्तर: सत्यनिष्ठा का तात्पर्य यह है कि नैतिक कर्त्ता अपनी अंत:मान्यताओं के अनुसार कार्य करता है। सत्यनिष्ठा संपन्न व्यक्ति का आचरण लगभग हर स्थिति में उसके नैतिक सिद्धांतों के अनुरूप होता है। किसी व्यक्ति में सत्यनिष्ठा का परीक्षण मुख्य रूप से तीन क्षेत्रों, यथा - व्यक्तिगत परिप्रेक्ष्य, सामाजिक परिप्रेक्ष्य एवं व्यावसायिक परिप्रेक्ष्य में किया जाता है।

- **व्यक्तिगत जीवन में सत्यनिष्ठा:** व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा से आशय यह है कि व्यक्ति के विचार एवं व्यवहार में कोई अंतर नहीं होना चाहिये। किसी दबाव से परे एक सत्यनिष्ठ व्यक्ति सदैव अपने विवेक के आधार पर निर्णय लेता है। उदाहरण के रूप में, असहयोग आंदोलन की समाप्ति का निर्णय महात्मा गांधी द्वारा विभिन्न विरोधों के बाद भी स्वविवेक से लिया गया।
- **सामाजिक परिप्रेक्ष्य में सत्यनिष्ठा:** इस परिप्रेक्ष्य में व्यक्ति नियम-कानून या नैतिक मूल्यों के आधार पर अपने जीवन का सतत् निर्वहन करता है। उदाहरण के रूप में, एक सत्यनिष्ठ नेतृत्वकर्त्ता अथवा नेता किसी आर्थिक अथवा राजनीतिक लोभ में न आकर सदैव जनहित में कार्य करने एवं निर्णय लेने के लिये तत्पर रहता है।
- **व्यावसायिक परिप्रेक्ष्य में सत्यनिष्ठा:** व्यावसायिक रूप से एक सत्यनिष्ठ व्यक्ति सदैव पारदर्शिता एवं ज़िम्मेदारीपूर्वक संबंधित व्यवसाय से जुड़ी नैतिक संहिता का पालन करते हुए अपना कार्य करता है। उदाहरण के रूप में, एक मैच में 99 रन पर बैटिंग करते हुए अंपायर द्वारा नॉट आउट दिये जाने के बाद भी सचिन तेंदुलकर द्वारा स्वयं को आउट घोषित करते हुए मैदान से बाहर जाना।

इस प्रकार एक सत्यनिष्ठ व्यक्ति जीवन के सभी आयामों में अपनी सत्यनिष्ठा एवं ईमानदारी को नहीं छोड़ता है। अल्पकाल के लिये भले ही सत्यनिष्ठा उसे अधिक लाभ न पहुँचाए, किंतु दीर्घकाल में यह उसके जीवन को स्थायित्व एवं समाज को लाभ पहुँचाती है।

खंड-B

प्रश्न: 7. सुनील एक युवा लोक सेवक है तथा सक्षमता, ईमानदारी, समर्पण तथा मुश्किल और दुर्वह कामों के लिये अथक प्रयास हेतु उसकी प्रतिष्ठा है। उसकी प्रोफाइल को देखते हुए उसके अधिकारियों ने उसे एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण और संवेदनशील कार्यभार को सँभालने के लिये चुना था। उसे अवैध बालू खनन के लिये कुख्यात आदिवासी-बहुल ज़िले में तैनात किया गया। नदी पट्टी से, अनियंत्रित रूप से बालू उत्खनन करके ट्रकों से ढोकर उसको काला बाज़ार में बेचा जा रहा था। यह अवैध बालू खनन माफिया, स्थानीय कार्यकर्त्ताओं और आदिवासी बाहुबलियों के सहयोग से काम कर रहा था, जो बदले में चुनिंदा गरीब आदिवासियों को रिश्वत देते रहते थे तथा उनको डरा और धमका कर रखते थे।

सुनील ने एक तेज़ और ऊर्जावान अधिकारी होने के नाते ज़मीनी हकीकत पहचान कर और माफिया के द्वारा कुटिल तथा संदिग्ध तंत्र के माध्यम से अपनाए गए उनके तौर-तरीकों को तुरंत पकड़ लिया। पूछताछ करने पर उसने पाया कि उसके अपने कार्यालय के कुछ कर्मचारियों की उनसे मिलीभगत है और उन्होंने उनके साथ घनिष्ठ अवांछनीय गठजोड़ विकसित कर लिया है। सुनील ने उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू की और उनके बालू से भरे ट्रकों की आवाजाही के अवैध संचालन पर छापे मारना शुरू कर दिया। माफिया भड़क गया, क्योंकि पहले वाले बहुत अधिकारियों ने उनके विरुद्ध इतने बड़े कदम नहीं उठाए थे। कार्यालय के कुछ कर्मचारियों ने जो कथित तौर पर माफिया के करीब थे, उनको सूचित किया कि अधिकारी उस ज़िले में माफिया के अवैध बालू खनन संचालन को साफ करने के लिये दृढ़ संकल्पित है और उन्हें अपूरणीय क्षति हो सकती है।

माफिया शत्रुतापूर्ण हो गया और जवाबी हमला शुरू किया। आदिवासी बाहुबली और माफिया ने उसको गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देना शुरू कर दिया। उसके परिवार (पत्नी और वृद्ध माता) का पीछा किया जा रहा था, वे उनकी वास्तविक निगरानी में थे जिससे कि उन सभी को मानसिक यातना, यंत्रणा और तनाव हो रहा था। उस समय मामले ने गंभीर रूप धारण कर लिया, जब एक बाहुबली उसके कार्यालय में आया और उसको छापे मारना इत्यादि बंद करने की धमकी दी और कहा कि उसका हाल उसके पूर्व अधिकारियों से अलग नहीं होगा (दस वर्ष पूर्व माफिया द्वारा एक अधिकारी की हत्या कर दी गई थी)।

(a) इस स्थिति को सँभालने में सुनील के लिये उपलब्ध विभिन्न विकल्पों की पहचान कीजिये।

(b) आपके द्वारा सूचीबद्ध विकल्पों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये।

(c) आपके विचार से उपर्युक्त में से कौन-सा विकल्प सुनील के लिये सबसे उपयुक्त होगा और क्यों?

(उत्तर 250 शब्दों में दीजिये) 20

उत्तर: इस प्रश्न में शामिल विभिन्न नैतिक मुद्दे-

- अवैध बालू खनन, काला बाज़ारी।
- स्थानीय सहयोग।
- गरीब आदिवासियों को रिश्वत।
- सरकारी कर्मचारियों की मिलीभगत।
- माफियाओं का हमला।
- सुनील के परिवार का पीछा करना।

- सुनील को धमकी दिया जाना।
- पूर्व सरकारी कर्मचारी की हत्या।

इस प्रश्न में शामिल विभिन्न हित समूह-

- सुनील।
- खनन माफिया।
- स्थानीय कार्यकर्त्ता।
- आदिवासी।
- सरकारी कर्मचारी।
- सुनील का परिवार।
- सरकार।

(a) इस स्थिति को सँभालने में सुनील के लिये उपलब्ध विभिन्न विकल्प-

I. अवैध खनन को रुकवाना।

II. माफियाओं के खिलाफ कार्य करने से मना करना, या अपना ट्रांसफर करवा लेना।

III. वरिष्ठ अधिकारियों को संपूर्ण घटनाक्रम से सूचित कर आगे की कार्रवाई के लिये सलाह लेना।

(b) सूचीबद्ध विकल्पों का आलोचनात्मक मूल्यांकन-

I. अवैध खनन को रुकवाना: सुनील को इसी कार्य के लिये भेजा गया है। अत: उसका कर्त्तव्य है। इससे उसको प्रशंसा मिलेगी, परंतु इससे खनन माफियाओं के साथ उसकी शत्रुता बढ़ सकती है और पारिवारिक नुकसान हो सकता है।

II. अपना ट्रांसफर करवा लेना या माफियाओं के खिलाफ कार्य करने से मना करना: ऐसा करके वह माफियाओं के हमले से स्वयं की एवं अपने परिवार की रक्षा कर सकता है, परंतु इस विकल्प का चयन करके अपने सार्वजनिक कर्त्तव्यों के निर्वहन से पीछा छुड़ाना होगा, जो उसके हित में नहीं है।

III. वरिष्ठ अधिकारियों को माफियाओं द्वारा दी जा रही धमकी के बारे में सूचित करना एवं उनसे सलाह लेना: स्थिति की गंभीरता को देखते हुए यह उपयुक्त विकल्प है, क्योंकि अपने वरिष्ठ अधिकारियों को मामले की सूचना देना प्रशासनिक ज़िम्मेदारी होती है तथा बीच-बीच में उनसे सलाह लेते रहना भी एक अधिकारी के लिये बेहतर होता है। पर यहाँ वह अपने विवेक से कार्य करने से बचता हुआ प्रतीत होगा। वरिष्ठ अधिकारियों के पास ऐसा संदेश जाएगा कि वह कार्य करने से बचना चाह रहा है, अर्थात् नकारात्मक प्रभाव।

IV. अतिरिक्त सुरक्षा बल मंगवाना: मामले की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त सुरक्षा बल मंगवाया जा सकता है और परिवार की सुरक्षा भी सुनिश्चित करना ज़रूरी है, परंतु इससे माफियाओं की सतर्कता और जवाबी हमले बढ़ने की संभावना है।

(c) सुनील के लिये सबसे उपयुक्त विकल्प कौन-सा और क्यों?

उपर्युक्त मामले में सुनील के लिये सबसे उपयुक्त विकल्प I और III है।

अवैध खनन को रुकवाना तथा अपने वरिष्ठ अधिकारियों को संपूर्ण घटनाओं की सूचना देकर उनसे भी सलाह लेकर कार्य करना उचित होगा, क्योंकि वह एक सार्वजनिक अधिकारी है और उसे इसी कार्य के लिये भेजा गया है। ऐसे में उसे अपने विभिन्न विकल्पों पर विचार करते हुए अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती करके अवैध गतिविधियों को बंद करवाना सुनिश्चित करना चाहिये तथा इस कार्य में लिप्त लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करवानी चाहिये।

इसके साथ-साथ उसे अपने कार्यालय के कर्मचारियों को भी कारण बताओ नोटिस जारी कर उनसे उनकी माफियाओं के साथ मिलीभगत के लिये जवाब तलब करना चाहिये तथा अपने परिवार की सुरक्षा को भी सुनिश्चित करना चाहिये।

प्रश्न: 8. आप एक मध्यवर्गीय शहर में डिग्री कॉलेज के उप-प्रधानाचार्य हैं। प्रधानाचार्य हाल ही में सेवानिवृत्त हुए हैं और प्रबंधन उनके प्रतिस्थापन की तलाश कर रहा है। यह भी माना जाता है कि प्रबंधन आपको प्रधानाचार्य के रूप में पदोन्नत कर सकता है। इस बीच वार्षिक परीक्षा के दौरान विश्वविद्यालय से आए उड़न दस्ते ने दो छात्रों को अनुचित तरीकों का उपयोग करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। कॉलेज का एक वरिष्ठ व्याख्याता व्यक्तिगत रूप से इन छात्रों को इस कार्य में मदद कर रहा था। यह वरिष्ठ व्याख्याता प्रबंधन का करीबी भी माना जाता था। उनमें से एक छात्र स्थानीय राजनेता का बेटा था, जो कॉलेज को वर्तमान प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से संबंधन कराने में मददगार रहा था। दूसरा छात्र एक स्थानीय व्यवसायी का बेटा था, जिसने कॉलेज चलाने के लिये अधिकतम धन दान दिया था। आपने इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बारे में तुरंत प्रबंधन को सूचित किया। प्रबंधन ने आपको किसी भी कीमत पर उड़न दस्ते के साथ इस मुद्दे को हल करने के लिये कहा। उन्होंने आगे कहा कि इस घटना से न केवल कॉलेज की छवि खराब होगी, बल्कि राजनेता और व्यवसायी भी कॉलेज के कामकाज के लिये बहुत महत्त्वपूर्ण व्यक्ति हैं। आपको यह भी संकेत दिया गया था कि प्रधानाचार्य के रूप में आपकी आगे की पदोन्नति उड़न दस्ते के साथ मुद्दे को हल करने की आपकी क्षमता पर निर्भर करती है। इस दौरान आपके प्रशासन अधिकारी ने सूचित किया कि छात्र संघ के कुछ सदस्य इस घटना में शामिल वरिष्ठ व्याख्याता और छात्रों के खिलाफ कॉलेज के गेट के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

(a) इस मामले से संबंधित नैतिक मुद्दों पर चर्चा कीजिये।

(b) उप-प्रधानाचार्य के रूप में आपके पास उपलब्ध विकल्पों का आलोचनात्मक रूप से परीक्षण कीजिये। आप कौन-सा विकल्प अपनाएंगे और क्यों?

(उत्तर 250 शब्दों में दीजिये) 20

उत्तर: उपर्युक्त मामले में शामिल नैतिक मुद्दे हैं:

(a) इस मामले से संबंधित नैतिक मुद्दों की चर्चा-

- इस मामले में वरिष्ठ व्याख्याता ने अपनी पेशेवर ईमानदारी से समझौता किया है, यह स्थिति मेरी खुद की सत्यनिष्ठा की भी परीक्षा है, क्योंकि यह मेरे मूल्यों/कर्त्तव्यों और व्यक्तिगत हितों के बीच टकराव पैदा करती है।
- वर्तमान स्थिति मेरी नैतिक शक्ति की परीक्षा है, क्योंकि यह एक ओर कॉलेज के प्राचार्य बनने का आकर्षक अवसर है, वहीं दूसरी ओर सही काम करना मेरा कर्त्तव्य है।

- वर्तमान स्थिति में निष्पक्षता का नैतिक मुद्दा शामिल है।
- यह मेरी व्यावसायिक नैतिकता की परीक्षा है, जिसमें यह देखा जाना है कि मैं बिना किसी डर या पक्षपात के अपना कर्त्तव्य निभा सकता/सकती हूँ या नहीं।

(b) उप-प्रधानाचार्य के रूप में मेरे पास उपलब्ध विकल्प हैं:

- कॉलेज प्रबंधन की सलाह को मानना और छात्रों के खिलाफ कोई कार्रवाई किये बिना, किसी भी कीमत पर समस्या को हल करने का प्रयास करना। यह विकल्प अल्पावधि में कॉलेज की प्रतिष्ठा को बचाएगा। कॉलेज को वित्तीय संरक्षण प्राप्त होता रहेगा और यह मेरे पदोन्नत होने की संभावना को और अधिक निश्चित कर सकता है, लेकिन यह प्रक्रियाओं की शुद्धता से समझौता करेगा। इससे कॉलेज की साख खराब होगी, तथा यह मेरी पेशेवर नैतिकता से समझौता करेगा। साथ ही इससे छात्रों का विरोध और तेज़ होगा।
- उड़न दस्ते को वरिष्ठ व्याख्याता और दो छात्रों के खिलाफ प्रक्रिया के अनुसार निष्पक्ष रूप से सख्त कार्रवाई करने देना। यह विकल्प प्रक्रियाओं की शुद्धता को लागू करेगा, इससे कॉलेज की साख बढ़ेगी, यह भविष्य के लिये एक सही मिसाल कायम करेगा, यह शिक्षकों द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ जाँच सुनिश्चित करेगा और यह अन्य छात्रों के विरोध को शांत करेगा। लेकिन इससे दोनों बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ सकता है, इससे कॉलेज पर वित्तीय प्रभाव पड़ सकता है, कॉलेज की बदनामी हो सकती है, यह संबंधित छात्रों के परिवारों की प्रतिष्ठा को धूमिल कर सकता है तथा मेरी पदोन्नति की संभावना कम हो जाएगी।
- उड़न दस्ते को कोई कार्रवाई न करने के लिये राज़ी करना और आंतरिक जाँच के बाद छात्रों और व्याख्याता को दंडित करना। यह विकल्प अल्पावधि में कॉलेज की प्रतिष्ठा और उसके संरक्षकों को बचाएगा, इससे दो छात्रों और व्याख्याता का करियर बचेगा व यह संकट प्रबंधन के लिये मेरी क्षमता दिखाएगा। हालाँकि इससे विरोध बढ़ने की संभावना है, यह भविष्य में ऐसी और घटनाओं को प्रोत्साहित कर सकता है तथा यह निष्पक्ष प्रक्रियाओं की शुद्धता से समझौता करेगा।

मैं दूसरा विकल्प अपनाऊँगा/अपनाऊँगी, क्योंकि:

- कॉलेज छात्रों के लिये सही मूल्य को सीखने का स्थान है, यह विकल्प छात्रों को नैतिकता और नैतिकता का महत्त्व सिखाएगा।
- यह विकल्प निष्पक्ष संस्थान के रूप में कॉलेज की विश्वसनीयता को बनाए रखेगा।
- अनुचित तरीकों से पदोन्नति प्राप्त करना, साधनों साधन और साध्य दोनों की शुद्धता के सिद्धांत का उल्लंघन करेगा।
- वरिष्ठ व्याख्याता की संलिप्तता सख्त कार्रवाई की मांग करती है।
- यह विकल्प उन सभी छात्रों के लिये उचित होगा, जो ईमानदारी से परीक्षा दे रहे थे, और विरोध को शांत करेगा।
- वित्तीय संरक्षण के मुद्दे पर किसी अन्य की सहायता का मार्ग भी प्रशस्त कर सकते हैं।

प्रश्न: 9. किसी राज्य-विशेष की राजधानी में यातायात की भीड़ को कम करने के लिये एक एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। आपकी पेशेवर क्षमता और अनुभव के आधार पर आपको इस प्रतिष्ठित परियोजना के परियोजना प्रबंधक के रूप में चुना गया है। अगले दो वर्षों में परियोजना को पूरा करने की समय-सीमा 30 जून, 2021 है, क्योंकि इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री द्वारा जुलाई 2021 के दूसरे सप्ताह में चुनाव की घोषणा से पहले होना है। निरीक्षण दल द्वारा औचक निरीक्षण करते समय, संभवत: खराब सामग्री के इस्तेमाल के कारण एलिवेटेड कॉरिडोर के एक पाये में एक छोटी-सी दरार देखी गई थी। आपने तुरंत मुख्य अभियंता को सूचित किया और आगे का काम रोक दिया। आपके द्वारा यह आकलन किया गया था कि एलिवेटेड कॉरिडोर के कम-से-कम तीन पायों को तोड़ना और उनका पुनर्निर्माण किया जाना है, परंतु यह प्रक्रिया परियोजना में कम-से-कम चार से छ: महीने की देरी कर देगी, किंतु मुख्य अभियंता ने निरीक्षण दल के अवलोकन को इस आधार पर निरस्त कर दिया कि यह एक छोटी-सी दरार है, जो किसी भी तरह से पुल की क्षमता और टिकाऊपन को प्रभावित नहीं करेगी। उसने आपको निरीक्षण दल के अवलोकन की अनदेखी कर उसी गति तथा लय के साथ काम जारी रखने का आदेश दिया। उसने आपको सूचित किया कि मंत्री कोई देरी नहीं चाहते हैं, क्योंकि वे एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन मुख्यमंत्री से चुनाव की घोषणा होने से पहले करवाना चाहते हैं। यह भी सूचित किया कि ठेकेदार मंत्री का दूर का रिश्तेदार है और वे चाहते हैं कि वह इस परियोजना को पूरा करे। उसने आपको इशारा भी किया कि अतिरिक्त मुख्य अभियंता के रूप में आपकी आगे की पदोन्नति मंत्रालय के विचाराधीन है। तथापि आपने दृढ़ता से महसूस किया कि एलिवेटेड कॉरिडोर के पाये में छोटी-सी दरार पुल की क्षमता और जीवनकाल पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी और इसलिये एलिवेटेड कॉरिडोर की मरम्मत न करना बहुत खतरनाक होगा।

(a) दी गई शर्तों के तहत परियोजना प्रबंधक के रूप में आपके पास कौन-से विकल्प उपलब्ध हैं?

(b) वे कौन-सी नैतिक दुविधाएँ हैं, जिनका परियोजना प्रबंधक सामना कर रहा है?

(c) परियोजना प्रबंधक द्वारा सामना की जाने वाली व्यावसायिक चुनौतियाँ क्या हैं और उन चुनौतियों से पार पाने के लिये उसकी प्रतिक्रिया क्या है?

(d) निरीक्षण दल द्वारा उठाए गए अवलोकन की अनदेखी के परिणाम क्या हो सकते हैं?

(उत्तर 250 शब्दों में दीजिये) 20

उत्तर:

(a) उपर्युक्त परिस्थितियों के तहत, परियोजना प्रबंधक के रूप में मेरे पास निम्न विकल्प उपलब्ध हैं-

- मुख्य अभियंता के प्रस्ताव को मान लें।
- मुख्य अभियंता के प्रस्ताव से इनकार कर दें।

(b) परियोजना प्रबंधक के समक्ष नैतिक दुविधाएँ-

- नीतिशास्त्र के मानक सिद्धांतों और आदर्शों का अनुपालन।
- नैतिक अभिवृत्ति या पदीय लाभ।

- व्यक्तिगत कल्याण या सार्वजनिक कल्याण।
- अंतरात्मा की आवाज़ *बनाम* बाह्य दबाव।

(c) परियोजना प्रबंधक के द्वारा सामना की जाने वाली व्यावसायिक चुनौतियाँ-

- वरिष्ठ अधिकारी का दबाव।
- मंत्री का दबाव।
- पदोन्नति का दबाव।
- निर्णय अपनी अंतरात्मा के अनुसार लेने से अकेले पड़ जाने का भय और बाद में अनेक प्रकार की प्रशासनिक चुनौतियों के सामना करने का भय।

उपर्युक्त चुनौतियों से पार पाने हेतु प्रतिक्रिया-

एक ज़िम्मेदार लोक सेवक होने के नाते, लोक प्रशासन और नैतिकता के आदर्शों को धारण करते हुए, जो सर्वोत्तम है, वही निर्णय लेना। एलिवेटेड कॉरिडोर का पुनर्निर्माण, क्योंकि ऐसा न करना तात्कालिक रूप से कुछ व्यक्तियों के हितों की दृष्टि से उचित है, परंतु दीर्घकालिक रूप से हज़ारों लोगों के जान का जोखिम है, और उसमें आने वाले समय में मुख्य अभियंता या मंत्री का परिवार भी हो सकता है। इस बात को उनके समक्ष स्पष्ट करते हुए और अपने स्तर पर सभी प्रकार के साक्ष्य इकट्ठा करते हुए, इलेक्ट्रॉनिक रूप से इस पुल के आगे के निर्माण की अनुमति न देना और उससे पूर्व मरम्मत के कार्य की अनुशंसा करना, क्योंकि अंतत: वह दीर्घकालिक रूप से नुकसानदायक है, मानवता के हित में नहीं है। नीतिशास्त्र का मूल सिद्धांत और आदर्श कहता है कि किसी भी व्यक्ति को चाहे वह नीति या सार्वजनिक जीवन हो, उसे वही करना चाहिये, जिससे मानव कल्याण हो।

(d) निरीक्षण दल द्वारा उठाए गए अवलोकन की अनदेखी के परिणाम-

- संसाधनों की हानि।
- जान-माल की हानि।
- इंजीनियरिंग विभाग की छवि खराब होगी।
- भविष्य में इस प्रकार की अनहोनी घटना पर जवाबदेही का सामना करना पड़ सकता है (मुख्य अभियंता, मंत्री और स्वयं मैं)।

प्रश्न: 10. कोरोनावायरस रोग (कोविड-19) महामारी तेज़ी से विभिन्न देशों में फैली है। 8 मई, 2020 तक भारत में कोरोना के 56342 पॉजिटिव मामले सामने आए थे। भारत को, जिसकी जनसंख्या 1.35 बिलियन से अधिक है, जनसंख्या में कोरोनावायरस के संचरण को नियंत्रित करने में कठिनाई आई थी। इस प्रकोप से निबटने के लिये कई रणनीतियाँ आवश्यक हो गई थीं। भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इस प्रकोप के बारे में जागरूकता बढ़ाई और कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने के लिये सभी आवश्यक कार्रवाइयाँ कीं। भारत सरकार ने वायरस के संचरण को कम करने के लिये पूरे देश में 55 दिनों का लॉकडाउन लागू किया। स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षण-सीखना-मूल्यांकन और प्रमाणीकरण के वैकल्पिक तरीके सामने आए। इन दिनों ऑनलाइन मोड लोकप्रिय हो गया।

भारत इस तरह के संकटपूर्ण अचानक हुए हमले के लिये तैयार नहीं था, क्योंकि मानव संसाधन, धन और ऐसी स्थिति में देखभाल करने के लिये बुनियादी ढाँचे के रूप में अन्य सुविधाओं की कमी थी। इस बीमारी ने एक तरफ तो जाति, पंथ, धर्म की परवाह किये बिना किसी को नहीं बख्शा और दूसरी तरफ 'अमीर-गरीब' दोनों को भी नहीं छोड़ा। अस्पताल में बिस्तर, ऑक्सीजन सिलेंडर, एंबुलेंस, अस्पताल-कर्मचारी और श्मशान की कमी सबसे महत्त्वपूर्ण पहलू थे।

आप ऐसे समय एक सार्वजनिक अस्पताल में अस्पताल प्रशासक हैं, जब कोरोनावायरस ने बड़ी संख्या में लोगों पर हमला किया और अस्पताल में मरीज़ों का दिन-रात आना-जाना लगा रहता था।

(a) पूरी तरह से जानते हुए कि यह अत्यधिक संक्रामक रोग है और संसाधन तथा बुनियादी ढाँचे सीमित हैं, अपने नैदानिक और गैर-नैदानिक कर्मचारियों को रोगियों की देखभाल करने में लगाने के लिये आपके मानदंड और औचित्य क्या हैं?

(b) यदि आपका निजी अस्पताल है, तो क्या आपका औचित्य और निर्णय वैसा ही होता जैसा कि सार्वजनिक अस्पताल में?

(उत्तर 250 शब्दों में दीजिये) 20

उत्तर:

(a) एक सार्वजनिक अस्पताल का प्रशासक होने के नाते सर्वप्रथम मैं उस अस्पताल के सभी जूनियर व सीनियर डॉक्टरों, नर्सों, कर्मचारियों आदि की एक आपात बैठक बुलाऊँगा तथा COVID-19 से उत्पन्न चुनौतियों, मरीज़ों की लगातार बढ़ती संख्या और अस्पताल की क्षमता आदि के बारे में चर्चा करूँगा तथा इस परिस्थिति से निपटने की अपनी तैयारियों की समीक्षा करूँगा।

- अस्पताल के सभी कर्मचारियों से यह निवेदन करूँगा कि वे इस संकट की घड़ी में अपना 100 फीसदी योगदान दें। बीमारी की गंभीरता को समझें। इसके साथ-साथ स्वयं एवं अपने परिवार की सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान रखें।
- संक्रामक रोगों का इलाज करने वाले अनुभवी डॉक्टरों, नर्स व अन्य अस्पताल कर्मचारियों की एक टीम बनाकर अन्य सदस्यों को उनके निर्देशन में कार्य करने का सुझाव दूँगा और इसकी निगरानी मैं स्वयं भी करता रहूँगा। इस दौरान मैं इस बीमारी से संबंधित विभिन्न सरकारी दिशा-निर्देशों एवं वैश्विक घटनाओं पर नज़र बनाए रखूँगा तथा अपने स्टाफ के सदस्यों को इसकी जानकारी देता रहूँगा।
- मैं जानता हूँ कि कुछ अस्पताल कर्मचारी व स्टाफ इस बीमारी को लेकर अवांछित व्यवहार कर सकते हैं, इसलिये बीच-बीच में उनसे व्यक्तिगत रूप से मीटिंग कर उनकी आशंकाओं को दूर करने का प्रयास करूँगा तथा उनका ख्याल रखूँगा, ताकि वे घबराएँ नहीं।
- अस्पताल में एंबुलेंस, ऑक्सीजन की आपूर्ति आदि बढ़ाने के लिये आस-पास के NGOs व अन्य पक्षकारों से सहायता लेकर कार्य करूँगा। इस दौरान नज़दीकी AIIMS से संपर्क बनाए रखूँगा।
- मैं अपने अस्पताल के सदस्यों को प्रोत्साहित करता रहूँगा कि वे COVID मरीज़ों के साथ संवेदनापूर्ण व्यवहार बनाए रखें। उनके परिवार के सदस्यों के साथ किसी भी तरह का तनाव या विवाद मोल लेने से बचें। साथ ही अस्पताल में सभी आवश्यक वस्तुओं; जैसे-दवाइयाँ, ऑक्सीजन सिलेंडर, बेड की संख्या बढ़ाने तथा अतिरिक्त स्टाफ की तैनाती पर भी विचार करता रहूँगा।

(b) मेरे विचार से प्रत्येक चिकित्सक को उसके सेवा मूल्यों को ध्यान में रखना चाहिये न कि इस बात को कि वह सार्वजनिक अस्पताल में है या निजी अस्पताल में और इस आधार पर न ही कोई भेदभाव करना चाहिये।

- अस्पताल चाहे निजी हो या सार्वजनिक मरीज़ों की अच्छी चिकित्सा को सर्वोपरि महत्त्व दिया जाना चाहिये, क्योंकि मरीज़ और उसके परिवार वालों के लिये अंतिम आस डॉक्टर ही होते हैं।
- ऐसी गंभीर बीमारी की स्थिति में मैं समझ सकता हूँ कि मरीज़ एवं उनके परिवार वाले बेहद तनाव की स्थिति में होंगे। अत: मैं एवं मेरा स्टाफ इस स्तर पर कार्य करेंगे कि अस्पताल उन्हें उनके घर जैसा महसूस हो। मैं ऐसी कार्य संस्कृति वहाँ पैदा करूँगा।
- मैं पूरी ईमानदारी से चिकित्सा नैतिकता का पालन करते हुए बिल्कुल वैसा ही इंतज़ाम करूँगा जैसा कि सार्वजनिक अस्पताल का प्रशासक होने के नाते कर रहा हूँ।

प्रश्न: 11. भारत में स्थित एक प्रतिष्ठित खाद्य उत्पाद कंपनी ने अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार के लिये एक खाद्य उत्पाद विकसित किया और आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद उसका निर्यात शुरू कर दिया। कंपनी ने इस उपलब्धि की घोषणा की और यह संकेत भी दिया कि जल्द ही यह उत्पाद घरेलू उपभोक्ताओं के लिये लगभग समान गुणवत्ता और स्वास्थ्य लाभ के साथ उपलब्ध कराया जाएगा। तदनुसार, कंपनी ने अपने उत्पाद को घरेलू सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित कराया और उत्पाद को भारतीय बाज़ार में लॉन्च किया। कंपनी ने समय के साथ बाज़ार में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया और घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्याप्त लाभ अर्जित किया। हालाँकि, निरीक्षण दल द्वारा किये गए यादृच्छिक नमूनों (रैंडम सैंपल) के परीक्षण में पाया गया कि सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त अनुमोदन से भिन्न उत्पादों को घरेलू स्तर पर बेचा जा रहा है। आगे की जाँच में यह भी पता चला कि खाद्य कंपनी न केवल ऐसे उत्पादों को बेच रही थी, जो देश के स्वास्थ्य मानकों को पूरा नहीं कर रहे थे, बल्कि अस्वीकृत निर्यात उत्पाद को भी घरेलू बाज़ार में बेच रही थी। इस प्रकरण ने खाद्य कंपनी की प्रतिष्ठा और लाभदायकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला।

(a) घरेलू बाज़ार के लिये निर्धारित खाद्य मानकों का उल्लंघन करने और अस्वीकृत निर्यात उत्पादों को घरेलू बाज़ार में बेचने के लिये खाद्य कंपनी के खिलाफ सक्षम प्राधिकारी द्वारा आप क्या कार्रवाई की कल्पना करते हैं?

(b) संकट को हल करने और अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस लाने के लिये खाद्य कंपनी के पास क्या क्रियाविधि उपलब्ध है?

(c) मामले में निहित नैतिक दुविधा की जाँच कीजिये।

(उत्तर 250 शब्दों में दीजिये) 20

उत्तर: उपर्युक्त केस स्टडी एक खाद्य पदार्थ निर्माता कंपनी के रूप में निजी कंपनियों में व्याप्त अनैतिकता एवं इन कंपनियों द्वारा सार्वजनिक हितों की तुलना में लाभप्रदता को अधिक वरीयता देने को प्रदर्शित करती है।

(a) प्रस्तुत प्रकरण में जाँच प्राधिकरण द्वारा कंपनी के विरुद्ध निम्न कार्रवाई की जा सकती है-

- सार्वजनिक स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने के आरोप में कंपनी के उच्च अधिकारियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करना।
- कंपनी द्वारा निर्मित उत्पादों की पुन: जाँच करने तक घरेलू एवं विदेशी बाज़ार में कंपनी के उत्पादों की पहुँच को रोकना।
- आर्थिक रूप से कंपनी के ऊपर जुर्माना आरोपित करना।
- उन उत्पादों को पूर्णता समाप्त करना, जिन्हें जाँच में निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया।
- भविष्य में ऐसी किसी संभावना को रोकने हेतु उचित कदम उठाना।

(b) कंपनी द्वारा उक्त समस्या को सुलझाने एवं अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को पुन: हासिल करने हेतु निम्न कदम उठाए जा सकते हैं-

- कंपनी के शीर्ष नेतृत्व एवं उत्पादों की जाँच करने वाले अधिकारियों की व्यापक समीक्षा करना।
- घरेलू एवं विदेशी बाज़ार मालिकों का पुन: अध्ययन कर भविष्य में अपने उत्पादों का निर्माण उनके अनुरूप करना।
- भविष्य में ऐसी किसी गलती को रोकने हेतु कंपनी के अंदर एक जाँच प्राधिकरण का निर्माण करना, जो भविष्य में बाज़ार में पहुँचने से पूर्व उत्पादों की जाँच करेगा।
- आवश्यकता पड़ने पर कंपनी द्वारा सार्वजनिक रूप से खेद व्यक्त करना।

(c) उपर्युक्त प्रकरण से संबंधित प्रमुख नैतिक द्वंद्व निम्न हैं-

- **सार्वजनिक स्वास्थ्य *बनाम* निजी लाभ:** किसी भी कंपनी के निर्माण का उद्देश्य अधिकाधिक लाभ प्राप्त करना होता है, ऐसे में सार्वजनिक स्वास्थ्य को अधिक वरीयता देना एवं अपने लाभ को सीमित करना इस नैतिक द्वंद्व को उत्पन्न करता है।
- **घरेलू बाज़ार *बनाम* विदेशी बाज़ार को वरीयता देने का द्वंद्व:** घरेलू बाज़ार एवं विदेशी बाज़ार के भिन्न-भिन्न मानकों के आधार पर अपने उत्पादों का निर्माण करना एवं निर्धारित बाज़ारों तक उनकी पहुँच सुनिश्चित करना।
- **राष्ट्रीय हित *बनाम* व्यावसायिक हित:** अधिक लाभ की आकांक्षा में निर्धारित मानकों का पालन न करने एवं पकड़े जाने से न सिर्फ कंपनी की प्रतिष्ठा को हानि होगी, अपितु राष्ट्र की छवि भी धूमिल होगी।

प्रश्न: 12. पवन पिछले दस वर्षों से राज्य सरकार में अधिकारी के पद पर कार्यरत है। नियमित स्थानांतरण के अंतर्गत उसे दूसरे विभाग में तैनात किया गया। उसने अन्य पाँच साथियों के साथ एक नए कार्यालय में कार्यभार ग्रहण किया। कार्यालय का प्रमुख एक वरिष्ठ अधिकारी था, जो अपने कार्यालय की कार्यप्रणाली में निपुण था। सामान्य पूछताछ के दौरान पवन को पता चला कि वरिष्ठ अधिकारी का खुद का पारिवारिक जीवन अशांत होने के साथ-साथ वह कठोर और असंवेदनशील छवि वाला है। शुरू में लगा कि सब ठीक चल रहा है। हालाँकि, कुछ समय बाद ही पवन ने महसूस किया कि उसका वरिष्ठ अधिकारी आमतौर पर उसको अपमानित करता था और कभी-कभी अविवेकी था। बैठकों में पवन जो भी सुझाव देता था उन्हें सिरे से खारिज कर दिया जाता था और दूसरों की उपस्थिति में वरिष्ठ अधिकारी नाराज़गी व्यक्त करता था। यह वरिष्ठ अधिकारी के कामकाज की शैली का तरीका बन गया जिसमें उसको गलत ढंग से दिखाया जाता, उसकी कमज़ोरियों को उजागर किया जाता और सार्वजनिक रूप से अपमानित किया जाता था। यह स्पष्ट हो गया कि यद्यपि ये काम से संबंधित कोई गंभीर समस्याएँ/कमियाँ

नहीं थीं, लेकिन वरिष्ठ अधिकारी हमेशा किसी-न-किसी बहाने से उसे डाँटता और उस पर चिल्लाता। पवन के लगातार उत्पीड़न और सार्वजनिक आलोचना के परिणामस्वरूप उसके आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और समभाव को नुकसान पहुँचा। पवन ने महसूस किया कि वरिष्ठ अधिकारी के साथ उसके संबंध और अधिक विषाक्त होते जा रहे हैं तथा वह निरंतर तनावग्रस्त, चिंतित एवं दबाव महसूस करने लगा है। उसका मन नकारात्मकता से भरा हुआ था और उसे मानसिक यातना, पीड़ा और व्यथा को झेलना पड़ रहा था। आखिरकार, इसने उसके व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन को बुरी तरह प्रभावित किया। घर पर भी वह अब उल्लसित, प्रसन्न और संतुष्ट नहीं रहता था, बल्कि बिना किसी कारण के वह अपनी पत्नी और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ अपना आपा खो देता था। पारिवारिक वातावरण अब सुखद और अनुकूल नहीं रह गया था। उसकी पत्नी, जो हमेशा उसका साथ देती थी, वह भी नकारात्मकता और शत्रुतापूर्ण व्यवहार का शिकार हो गई। कार्यालय में उसके अपमान और उत्पीड़न के कारण उसके जीवन से आराम और खुशी लगभग गायब हो गई। इस प्रकार इसने उसके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचाया।

(a) इस स्थिति से निबटने के लिये पवन के पास कौन-से विकल्प उपलब्ध हैं?

(b) कार्यालय और घर में शांति, प्रशांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण लाने के लिये पवन को क्या दृष्टिकोण अपनाना चाहिये?

(c) एक बाहरी व्यक्ति के रूप में वरिष्ठ अधिकारी तथा अधीनस्थ दोनों के लिये इस स्थिति से उबरने और कार्य निष्पादन, मानसिक तथा भावात्मक स्वास्थ्य में सुधार के लिये आपके क्या सुझाव हैं?

(d) उपर्युक्त परिदृश्य में, आप सरकारी कार्यालयों में विभिन्न स्तरों के अधिकारियों के लिये किस प्रकार के प्रशिक्षण का सुझाव देंगे?

(उत्तर 250 शब्दों में दीजिये) 20

उत्तर: यह खराब कार्य संस्कृति, प्राधिकार के दुरुपयोग, भावनात्मक बुद्धिमत्ता की कमी एवं व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में सामंजस्य बनाने में असमर्थता का मामला है।

प्रमुख हितधारक: राज्य सरकार का अधिकारी पवन, पवन की पत्नी और परिवार के अन्य सदस्य, वरिष्ठ अधिकारी, और पवन के पाँच साथी।

(a) उपर्युक्त वर्णित स्थिति से निपटने के लिये पवन के पास निम्नलिखित विकल्प उपलब्ध हैं-

- **वर्तमान पद से इस्तीफा:** यह पलायनवाद और साहस की कमी को दर्शाता है। इससे पवन की व्यक्तिगत ज़िम्मेदारियाँ भी प्रभावित होंगी।
- **ऑफिस से कुछ समय के लिये छुट्टी लेना:** इससे पवन को थोड़ी राहत तो मिलेगी, लेकिन दोबारा ज्वॉइन करने पर उसे उन्हीं दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।
- **दूसरे विभाग में स्थानांतरण के लिये आवेदन देना:** यह एक प्रशासनिक निर्णय है, जिस पर पवन का नियंत्रण नहीं है।
- **कार्यालय में अपने वरिष्ठ की उपेक्षा करें:** काम में समन्वय और गुणवत्ता प्रभावित होगी। यह उसे समग्र रूप से काम करने के प्रति उदासीन बना सकता है।

(b) कार्यालय और घर में शांति और अनुकूल वातावरण लाने के लिये पवन को भावनात्मक बुद्धिमत्ता का विकास और प्रदर्शन करना चाहिये। जिसे निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है।

- दो प्रश्नों के उत्तर देने के लिये पवन को अपने कार्य का आत्म-निरीक्षण करना चाहिये।
  - क्या उसके कार्य उसके वरिष्ठ को परेशान कर रहे थे?
  - वरिष्ठ का अन्य नए स्थानांतरित सहयोगियों के प्रति क्या व्यवहार है?
- अपने वरिष्ठ के साथ एक खुली बातचीत करें।
  - उसकी चिंताओं को समझने की कोशिश करें।
  - **अपने वरिष्ठ की कार्रवाई का कारण समझें:** इससे पवन और उसके वरिष्ठ को मूल कारण समझने का मौका मिलेगा।
- यदि यह काम नहीं करता है, तो मामले को दोनों के वरिष्ठ अधिकारी के संज्ञान में लाएँ और लिखित शिकायत दर्ज करें।
- कार्यालय में जिस समस्या का सामना करना पड़ रहा है, उसे समझाते हुए पत्नी के साथ इस मामले पर चर्चा करें। उसकी पत्नी उसे समझेगी और उसका समर्थन करेगी।
- AQ विकसित करें और पेशेवर एवं व्यक्तिगत जीवन को अलग करना सीखें।

(c) एक बाहरी व्यक्ति के रूप में, वरिष्ठ और अधीनस्थों को मेरा निम्न सुझाव हैं-

वरिष्ठ अधिकारी को सुझाव

- अपने अधीनस्थों का सम्मान करें।
- भावनात्मक बुद्धि विकसित करें, एक नेता और एक आदर्श की तरह कार्य करें।
- रचनात्मक आलोचना दें, दूसरों को कमतर नहीं आँकें।

अधीनस्थों को सुझाव

- समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ काम करें, लेकिन स्वाभिमान/आत्म-मूल्य की कीमत पर नहीं।
- काम 'जीवन का सिर्फ एक हिस्सा' है, 'जीवन' नहीं।
- जीवन में छोटी-छोटी चीज़ों का आनंद लें और काम से जुड़े तनाव को अपने निजी जीवन में न आने दें।

(d) मैं सरकारी कार्यालयों में अधिकारियों को निम्नलिखित प्रकार के प्रशिक्षण का सुझाव दूँगा-

- **संवेदनशीलता प्रशिक्षण:** इस बात के प्रति संवेदनशील होना कि किसी के कार्य उनके आसपास के लोगों को कैसे प्रभावित कर रहे हैं।
- **भूमिका निर्वहन का प्रशिक्षण:** दूसरों की समस्याओं और बाधाओं को समझने के लिये स्थिति को दूसरों के नज़रिये से देखना।
- **विश्राम प्रशिक्षण:** शरीर और मस्तिष्क को अच्छे से स्वस्थ रखने के लिये शारीरिक व्यायाम और ध्यान; नकारात्मक विचारों और निराशाओं को कम करता है।
- **संचार प्रशिक्षण:** प्रभावी संचार के लिये मौखिक और गैर-मौखिक संकेतों का उपयोग करना।
- इस अभ्यास का उद्देश्य दृष्टिकोण में सकारात्मकता को बढ़ावा देना, समावेशिता को बढ़ावा देना और कार्य संस्कृति को बेहतर बनाना है। ■■■